खण्ड-223, अंक-7
शुक्रवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1883
(28 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३२६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीरामजाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादत्त माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र , श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुरनतंजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र , श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

आजमगढ़ जिले में छठे दर्जे की फीस का क्षतिपूर्ति अनुदान

*१—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सैकड़ों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छठे दर्जे के छात्रों तथा हरिजन छात्रों की फीस माफ़ी से हुई क्षति का लगभग डेढ़ लाख रुपया संस्थाओं का सरकार के जिम्मे बार-बार लिखने के बावजूद भी बाक़ी है और रुपया लैप्स हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह अनुदान ३१ मार्च से पहले दिया गया है या उसके बाद दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—६०-६१ में ४५ विद्यालयों को कक्षा ६ तक की क्षतिपूर्ति का अनुदान वित्तीय वर्ष में ही ६१,०६७ रुपया स्वीकृत किया जा चुका था। १२ विद्यालयों ने आवश्यक सूचना समय पर नहीं दी इसलिये उनको यह अनुदान उस वक्त नहीं दिया जा सका। इसी मास में १५,७१२ रुपया उनको स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ४ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ७ लघु माध्यमिक विद्यालयों को न गतवर्ष ही स्वीकार किया गया और न इस वर्ष क्योंकि नियमानुसार जो आवश्यक सूचना इन विद्यालयों से क्षतिगणना हेतु प्राप्त की जाती है, वह अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन विद्यालयों के कागजात ठीक प्रकार से निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं आये हैं, क्या उन विद्यालयों को उन शर्तों के साथ प्रार्थना-पत्र देने के लिये आदेश प्रसारित किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा उनको स्मरण करा दिया गया है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन विद्यालयों को सहायता नहीं पहुंची है और अब मार्च में भी नहीं पहुंची है, उन विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस वजह से कि क्षतिपूर्ति का अनुदान नहीं मिला इसलिये उनको वेतन दिया गया है या नहीं, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जब भी उनका हिसाब ठीक प्रकार से आ जायगा सरकार उनको अनुदान दे देगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस हेड से यह सहायता दी जाती है उस हेड का बहुत सा रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में लैप्स हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---लैप्स होने का तो प्रश्न नहीं उठता क्योंकि क्षतिपूर्ति का जो यह अनुदान है अगर पिछले वर्ष का भी हिसाब इस वर्ष आ जायगा तो उनको दे दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन विद्यालयों का हिसाब-किताब मार्च के महीने तक ही दे दिया गया था उनको मार्च के पहले सहायता न देने का क्या कारण था?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने उत्तर दिया कि जिनका समय पर आ गया उनको दे दिया गया और जिनका देरी से आया उनको भी इस मास में दे दिया गया। लेकिन अब भी ४ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और ७ लघु माध्यमिक विद्यालयों को अभी तक नहीं मिला है, उनके ठीक हिसाब न आने के कारण।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

नैपाल से अवैध चरस का आयात

*१---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६० से १ जनवरी, १९६१ तक नैपाल से उत्तर प्रदेश में आने वाली कितनी चरस कितने व्यक्तियों से बरामद की गयी? उनमें कितनों पर कार्यवाही की गई है?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)---१ जनवरी, १९६० से १ जनवरी, १९६१ तक नैपाल से उत्तर प्रदेश में आने वाली ९ मन २ सेर ८ छटांक ४ १/४ तोला चरस २२७ व्यक्तियों से बरामद की गई और इस सम्बन्ध में २२७ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

*२---**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अवधि में नैपाल बार्डर पर स्थित टनकपुर की चेक-पोस्ट ने इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा?

डाक्टर सीताराम---उपरोक्त अवधि में नैपाल बार्डर पर स्थित टनकपुर की चेक-पोस्ट में इस सम्बन्ध में कुल २२ व्यक्तियों को पकड़ा गया।

सीतापुर जिले में छठे दर्जे की फीस का क्षतिपूर्ति अनुदान

*३---**श्री झारखण्डेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सीतापुर जिले के मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को कक्षा ६ की फीस की रिइम्बर्समेन्ट ग्रांट जनवरी, १९६० से आज तक नहीं मिली है?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---३३ स्कूलों में से प्रश्नगत अनुदान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में केवल ५ को नहीं दिया जा सका।

*४---**श्री झारखण्डेराय** (अनुपस्थित)---अगर हां, तो क्यों और सरकार इस ग्रांट को देने की क्या व्यवस्था कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर---उक्त विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचनायें, ठीक-ठीक समय से उपलब्ध न हो सकी थीं। उनमें से दो को प्रश्नगत अनुदान अब स्वीकृत किया जा रहा है। शेष ३ स्कूलों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है। उसके प्राप्त होते ही उन्हें भी प्रश्नगत अनुदान दे दिया जायगा।

हरिद्वार तथा ऋषिकेश के निकट शराब की दूकानों का ठेका

*५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हरिद्वार और ऋषिकेश के आस-पास कहां-कहां शराब की दूकानें खोली जा रही हैं और ये दूकानें इन दोनों तीर्थों से कितनी-कितनी दूरी पर रहेंगी ?

डाक्टर सीताराम—नये वित्तीय वर्ष, १९६१-६२ में घनौरी की शराब की दूकान घनौरी से हटाकर बहादुराबाद में रखी गई है जो हरिद्वार से ७.८ मील की दूरी पर है। रायवाला तथा रानी पोखरी की शराब की दूकानें जो पहले बन्द कर दी गई थीं इस साल से फिर खोल दी गई हैं। ये दूकानें ऋषिकेश से लगभग ८ मील की दूरी पर स्थित हैं।

*६—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये दूकानें कितनी हैं और इनका वार्षिक ठेका क्या है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी तीन दूकानें हैं जिनके वार्षिक नीलाम पर निम्नलिखित लाइसेंस फ़ीस प्राप्त हुई :

	रु०
बहादुराबाद	४५,०००
रायवाला	३१,०००
रानी पोखरी]	२५,०००

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि हरिद्वार और ऋषिकेश जिस क्षेत्र में हैं रायवाला भी उसी क्षेत्र में आता है ?

डाक्टर सीताराम—क्षेत्र वही हो सकता है लेकिन दूरी ७-८ मील की है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब इन तीर्थों में सरकार की शराब बन्दी की नीति है तो उस क्षेत्र में यह शराब की दूकानें खोलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—यह तीनों स्थान इन दो तीर्थों के स्थानों से ७-८ मील की दूरी पर हैं और सरकार की नीति है कि ५ मील के क्षेत्र में कोई शराब की दूकानें न खोली जायं। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि यह तीनों दूकानें धार्मिक स्थानों के करीब हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी दोबारा जांच करायेंगे कि बहादुराबाद, हरिद्वार की नगरपालिका से केवल ढाई मील की दूरी पर है और ७-८ मील की वह दूरी नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—मैंने जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर ही ७-८ मील की दूरी बताई थी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दूकानें वहां पर ब्रिटिश रिजीम से लेकर आज तक नहीं थीं, तो मंत्री जी ने कैसे यह जरूरत महसूस की कि वहां यह दूकानें खोल दीं ?

डाक्टर सीताराम—इन जगहों पर दूकानें पहले थीं लेकिन यहां पर इस क्षेत्र में इल्लिसिट डिसटिलेशन, अवैध रूप से मदिरा चुआना और उसका तस्कर व्यापार जोर पर था और इस सम्बन्ध में लाइसेंसिंग बोर्ड ने अपनी संस्तुति यूनानिमसली जिलाधीश को दी और जिलाधीश ने भी अपनी संस्तुति एक्साइज कमिश्नर को भेजी और उस ने लाइसेंसिंग बोर्ड और जिलाधीश की सिफारिश को ध्यान में रख कर दूकानें खोलने का आदेश दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या जिन बुराइयों को दूर करने के लिये वहां शराब की दूकानें खोली गईं उसी प्रकार की बुराई को दूर करने के लिये मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि हमारे लिये जो सचिवालय में रेस्ट्रां है उसमें भी बार का प्रबंध कर दें ?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन तीर्थस्थानों के लोग इन दूकानों में जाकर शराब पीकर वहां लौट जाते हैं और उससे यात्रियों को परेशानी पैदा होती है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये तीर्थ स्थान जो भाखड़ा आदि बने हैं वहां पर भी सरकार ऐसी शराब की दूकानों का प्रबंध करने जा रही है या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है जिसके अनुसार जहां पर अवैध मदिरा ज्यादा तौर से बनने लगे वहां शराब की दुकानें अधिक से अधिक संख्या में खोल दी जायं ?

डाक्टर सीताराम---प्रत्येक जिले में लाइसेंसिंग बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है और उस एडवाइजरी कमेटी में विधान सभा के सदस्य भी हैं। अगर वह अपनी राय जिलाधीश को देते हैं और जिलाधीश एक्साइज कमिश्नर को लिखता है तो उस पर विचार भी किया जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शराब की दूकान वर्तमान मंत्रिमंडल के जमाने में खुली या पिछले मंत्रिमंडल के जमाने में और उसके मंत्री तथा उप-मंत्रियों की भी राय ली गई थी इस सम्बन्ध में ?

डाक्टर सीताराम---अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे यह हो और चाहे पहली हो, सरकार तो एक है ।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि कब खुली ।

डाक्टर सीताराम---३१ मार्च, सन् १९६१ को एलाट हो गई है ।

शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुबन के सेवा-मुक्त अध्यापकों की अपील

*७---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या शिक्षा मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप शिक्षा संचालक, सप्तम मंडल, गोरखपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील के सम्बन्ध में अब तक निर्णय नहीं किया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---संबंधित अध्यापक की अपील पर उप-शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा निर्णय दिया जा चुका है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अध्यापक ने उस शिक्षा-संचालक के यहां कब अपील की थी और निर्णय कब लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन् निर्णय तो १४ मार्च, सन् ६१ का है और अपील संभवतः वर्ष १९६० की है, ठीक तिथि मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अपील का निर्णय क्या किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यापक को पुनः नियुक्त किये जाने के आदेश दिये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह अध्यापक जो दो वर्ष से अधिक बेकार पड़े रहे उसका वेतन भी उस संस्था से दिलाने की निर्णय में व्यवस्था है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो नियम है कि तनख्वाह उन दिनों की मिलेगी जिन दिनों उन्होंने दूसरा कोई व्यवसाय करके धन न कमाया हो ।

जौनपुर जिले में प्रारम्भिक पाठशालायें खोलने की योजना

*८---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में जुलाई, १९६१ तक कितनी नयी प्रारंभिक पाठशालाओं को खोलने का निश्चय किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई नहीं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या शिक्षा मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई में तो नहीं हैं लेकिन १९६१ के पूरे वर्ष में कितने प्रारंभिक स्कूल जौनपुर जिले में खुल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---अक्तूबर के बाद खुलेंगे । उसमें जौनपुर में मिले-जुले ३५ हैं और केवल बालिकाओं के १५ हैं ।

*९-१०---**श्री झारखण्डेराय**---[१२ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

जेल विभाग से संबंधित अनियमितताओं की जांच

*११---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री गौरीशंकर राय, एम०एल०ए० ने उनके पास ११-८-६० एवं ३-९-६० को पत्र लिखकर जेल विभाग में जन-धन के दुरुपयोग तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और परिणाम क्या हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, शासन पत्रों में बताई गई अनियमितताओं की जांच करा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पत्र में किन-किन अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---अध्यक्ष महोदय, माननीय गौरीशंकर राय जी ने जिस प्रकार का पत्र लिखा है उसी प्रकार का पत्र शिकायत के रूप में माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी ने भी लिखा था और पहले शार्ट नोटिस क्वेश्चन में इस प्रश्न के सम्बन्ध में जवाब भी दिया जा चुका है । जिस पत्र को माननीय गौरीशंकर राय जी ने लिखा है....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब ऐसी चीज हो कि एक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, तो अगर हमारे यहां गलती हो गई है तो मेरे दफ्तर का ध्यान आप इस तरफ आकृष्ट कर दें क्योंकि अगर दोबारा प्रश्न आ जाता है तो वह नहीं रखा जाता है । अगर कोई प्रश्न में अन्तर हो तो आ जाता है ।

बहरहाल, आप जवाब दें ।

डाक्टर सीताराम—जिस प्रकार का पत्र माननीय गोविंदसिंह विष्ट जी ने लिखा था उसी प्रकार का पत्र, वही सब बातें करीब-करीब माननीय गौरीशंकर राय जी ने भूतपूर्व मंत्री जी को लिखी थीं, और उस पत्र में उन्होंने आखिर में लिखा है कि विषय को समाप्त करते हुये मैं यह सूचित करना उचित समझता हूं कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इन बातों की जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों से यह सूचनायें मिली हैं। उन सब शिकायतों को बतलाने में दो आशंकायें हैं। पहली तो यह है कि non-departmental कर्मचारी के द्वारा बहुत गोपनीय रूप में इसकी जांच करायी जा रही है और जिन कर्मचारियों के खिलाफ यह शिकायतें हैं अगर सही नहीं पायी गईं तो इस शासन में उनकी निंदा होगी।

दूसरी चीज यह है कि अगर माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो पत्र लिखा है और जो शिकायतें की हैं वे सही मान ली गईं तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन अगर वह ठीक नहीं पायी गईं तो उनके हित में भी यह ठीक नहीं होगा। इन्हीं दो कारणों को देखते हुये मैं यह उचित समझता हूं कि उन शिकायतों को इस समय सदन में प्रस्तुत न करूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिन अनियमितताओं की सरकार जांच करा रही है है क्या उनमें जेल के उद्योग विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उनकी भी जांच शामिल है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, वही तो खास है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह जांच किसके सुपुर्द की गई है और कब तक समाप्त होने की आशा है ?

डाक्टर सीताराम—यह भी गोपनीय है। अगर नाम बतला दिया जायगा तो कोई चीज सीक्रेट नहीं रह जायेगी। लेकिन इतना सदन को मैं विश्वास दिला दूं कि अपने विभाग का अफसर नहीं है, न जेल विभाग का है बल्कि दूसरे विभाग का एक उच्च-अधिकारी इसकी इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के सब कारागारों के सम्बन्ध में शिकायत है अथवा किसी विशेष कारागार के सम्बन्ध में शिकायत है ?

डाक्टर सीताराम—अभी माननीय पालीवाल जी के प्रश्न में मैंने बताया था कि जेल विभाग के इंडस्ट्रीज सेक्शन में जो शिकायत है उसके बारे में जानकारी की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी को मालूम है कि भूतपूर्व जेल इवैल्यूएशन कमेटी जो बन्द कर दी गई है उसके अध्यक्ष, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने जेल-उद्योग विभाग के सम्बन्ध में बहुत कड़ी आलोचना की है और शिकायत की है। क्या उसकी भी इसमें जांच हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—उस पर तो अध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न है। उस कमेटी के अध्यक्ष ने क्या लिखा है उसके बारे में मैं ठीक नहीं जानता क्योंकि कमेटी भंग कर दी गई है।

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, कानपुर का विधान

१२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री, जो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन गत दिसम्बर के अन्तिम हफ्ते में कानपुर में हुआ था, जिसे सरकार की ओर से धन भी दिया गया था उसके विधान की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—आल इंडिया फेडरेशन आफ एजूकेशनल एसोसियेशन के तत्वविधान में गत दिसम्बर, १९६० में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कानपुर में हुआ था। उस एसोसियेशन के विधान की एक *प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

---

*प्रति छापी नहीं गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मंत्री जी संक्षेप में बतायेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कितने इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसको तो सदन की मेज पर रख दिया है। वैसे उसके आबजेक्ट्स पढ़ कर सुना दूं।

"To study educational problems with special reference to Indian conditions."

यानी देश की स्थिति को देख कर वहां की शिक्षा समस्याओं पर विचार करना। दूसरा उद्देश्य है

"To work for the adequate realization of the educational needs of India."

इस देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का जहां तक सम्बन्ध है....।

श्री अध्यक्ष—आपने प्रिन्टेड दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सदस्य संख्या है तथा हेडक्वार्टर कहां है ?

श्री अध्यक्ष—यह आपको अगर मालूम हो तो बता दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो फेडरेशन है इस फेडरेशन में भारतीय शिक्षार्थियों के अलावा विदेशी शिक्षार्थी भी शरीक हैं तो वे किस रूप में शरीक होते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। कोई सरकारी संस्था तो यह है नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस फेडरशन का सेंट्रल दफ्तर कहां है और इसकी शाखायें कितनी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—फेडरेशन का जो मुख्य कर्त्तव्य है उसमें वह हर वर्ष सम्मेलन भिन्न-भिन्न स्थानों पर करता है और जहां-जहां करता है वह स्वागत समित होती है और शाखायें कहां-कहां हैं उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

असरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रावास के लिये अनुदान

*१३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को छात्रावास बनाने के लिये सरकार द्वारा १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल १९६०–६१ में बालिकाओं के ५ गैर सरकारी सहायक माध्यमिक विद्यालयों को कुल १,५२,०९८ रुपया छात्रावास निर्माण हेतु दिया गया। १९५८–५९ तथा १९५९–६० में ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती हुई देख कर किसी ऐसी योजना पर विचार करेंगे जिससे छात्रावासों के लिये अधिक रुपया दिया जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे छात्रावासों के लिये योजना तो बनी हुई है और उसके लिये कर्ज दिया जाता है। यह एक विशेष योजना थी स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा अध्यापकों के प्र शिक्षण के सम्बन्ध में और उसके लिये यह अनुदान दिया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जितने बालिका माध्यमिक स्कूल हैं उनमें बालिकाओं के छात्रावास न होने की वजह से बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए सरकार कोई योजना बनायेगी कि जितने ऐसे स्कूल हैं उनके लिये अगले ५ वर्ष में छात्रावासों के लिये ग्रांट दे देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय तो अगले वर्षों में किन-किन छात्रावासों को देगी, बतलाना कठिन है और जब आंकड़े आ जायेंगे तब अन्दाज से बतलाया जा सकता है कि कितना रुपया दिया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सन् ६०-६१ में गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के बालकों के लिये छात्रावास बनाने के लिये भी कोई योजना रखी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बालकों के छात्रावास के लिये ऋण दिये जाने का प्रबंध है।

श्री प्रतापसिंह---यह देखते हुये कि बहुत से गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जिनके पास छात्रावास नहीं हैं और केन्द्रीय सरकार बैकवर्ड क्लास तथा हरिजनों के लिये अधिक से अधिक सहायता छात्रावास के लिये देती है तो क्या इस वर्ष अधिक से अधिक सहायता मंगा कर इस समस्या को हल करने की प्रदेशीय सरकार कोशिश करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्नकर्ता ने बैकवर्ड और शेड्यूल्ड क्लास का प्रश्न उठाया है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, ऋण हम होस्टल्स बनाने के लिये देते हैं और बालकों के विद्यालयों में छात्रावास बनाने की जरूरत पड़ी हो ऐसी तो बात दिखलाई पड़ी नहीं ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिये केन्द्रीय सहायता

*१४---**श्री विश्रामराय**---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९५८ से १४ मार्च, १९६१ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी दूर करने के लिये सहायता योजना में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उसका उपयोग किस प्रकार हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्नगत केन्द्रीय सहायता की धनराशि इस वर्ष उसके अंतिम समायोजन (final adjustment) के पश्चात् ज्ञात हो सकेगी ।

योजना पर प्रश्नगत अवधि में लगभग ७३,२८,२०० रु० व्यय हुआ है । यह सब भारत सरकार से मिलेगा ।

उक्त व्यय जिन मदों पर हुआ है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४० पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय शिक्षा-मंत्री बतलायेंगे कि जो योजना बनाई जा रही है ६१ में उसमें सरकार के अनुमान में ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं और उनको सरकार रोजगार दिला सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, यह तो अब समाप्त हो चुकी । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ३३२५ माध्यमिक स्कूल खोले जाने पर ६६५० अध्यापकों की नियुक्ति हुई और ११८ उप-विद्यालय निरीक्षक और १५ सहायक उप-निरीक्षक नियुक्त हुये ।

अध्यापकों के लिये ६५० आवास गृह की स्कीम थी। यह तो विशेष योजना थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह योजना प्लान-स्कीम में आ जाती है, अलग कोई योजना नहीं है। उस योजना के अनुसार हमारा ऐसा ख्याल है कि २३ हजार प्राइमरी स्कूल हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोलेंगे।

शिक्षा विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान

*१५--श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को कितना धन प्राइमरी शिक्षा की उन्नति के लिये दिया था और वह धन किन-किन मदों में खर्च किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---कुल १,४७,२५,४०२ रु० की धनराशि केन्द्रीय सरकार से सन् १९६०-६१ में राज्य सरकार को शिक्षा विकास योजनाओं के निमित्त प्राप्त हुई जिसका योजनावार विवरण उपलब्ध नहीं है।

*१६--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन के हेतु दिये गये धन में से कुछ भाग पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों को खरीदने में व्यय किया जाता है और यह कार्य जिला स्तर पर एक समिति द्वारा सम्पन्न होता है ? यदि नहीं, तो और कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, और कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर---(अ) जी हां।

(ब) जी नहीं। पुस्तकों को क्रय करने का कार्य स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

*१७--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस वर्ष पुस्तकों के खरीदने के सम्बन्ध में श्री कर्ण भाई की अध्यक्षता में प्रदेशीय स्तर पर कोई कमेटी बनायी गई थी और उस कमेटी ने पुस्तकों की एक लिस्ट बना कर सरकार को दी है ? यदि हां, तो क्या उस लिस्ट की तैयारी में जिला अधिकारियों से भी परामर्श किया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर---(अ) जी हां।

(ब) जी नहीं।

कानपुर का कनपटीमार

*१८--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर के रहस्यमय कनपटीमार (Mystery Killer) को उसने दिमागी परीक्षा के लिये आगरा मेन्टल अस्पताल में रक्खा था ? यदि हां, तो डाक्टरों ने परीक्षण के बाद क्या रिपोर्ट दी और क्या वह अब भी वहीं है ?

डाक्टर सीताराम---यह कनपटीमार आगरा मेन्टर अस्पताल में नहीं रखा गया था। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

गोंडा जिले में अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१९--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का माह अक्तूबर, १९६० तक लगभग पांच मास के वेतन का वितरण नहीं हुआ था? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि १३ मार्च को यह प्रश्न दिया गया था और उसके बाद ३१ मार्च को यह स्थगित हो गया। फिर १४ अप्रैल को जो अन्तरिम उत्तर दिया गया उसमें भी यही था कि सूचना एकत्र की जा रही है और आज भी सूचना एकत्र हो रही है। तो यह सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी? ५–६ महीने तनख्वाह बाकी रहने के कारण एक अध्यापक की मृत्यु भी हो गयी, वह ठीक से अपनी दवा वगैरह नहीं करा सका। श्रीमन्, इसमें इतना विलम्ब हो रहा है, इसके लिये कोई व्यवस्था हो जाती तो अच्छा था।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जिले से हमारे पास सूचना आयी थी लेकिन हम स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे कि वह सूचना काफी है, वह ठीक भी नहीं मालूम होती थी। इसलिये उनको दोबारा लिखा था कि ठीक-ठीक और पूरी सूचना भेजें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह उत्तर जो मंत्री जी ने दिया है इन्हीं शब्दों में उन्होंने पहले भी कहा था कि हमने विशेषतौर से पूछा है लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज फिर वही कह रहे हैं, तो यह कैसा अनुशासन है इसको भी तो जरा देखिये।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछ लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अच्छा, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि ऐसी हालत में कि जो आवश्यकीय सूचना जिला अधिकारियों से नहीं प्राप्त हो सकी उसके फलस्वरूप उन्होंने कौन सा ऐसा कदम उठाया है कि अब वह सूचना देने के लिये बाध्य हों?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में उनका जवाब पूछेंगे कि क्यों देरी की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नये सिरे से सूचना मांगी है उसके १२ मई तक आ जाने की सम्भावना है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं प्रयत्न करूंगा कि १२ मई से पहले आ जाय।

रोडवेज तथा प्राइवेट बस सर्विस

*२०—**श्री विश्रामराय**—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मील सड़कों पर राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग की बसें चालू हैं और कितने मील पर प्राइवेट बसें चल रही हैं?

डाक्टर सीताराम—दिनांक ३१ मार्च, १९६१ को राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग की तथा प्राइवेट बसें क्रमशः ८३३५.१ व १२,६५८.०५ रोड मीलों पर चलती थीं।

*२१—**श्री विश्रामराय**—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील सड़कों पर रोडवेज बसें चलाने का निर्णय किया गया था और उसमें किस हद तक लक्ष्य पूरा हुआ?

डाक्टर सीताराम—४६४ नये रोड मीलों पर। और २,३५८ मील नई सड़क पर रोडवेज का विस्तार हुआ।

*२२—**श्री विश्राम राय**—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी सड़कें रोडवेज विभाग द्वारा ली गईं और कितने प्राइवेट आपरेटरों को मुआवजा देना पड़ा?

डाक्टर सीताराम—१९५८–५९ में २२, १९५९–६० में ३० तथा १९६०–६१ में १३ रूट्स लिये गये और ७ प्राइवेट आपरेटरों को मुआविजा दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो प्राइवेट आपरेटरों को मुआविजा दिया गया है यह किस आधार पर दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—भारत सरकार का जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ है उसमें यह है कि परमिट कम से कम तीन साल के लिये मिलता है और जिसको आउस्ट किया जाता है उसका जो समय बाकी रहता है उस समय तक के लिये उसको २०० रुपये माहवार के हिसाब से मुआवजा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकार ने ५०० बसें मंगाने का इरादा किया था तो क्या वह आ गई हैं और कितनी सड़कें सरकार ने लीं ?

डाक्टर सीताराम—दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने मील रूट्स लेने थे उनको पूरा करके तृतीय पंच वर्षीय-योजना के रूट्स भी ले लिये गये हैं और जहां तक बसेज का सवाल है मुझे आशा है कि सभी मंगा ली गई होंगी तभी तो इतना विस्तार हुआ है ।

रोडवेज कर्मचारी

*२३—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के रोडवेज विभाग में कितने-कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना एकत्रित करने में इसलिये देरी हो रही है कि सभी कर्मचारियों के स्थाई करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात नहीं है बल्कि बात यह है कि १८ हजार कर्मचारी रोडवेज विभाग में हैं । इसके साथ ही साथ १०० से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज के कर्मचारी हैं और पूरे प्रान्त में ८ रीजन्स हैं और सब श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग मंगाई गई है जिसके लिये काफी समय की आवश्यकता होगी ।

राजकीय महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर कक्षायें खोलने का विचार

*२४—**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय-योजना काल में प्रदेश के कितने राजकीय गर्ल्स हाई स्कूलों में इंटर कक्षायें खोलने का लक्ष्य है और उनमें से किन-किन स्थानों पर वर्ष १९६१–६२ में यह व्यवस्था जारी कर दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव— तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आठ राजकीय महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण करने का विचार है । परन्तु १९६१–६२ में किसी विद्यालय का उच्चीकरण प्रस्तावित नहीं है ।

श्री रामकुमार वैद्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये ८ विद्यालय किन-किन स्थानों पर हैं जिनके लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी जो टेंटेटिव विचार करके फेहरिस्त तैयार की है जिसको आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है, उसमें १९६२–६३ में इटावा, औरैया, १९६३–६४ में लैंसडाउन, गोंडा, १९६४–६५ में अमरोहा और टेहरी और १९६५–६६ में देहरादून और पौड़ी गढ़वाल हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षा विभाग के प्लानिंग सेक्शन के उच्चाधिकारियों ने कुछ विद्यालयों को परिपत्र भेजा है जिसमें लिखा है---

"Upgrading of the Government Higher Secondary Schools for boys and girls to Inter Standard with Science and literary group where necessary. . . ."

और उत्तर यह दिया गया है कि किसी विद्यालय का उच्चीकरण होना नहीं है तो यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह कागज मेरे पास आया था। लेकिन प्रश्न पूछा गया है राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में इंटर कक्षायें खोलने के लिये। उसके लिये तो एक अलग योजना है कि जहां इंटर कक्षायें नहीं हैं वहां खोल दी जायंगी लेकिन जहांतक राजकीय गर्ल्स हाई स्कूलों के उच्चीकरण का प्रश्न है यह दूसरा सवाल है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजकीय गर्ल्स हाई स्कूलों को इंटर कालेजेज में परिवर्तन करने की योजना है ? पिछले सालों में जिनको किया है वहां भवन इत्यादि न होने के कारण बड़ी कठिनाइयां पड़ रही हैं तो इसके लिये कोई योजना भवन इत्यादि बनाने की है ताकि वह सुचारु रूप से चल सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं तो यही उत्तर दे सकता हूं कि जहां पर उच्चीकरण कर दिया गया है, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वहां स्टाफ आदि की जितनी ज्यादा आवश्यकतायें हों उनको पूरा करे और हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में यह कहा था कि जो परिपत्र गया है उसमें लिखा है "Upgrading of the Government Higher Secondary Schools for boys and girls to Inter Standard with Science and literary group where necessary. . . ." तो लड़के, लड़कियां और साइंस आर्ट सभी विद्यालयों के अपग्रेडिंग का सवाल है और अपग्रेडिंग का मतलब जहां तक मैं समझता हूं उच्ची-करण ही हुआ और उत्तर यह दिया गया है कि उच्चीकरण की व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार स्पष्ट करेगी डिपार्टमेंटल परिपत्र की बात सही है या सरकार के उत्तर की बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---क्या इसमें ६१-६२ के लिए लिखा है ?

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, उसमें यह लिखा है कि---

"The following schemes have been included in the Third Five-Year Plan"

उसमें अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस पूरे नहीं हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो यह कहा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में तो है, लेकिन १९६१-६२ में नहीं है।

बेसिक प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना

*२५---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६१-६२ में अलग-अलग जिलों में कुल कितने बेसिक प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खुलने वाले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---१९६१-६२ में खोले जाने वाले जूनियर बेसिक स्कूलों की जिलेवार संख्या संलग्न है।

१९६१-६२ में ५३ जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। उनकी जिलेवार संख्या अभी नहीं निर्धारित की गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४१-६४२पर)

नोट---प्रश्न २५-२६ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछे।

*२६--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना स्वीकार की है जिसके जरिये बालिका विद्यालयों में स्कूल मदर नियुक्त करने की स्कीम है ? अगर हां, तो वर्ष १९६१-६२ में कितनी स्कूल मदर नियुक्त की जायेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। १९६१-६२ में ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित (बालक बालिकाओं) में प्राथमिक स्कूलों में ५०० स्कूल-मातायें नियुक्त की जायेंगी।

के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के लिये भूमि प्राप्ति

*२७--श्री हिम्मत सिंह (जला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद में के० जी० के० कालेज ने १९५२ से १९५६ तक कितनी भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की ? उसमें से कितने एकड़ जमीन पर इमारत बनी है और कितनी खाली पड़ी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है।

*२८--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद के के० जी० के० कालेज ने पुनः १९५९ में कितनी एकड़ भूमि के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया है ? इससे कितने काश्तकार प्रभावित होंगे और क्या इन ग्रामीण काश्तकारों को जीवन-यापन के लिये कहीं अन्यत्र भूमि दी जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना एकत्र न होने के क्या कारण हैं और सूचना आने के बाद सदन की मेज पर वह सूचना रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वह सदन की मेज पर तो रखी ही जायगी, पहले भाग का उत्तर आप दे दें कि क्यों देर हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, वह प्रश्न ही अपने आप उत्तर है कि क्यों देरी हो रही है ? सन् ५२ से ५६ तक कितनी भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की गई और उसमें कितनी पर इमारत बन गई है, कितनी अभी खाली पड़ी हुई है, उसका सबका हिसाब लगाना पड़ेगा और दूसरा तो और भी ज्यादा है कि कितने प्रार्थना-पत्र दिये गए, उसमें कितने काश्तकार प्रभावित हुए तथा उनके जीवन यापन के लिए क्या अन्यत्र भूमि दी जा रही है या नहीं ? तो इतना व्यापक यह प्रश्न है श्रीमन्, और इसके उत्तर में समय लगेगा ही।

जेल विभाग में भ्रष्टाचार संबंधी श्री एस० एम० सलीम का शिकायती-पत्र

*२९--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १९५८-५९ में भूतपूर्व जेल व समाज कल्याण मंत्री के चार्ज लेने के कुछ समय बाद आदर्श कारागार, लखनऊ के भूतपूर्व अधीक्षक श्री एस० एम० सलीम ने जेल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र सम्बन्धित मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें थीं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--विभागीय कर्मचारियों द्वारा सरकार को लिखे गए पत्रों का ब्योरा देना जनहित में न होगा क्योंकि इसका कर्मचारियों की अनुशासनवृत्ति तथा morae पर अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा। श्री सलीम की शिकायतों पर पूछताछ करने के बाद किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री सलीम ने जो-जो शिकायतें कीं उनमें से कुछ वह शिकायतें भी थीं जिनके बारे में सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व सी०आई०डी० की जांच होने का हुक्म दिया था, लेकिन वह जांच अभी पेंडिंग है, हुई नहीं ?

डाक्टर सीताराम—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि सलीम साहब ने जो शिकायतें की हैं वह मेरे पत्र में भी उद्धृत की गई हैं और सरकार ने उसमें सी० आई० डी० की जांच का आर्डर कर दिया है ?

डाक्टर सीताराम—वह दूसरे कांटेक्स में हो सकती हैं। लेकिन सलीम साहब ने जो अपने सर्वोच्च कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें की हैं वह सब निराधार पायी गईं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब किसी सरकारी अधिकारी के पत्र पर वह कोई जांच करने को तैयार नहीं होती तो इसमें जांच की गई या नहीं की गई और यदि की गई तो किसने की ?

डाक्टर सीताराम—सरकारी कर्मचारियों ने की और जांच करने के बाद वह सब आरोप निराधार पाये गये, बल्कि उल्टे मिस्टर सलीम के कैरेक्टर रोल में बैड एन्ट्री कर दी गई कि उन्होंने गवर्नमेंट सवेंट्स रूल्स को ब्रेक करके गवर्नमेंट को पत्र लिखा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जांच उन्हीं अधिकारियों ने की जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे ?

डाक्टर सीताराम—नहीं, डी० आई० जी० ने की।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सलीम ने जो शिकायतें की थीं उनमें यह भी शिकायत थी कि उस जेल में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जिसकी दूकान लखनऊ शहर में चल रही है और उसमें १६ हजार रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सलीम ने जो शिकायत की थी वह अपने से ऊंचे अधिकारियों की की थी और उसमें सेक्रेटेरिएट की भी शिकायत थी और आई० जी० प्रिजन्स की भी थी और उन्हीं लोगों के द्वारा जांच कराई गई जिनके खिलाफ शिकायत थी ?

डाक्टर सीताराम—सलीम साहब ने जो भी शिकायतें की थीं वह बिलकुल निराधार पायी गईं और यही कारण है कि निराधार पाने के बाद शासन ने उनके कैरेक्टर रोल में बैड एंट्री कर दी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जिनके खिलाफ, जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत उन्होंने की थी उन्हीं के द्वारा यह जांच कराई गई या दूसरे ने की ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि डी० आई० जी० के द्वारा।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि सलीम साहब ने जब आई०जी० के खिलाफ और सेक्रेटेरियट के बड़े अफसरों के खिलाफ शिकायत लिखी थी तो फिर डी० आई० जी० से जांच क्यों कराई गई ?

डाक्टर सीताराम---इसलिये कराई गई कि डी० आई० जी० के खिलाफ कोई उसमें चार्ज नहीं था।

श्री प्रतापसिंह---अभी मंत्री जी ने कहा कि सलीम साहब ने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल्स के खिलाफ काम किया इसलिये उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री की गई, तो क्या माननीय मंत्री जी अपनीयाददाश्त ताजा करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना पद संभालते हुये यहां के कर्मचारियों से यह कहा था कि यदि कर्मचारी बिना किसी हिचक के किसी विभाग के बारे में खराबी बतलायेंगे तो उस पर कार्यवाही होगी ताकि शासन का काम ठीक चल सके। मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सलीम साहब के करैक्टर रोल में एंट्री क्यों की गई?

श्री अध्यक्ष---उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अभी मंत्री जी ने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा है कि किसी एम० एल० ए० की शिकायत होने पर जांच करने के लिये जेल विभाग के अतिरिक्त दूसरे विभाग के द्वारा जांच कराना स्वीकार किया तो ऐसी स्थिति में किसी ऐसी शिकायत पर, जो उच्च अधिकारी के विरुद्ध हो, उसकी जांच वह दूसरे विभाग के अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

उन्नाव जेल की जांच

*३०---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या डी० आई० जी० व आडिटर ने फरवरी-मार्च, १९६१ में उन्नाव जेल की जांच की थी? अगर हां, तो उसके हिसाब में क्या गड़बड़ी पाई गई ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । डी० आई० जी० ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उनका बताना इस स्टेज पर जनहित में न होगा क्योंकि अभी उनकी पुष्टि होना शेष है ।

श्री गौरीशंकर राय---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज जेल मुहकमे के मंत्री द्वारा जितने जवाब दिये जा रहे हैं उनमें हर सवाल का यही उत्तर आया कि इस चीज का बताना जनहित में नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस जनहित की क्या सीमा होगी ? हर चीज के लिये यही डिफेंस लगा हुआ है । भ्रष्टाचार और चोरी के मामलों में भी जनहित लगा हुआ है। आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे उचित उत्तर मिल सके और हर उत्तर में इस तरह से जनहित का प्रयोग न हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि नियमावली के अन्दर आपको डाइरेक्शन देने का अधिकार है । इसलिये जनहित क्या हो इसके लिये अगर आप उनको डाइरेक्ट कर दें तो जवाब देने में उनके लिये बड़ी सहूलियत होगी।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मंत्री को इस बात का अधिकार है कि किसी चीज को जनहित में समझकर वह न बतलायें। उसके लिये मुझे डाइरेक्शन देने का अधिकार नहीं है। जनहित में वह बताना नहीं चाहते। लेकिन यह अवश्य है कि अगर कोई जनहित में प्रश्न पूछता है तो उनको समझ कर उत्तर देना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या गबन को दबाना भी जनहित में आ जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसमें उन्होंने कहा है कि, "जी हां, डी० आई० जी० ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उनका बताना इस स्टेज पर जनहित में नहीं होगा क्योंकि अभी उनकी पुष्टि होना शेष है।" इंक्वायरी के दौरान में उन्होंने कहा कि बताना ठीक नहीं होगा।

श्री गौरीशंकर राय---मेरे व्यवस्था के प्रश्न में एक बात है। यहां पर सवाल हुये और उन सवालों के जवाब में एक में भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उनको जनहित में न बताने का पूरा अधिकार है लेकिन क्या आपके पास कोई रेमिडी है कि अगर अधिक से अधिक मिनिस्टर सब जवाबों में यह कहें कि जनहित में बताना ठीक नहीं होगा तो उसका क्या सेफगार्ड है कि सदन को आप जानकारी करा सकें?

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि जिसकी इंक्वायरी हो रही है उसी का उन्होंने जवाब दिया है कि जनहित में उसको बताना इस स्टेज पर उचित नहीं होगा। तो जब इंक्वायरी हो रही हो तो मैं क्यों दखल दूं ? आप प्रश्न चाहें तो पूछें।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि होना शेष है इसलिये जनहित में बताना उचित नहीं होगा; लेकिन इस जेल का हिसाब किताब जब आडिटर ने कर लिया है तो उसकी पुष्टि करने का प्रश्न नहीं उठता। आडिटर ने हिसाब किताब की जांच की तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि डी० आई० जी० ने जो रिपोर्ट पेश की है और जिस कर्मचारी के बारे में उन्होंने लिखा है जब तक उसका एक्सप्लेनेशन आई० जी० न मांग लें, और मांगने के बाद उसका फैसला न कर लें तब तक इस हाउस को किस तरह उसे बतलाया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जब पुष्टि हो जायगी और उस पर निर्णय ले लिया जायगा उसके बाद जो उस पर कार्यवाही होगी उसको यहां जनहित में सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---अगर आवश्यकता पड़ी तो यहां पर वह सबमिट की जायगी और अगर आवश्यकता न होगी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि यह गड़बड़ी गबन संबंधी थी या किस प्रकार की थी और यह कितने धन से संबंधित थी ?

डाक्टर सीताराम---जिसने शिकायत की थी वह खुद ४२० का कंविक्ट है। जो शिकायत उसने की है उसमें थोड़ी बहुत बातें पायी गयी हैं जिनके बारे में जांच हो रही है। लेकिन जो शिकायत करने वाला है वह खुद ४२० का कंविक्ट है इसलिये उसकी सारी बातें हम कैसे सही मान लें ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया कि जनहित में हम बहुत सी बातें बतलाना नहीं चाहते, लेकिन जो शिकायत करने वाला है उसे पहले से ४२० कह देना कहां तक जनहित में होगा ? जांच हो रही है, परिणाम निकला नहीं है, लेकिन पहले से ४२० उसे कह दिया गया। इसके अतिरिक्त जो रुपये का प्रश्न पूछा गया कि कितने का मामला है, उसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने ४२० के बारे में यह नहीं कहा कि यह उनकी राय है।

डाक्टर सीताराम---राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह अपनी राय नहीं बतला रहे हैं। वह कहते हैं कि ४२० में वह कंविक्ट हो चुका है इसलिये उसकी रिपोर्ट पर जांच कराना कहां तक उचित होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो थोड़ी सी शिकायत सही पायी गयी वह क्या थी ?

डाक्टर सीताराम---जब तक उस बारे में उस अफसर का एक्सप्लेनेशन न मांग लिया जाय तब तक उस बारे में हाउस को कैसे बतलाया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जैसा कि उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं वह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के बिलकुल विपरीत है। कहीं भी या हाउस आफ कामंस में ऐसे उत्तर दिये जाते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कानपुर में मादक वस्तुओं के आयात की शिकायत

*३१---श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री का ध्यान कानपुर सेंट्रल रेलवे के पार्सल क्लर्क की उस शिकायत की ओर आकर्षित हुआ है जो कि मार्च, १९६१ के तीसरे सप्ताह में तीन गांजे के पार्सलों की इक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा जांच करने में उपेक्षा करने पर वहां के जिला मैजिस्ट्रेट से की गई थी और उनकी आज्ञा से उनके खोले जाने पर उनमें कई हजार रुपयों का गांजा बरामद हुआ था ?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*३२---श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री के पास हाल में इस आशय की भी शिकायतें आई हैं कि कानपुर में मादक वस्तुओं का रेलों, ट्रकों, मोटरों, बसों आदि से रोजाना प्रचुर मात्रा में आयात होता है और उसका सेवन करने वाले शहर में खुले आम नशे की हालत में घूमते रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जेल के सोशलिस्ट बन्दियों के विरुद्ध रिपोर्ट

*४---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २७ जुलाई, १९६० को सीतापुर जेल में जो हादसा सोशलिस्ट बंदियों के साथ हुआ था क्या उसके संबंध में सुपरिंटेंडेंट जेल ने कोतवाली, सीतापुर में सोशलिस्ट बंदियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट लिखायी थी ? यदि हां, तो किस दिन, किस समय, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध और किसके द्वारा ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

२८ जुलाई, १९६० को सायंकाल ८-३० बजे अधीक्षक जेल ने एक लिखित रिपोर्ट ६ सोशलिस्ट बंदियों के विरुद्ध की थी।

*५---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि उपर्युक्त रिपोर्ट जिलाधीश सीतापुर तथा स्थानापन्न आई० जी०, जेल के घटनास्थल पर जाने के बाद ही लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या इन दोनों अफसरों के मशविरे से यह रिपोर्ट लिखायी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, किन्तु जिलाधीश के मशविरे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, रिपोर्ट लिखाने का निर्णय कारागार अधीक्षक ने किया। स्थानापन्न कारागार महा निरीक्षक को उन्हीं ने सूचना दी कि वह रिपोर्ट लिख रहे हैं। उक्त अधिकारी ने ऐसा करना उचित बताया, रिपोर्ट के मजमून आदि के संबंध में उनके मशविरे की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

*६---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त घटना की रिपोर्ट जिलाधीश सीतापुर को कब, कहां और किसके द्वारा प्राप्त हुई थी तथा वह घटनास्थल पर किस समय पहुंचे ?

डाक्टर सीताराम---२७ जुलाई, १९६० को ही सायंकाल ६ बजे लखनऊ में गृह सचिव द्वारा इत्तला मिलने पर लगभग ९ बजे रात को घटनास्थल पर पहुंचे।

*७---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-९---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०---श्री विश्रामराय तथा श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[५ मई, १९६१ क लिये स्थगित किया गया।]

*११---श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जेल सुधार मूल्यांकन समिति

*१२---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० जेल रिफार्म्स इवेलूयेशन कमेटी कब व किन कारणों से बनी, इसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या थे तथा इसे क्यों भंग किया गया?

डाक्टर सीताराम---इस कमेटी की स्थापना १९ मई, १९६० को हुई थी और इसका उद्घाटन २२ जुलाई, १९६० को हुआ था। कमेटी बनाने का कारण १९४७ से जेल प्रशासन में चलाई गई सुधार योजनाओं से हुये लाभ का मूल्यांकन करना तथा जेल प्रशासन को और सुचारु रूप से चलाने के लिये सुझाव देना था। कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस की प्रति संलग्न है। कमेटी बन जाने के उपरान्त आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई। यह रिपोर्ट बहुत विस्तृत है और उसमें जेल सुधार संबंधी काफी सुझाव हैं। ये सुझाव शासन के विचाराधीन हैं। ऐसा विश्वास है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में हो शासन का काफी समय और पैसा लगेगा। यह भी उचित समझा गया कि जब तक इन सुझावों पर विचार करके उन्हें कार्यान्वित न कर लिया जाये तब तक और अधिक सुझाव न लिये जायें। इसके अतिरिक्त इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट २१ जनवरी, १९६१ तक देनी थी परन्तु कमेटी को और अधिक समय चाहिये था। अतः यह उचित समझा गया कि इस कमेटी को विघटित कर दिया जाये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४३ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और उसके बाद कितने दिन तक इस परिपूर्णानन्द कमेटी ने वर्क किया और क्यों ?

डाक्टर सीताराम---गवर्नमेंट आफइंडिया की रिपोर्ट अगस्त-सितम्बर के महीने में मिली थी सरकार को, उसमें बहुत से सुझाव भी थे जिन पर इस सरकार के कमेंट्स भारत सरकार ने मांगे हैं और जो शासन के विचाराधीन हैं। उस समय यह कमेटी करीब एक या डेढ़ महीने पहले बनी थी। फिर यह देखा गया कि यह कमेटी करीब ६ महीने में अपना क्वेश्चनेयर नहीं तैयार कर सकी है और यह भी देखा गया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो अपनी संस्तुति सब सरकारों को भेजी है और उस पर जो सिफारिशें सरकारों से मांगी हैं उन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम लागू करें तो काफी रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और ६ महीने में जब वे क्वेश्चनेयर नहीं तैयार कर सके और समय मांगा तो यह उचित समझा गया उस स्थिति में कि उसे भंग कर दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी की रिपोर्ट गुजिश्ता जुलाई में मिल गयी थी और उसमें सारी बातें आ गयीं थीं तो नयी परिपूर्णानन्द कमेटी क्यों फरवरी या मार्च तक कंटीन्यू रहने दी गयी और क्यों अब तोड़ दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष——वह जानना चाहते हैं कि परिपूर्णानन्द कमेटी फरवरी तक क्यों कायम रही, इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम——जनवरी तक उनका टर्म था और शासन ने उनसे उम्मीद की थी, कमेटी के चेयरमैन से, कि २९ जनवरी तक शासन के समक्ष वे अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। लेकिन उन्होंने शासन को लिखा कि उस कमेटी की अवधि और बढ़ायी जाय कम से कम ६ महीने, यानी जुलाई अगस्त तक। सरकार ने उनको १८ अप्रैल तक का समय और दिया कि वे १८ अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दे दें। उस पर चेयरमैन ने लिखा कि १८ अप्रैल तक रिपोर्ट देना संभव नहीं है, इसलिये उसे समाप्त कर दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल——क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने जुलाई, १९६० में यह कहा था कि इस कमेटी का काम बहुत बड़ा है और वह ६ महीने में पूरा नहीं हो सकता इसलिये उसकी मियाद ६ महीने के लिये और बढ़ायी जायगी ?

डाक्टर सीताराम——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भंग होने के समय तक परिपूर्णानन्द कमेटी ने कितना काम कर लिया था ?

डाक्टर सीताराम——जब उन्होंने प्रश्नावली ही तैयार नहीं की थी तो क्या जाना जाय कि कितना काम किया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह परिपूर्णानन्द कमेटी अपनी अयोग्यता के कारण भंग की गयी या यह देखा गया कि वह अनावश्यक थी इसलिये भंग की गयी ?

श्री अध्यक्ष——इसका तो जवाब दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि परिपूर्णानन्द कमेटी, जिसने ६ महीने में क्वेश्चनेयर तक तैयार नहीं किया, उस पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

डाक्टर सीताराम——१२ हजार रुपया उस कमेटी के लिये सैंक्शंड था, उसमें से कमेटी ने ४,००० रुपया खर्च किया था। अभी कुछ छोटे मोटे बिल्स और हैं जिनके बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है।

*१३-१४——**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**——[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बालिका विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के संबंध में आदेश

*१५——**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने मार्च, १९६१ में बालिका विद्यालयों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में शिक्षा अधिकारियों को कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो वे आदेश क्या-क्या हैं और उनको किन कारणों से दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, फरवरी, १९६१ में आदेश दिये गये। सम्बन्धित राजाज्ञा संख्या क१/५७८ /पन्द्रह २३२६/५९, दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें आदेश तथा इसके दिये जाने के कारण स्पष्ट हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४४ पर)

गोपाल आदर्श इन्टर कालेज, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*१६---श्री लखमीसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री चन्द्रजीत यादव---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ जिला स्थित श्री गोपाल आदर्श इन्टर कालेज के विरुद्ध वहां की क्षेत्रीय जनता की ओर से ७ मार्च, १९६१ का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र उनको तथा शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कालेज अधिकारियों के विरुद्ध क्या शिकायतें की गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं :

(१) छात्रों के साथ दुर्व्यवहार।

(२) हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति समय से न देना और काट लेना।

(३) अध्यापकों का चार-चार मास का बकाया वेतन न देना।

(४) रुपये का गोल माल।

[*१७---श्री लखमीसिंह तथा श्री चन्द्रजीत यादव---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त शिकायतों को प्राप्त करने के पश्चात् सरकार ने उस सम्बध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल के विरुद्ध बहुत दिनों से यह शिकायत है कि हरिजन छात्रों के लिये जो छात्रवृत्ति मिलती है वह उनको न मिल कर स्कूलों के लोग ही ले लेते हैं और यहां तक कि अध्यापकों के वेतन के बारे में भी यही शिकायत है? यदि हां, तो क्या वे इसकी जांच किसी विशेष अधिकारी द्वारा करायेंगे और उसकी कोई म्याद भी निर्धारित करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---अब पुरानी शिकायतों के बारे में तो कुछ कहना सम्भव नहीं है, लेकिन इस शिकायत की मूल प्रति फरवरी में प्राप्त हुई थी और ७ मार्च को माननीय सदस्य ने भी उसकी प्रति और एक पत्र भेजा था। अब उसके अनुसार शिक्षा निर्देशक को आदेश दे दिये गये हैं कि वे उस पर आवश्यक कार्यवाही करें और जांच करें।

श्री ऊदल---जो पहले दरख्वास्त मिली थी उसकी जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब अधिकारी जांच करते हैं तो उस व्यक्ति से जो शिकायत करते हैं उनसे कोई पूछ-ताछ नहीं करते, इस प्रकार के आदेश देंगे कि वे शिकायत करने वालों से, छात्रों से तथा जनता से भी इस संबंध में पूछताछ करें ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो सही है, लेकिन जो स्कूल है वह तो असरकारी स्कूल है, इसलिये उसकी जांच तो उन लोगों से ही होगी।

श्री अध्यक्ष—वे यह पूछ रहे हैं कि आप इस तरह की कोई हिदायत उनको देंगे ? उनका कहना है कि जो शिकायत करते हैं उनसे पूछताछ नहीं की जाती।

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी हिदायत दे देंगे ताकि उसकी जांच ठीक तरह से हो, यह ठीक है।

*१८—**श्री कोतवाल सिंह भदौरिया**—[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—**श्री अमरनाथ**—[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।

परिवहन विभाग, लखनऊ क्षेत्र में ए० टी० आई० लोगों के चेकिंग स्टेटमेण्ट

*२०—**श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जून, १९५८ में लखनऊ रीजन (परिवहन विभाग) के जनरल मैनेजर को उक्त रीजन के सभी ए० टी० आई० लोगों द्वारा भेजे गये चेकिंग स्टेटमेंट प्राप्त हो गये थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि गत अक्तूबर की बाढ़ में सम्बन्धित कागजात नष्ट हो गए।

*२१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[२ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राजकर्मचारियों को शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार देने पर विचार

*२२—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री शिवराम** (जिला बिजनौर) **तथा श्री हिम्मतसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की यह नीति है या कोई ऐसी राजाज्ञा है कि कोई राजकर्मचारी किसी प्राइवेट स्कूल या कालेज की मैनेजिंग कमेटी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगर कोई राजाज्ञा नहीं है तो क्या कोई डाइरेक्शन इस संबंध में है कि कोई भी सरकारी आदमी या इस सचिवालय का आदमी किसी शिक्षा संस्था का मैनेजर न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में न कोई राजाज्ञा है और न कोई डाइरेक्शन है, किन्तु यह विषय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही उस पर निर्णय हो जायेगा।

टनकपुर से यातायात संबंधी शिकायतें

*२३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास २४ जनवरी, १९६१ से आज तक टनकपुर जिला-नैनीताल के नागरिकों व व्यापारियों को ट्रान्सपोर्ट की असुविधा होने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो कब और उस पर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मुजफ्फर हुसन—जी हां। ९ शिकायतें आई थीं जिनका ब्योरा संलग्न सूची में दिया है। आर० टी० ओ०, नैनीताल ने कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन के मैनेजर को इस मार्ग पर ट्रांसपोर्ट असुविधाओं को तुरन्त दूर करने के लिये गाड़ियों का प्रबन्ध करने के लिये आदेश दे दिये थे। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी से टनकपुर के लिये २० और ट्रकें भेजने के आदेश दिये तथा २२ ठेलों के अस्थायी परमिट भी दिये।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४५ पर)

*२४—२५—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बाल कल्याण

* २६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बाल-कल्याण को योजनाबद्ध करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किसी उच्च आयोग की स्थापना करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

* २७—श्री ऊदल—[८ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आगरा जिले के राजनीतिक पीड़ितों के विचाराधीन पत्र

*२८—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के कितने राजनीतिक पीड़ित ऐसे हैं जिनके प्रार्थना-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं तथा वे कब-कब से विचाराधीन हैं?

श्री मुजफ्फर हुसन—आगरा जिले के ६३ राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन है। उनका विवरण इस प्रकार है :—

सन् १९५९ के ९ आवेदन-पत्र।
सन् १९६० के ३८ आवेदन-पत्र।
सन् १९६१ के १६ आवेदन-पत्र।

* २९—श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—[५ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण निदेशालयों के एकीकरण पर विचार

* ३०—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों का एकीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—हरिजन कल्याण और समाज कल्याण निदेशालयों का एकीकरण अधिकारियों और कर्मचारियों पर होने वाले सरकारी व्यय में बचत करने के उद्देश्य से विचाराधीन है और उसका निश्चित समय अभी बताना सम्भव नहीं है।

* ३१—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त एकीकरण के फलस्वरूप किस-किस पद के कितने कर्मचारियों के सेवा मुक्त किये जाने की संभावना है?

आचार्य जुगलकिशोर—चूंकि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है अतः इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पूर्व कि मैं उस प्रश्न को उपस्थित करूं, मैं यहां की कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें लिखा है—

"किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।"

अब मैं प्रश्न १९ को और पढ़ना चाहता हूं—

"क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का माह अक्तूबर, १९६० तक लगभग पांच मास के वेतन का वितरण नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?"

यह १९वां प्रश्न है। इसका जवाब यह दिया गया कि "सूचना एकत्रित की जा रही है"। मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह प्रश्न दो बार स्थगित हो चुका है और जवाब भी गलत नहीं है लेकिन एक प्रकार से यह टालने की बात है। हर जिले में अंतरिम जिला परिषद् है, उसका दफ्तर है, इंसपेक्टर आफ स्कूल्स का दफ्तर है। अगर यह प्रश्न होता कि कितने स्कूलों और कालिजों में वेतन नहीं मिला है तब तो यह जवाब सही था, लेकिन यादव जी जैसे काबिल मिनिस्टर के होते हुए जो उत्तर दिया गया उससे अपोजीशन के राइट्स का हनन हो रहा है। मैं नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कुर्सी से ऐसी रूलिंग हो जिससे जवाब समय पर मिल सके और अगर विशेष स्थिति में संभव न हो तो वह हमें बतलायी जाय। इस प्रश्न के उत्तर में कौन सी ऐसी स्थिति है और किस चीज की सूचना एकत्रित की जा रही है ? यह तो टेलीफोन से ही मालूम किया जा सकता है !

श्री अध्यक्ष--आपने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। व्यवस्था का जो प्रश्न आपने उठाया कि १९वें प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया कि "अभी इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जारही है" और नियम के अनुसार यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे यानी वह यह बता सकते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है, एकत्रित हो रही है, तो यह उन्होंने बता दिया।

श्री प्रतापसिंह--आपका विवेक ?

श्री अध्यक्ष--वह उसके बाद है, "अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।" तो हम १५-१५ रोज दे देते हैं मंत्रियों को और फिर कार्यवाही में शामिल कर देते हैं।

श्री प्रतापसिंह--आपकी जो रूलिंग है वह शिरोधार्य है, लेकिन मुझे एक बड़ी भारी तकलीफ है। उनका उत्तर यह है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है"। हम मिनिस्टर को कम्पेल तो नहीं कर सकते, लेकिन टेलीफोन मंत्रियों के पास है। मेरा प्रश्न यह था कि तनख्वाहें मिलीं या नहीं मिलीं, वह टेलीफोन से आफिस में बैठे बैठे मालूम कर सकते हैं "हां" या "नहीं" में उत्तर। मैं उनके दफ्तर में जाकर मालूम कर सकता हूं। इस प्रकार से फिर क्वेश्चन आयेगा और फिर समय बरबाद होगा। तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये और आप कोई रूलिंग दे सकते हैं।

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अभी मैंने निवेदन किया था कि जो उत्तर वहां से आया वह संतोषजनक नहीं था और यह भी उत्तर में कहा गया कि १२ मई के पहले ही दे देंगे। जब संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तो उसके लिये विशेष प्रबन्ध किया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आजकल कैसा रवैया हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मौका नहीं है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं इलस्ट्रेट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं कोई समय नहीं लेने दूंगा, आप बैठें। और काम आगे का होना है।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रथम कार्य लेखा-संपरीक्षा प्रतिवेदन†

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रथम कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन जो माताटीला बांध प्रायोजना से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

१५ मार्च, १९५९ को नयी दिल्ली में आयोजित लोक लेखा समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री तथा लोक सभा सदन के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संबोधन में कहा था कि "यद्यपि इस बात को देखने के लिये कि धन का व्यय नियमानुसार किया जा रहा है, लेखा परीक्षा करना आवश्यक है, परन्तु इससे इस बात का पता नहीं चलता कि जो धन व्यय किया गया है उससे किस हद तक नतीजे प्राप्त हुये हैं"। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयोजना के सभी प्रयोजनों के लिये यह जरूरी है कि उपलब्धियां या जो कुछ भी किया जाय, उसकी लेखा परीक्षा की जाय, क्योंकि छोटी धनराशियों के पीछे चिन्तित होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है इस बात को भी उठाया जाना कि धनराशि किस प्रकार व्यय की जा रही है। बाद में उस सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि विभिन्न लोक-लेखा समितियों द्वारा अपने संबंधित सुझावों और साथ ही काम्पट्रोलर जनरल और राज्यों के आडीटर-जनरलों की सहायता से एक ऐसी प्रणाली का विकास करने के लिये उपाय और साधनों का पता लगाया जाय जिससे उपलब्धियों की लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया के बारे में समय-समय पर अपने विधान मंडलों के पास रिपोर्ट पेश कर सकें।

श्रीमन्, १९६०-६१ के लिये जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी गठित हुई उसको आपने भी यानी श्री आत्माराम गोविन्द खेर, अध्यक्ष, विधान सभा ने प्रत्येक विशिष्ट प्लान आइटम की परीक्षा करने की आवश्यकता बतलाई। आपने यह भी कहा कि वर्क आडिट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमों के अनुसार व्यय होना, और आपने समिति को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। आपके इस सुझाव के अनुसार समिति ने विनियोग लेखे, १९५८-५९ और आडिट रिपोर्ट १९६० में जो मदें दी हुई थीं उनमें से कुछ मदें छांटीं और वर्क आडिट करने का फैसला किया। महालेखापाल की राय से भी वर्क आडिट के दृष्टिकोण से पहले माता-टीला बांध का प्रोजेक्ट छांटा गया जिसके संबंध में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६० में था।

यह जो प्रतिवेदन आज हमारी समिति की ओर से प्रस्तुत हुआ है, मैं आशा करता हूं कि उसमें सदन पूरी दिलचस्पी लेगा और राज्य सरकार भी इस पर अमल करेगी। इस वर्क आडिट रिपोर्ट को सुधारने के लिये भविष्य में जो सुझाव दिये जायेंगे, समिति उनका स्वागत करेगी। समिति ने ४ अप्रैल, १९६१ को इस रिपोर्ट को स्वीकार किया।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रतिवेदन के तैयार करने में समिति को श्री सी० कोनार आई० डी० ए० एस० महालेखा-पाल उत्तर प्रदेश, श्री बी० एस० बी० राय, सहायक लेखा अधिकारी, श्री ह्वी एम० भिडे, आई० ए० एस०, सचिव, वित्त विभाग, श्री एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस०, सचिव, विधान मंडल, श्री डी० एन० मित्थल, सचिव, विधान सभा और श्री श्रीपति सहाय, अवीक्षक द्वारा दी गई सहायता के लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

समिति के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करने में विधान सभा सचिवालय और महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों ने जो कठिन परिश्रम किया उसकी भी समिति सराहना करती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को प्रतिष्ठा देते हुये मैं आपके द्वारा थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह अंग्रेजी में है, बल्कि अध्यक्ष का नोट भी अंग्रेजी में ही है। श्रीमन्, जब हमने हिन्दी भाषा मान ली है तो फिर कम से कम इस अंग्रेजी प्रति के साथ हिन्दी की प्रति भी होनी चाहिये बल्कि इसको मूलतः हिन्दी में ही होना चाहिये था। इस प्रकार से अंग्रेजी में प्रतिवेदन रखना सदन का अनादर करना है। इसलिये मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं। मेज पर मैंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह हिन्दी में ही है। प्रेस ने अंग्रेजी की रिपोर्ट पहले छापकर भेज दी है, हिन्दी वाली अभी छपी नहीं है। जैसे ही वह छप जायगी वह सदस्यों के सामने आ जायगी। चूंकि प्रतिवेदन अंग्रेजी में तैयार होता है इसलिये उसका छपाना भी आवश्यक है। वैसे मैंने सदन की मेज पर हिन्दी में ही प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष---मेनुस्क्रिप्ट मेरे पास हिन्दी में है। वह जैसे ही छप जायगा, आप लोगों को मिल जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, यह प्रतिवेदन मूल रूप से हिन्दी में तैयार होता है या अंग्रेजी में ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने हिन्दी में पेश किया है। अनुवाद साथ ही साथ हो जाता है। यह भी हो सकता है कि लिखने वाले अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा लिख सकते हों और फिर उसका हिंदी में अनुवाद कराते हों। लेकिन उसको अंग्रेजी में भी छापना पड़ता है क्योंकि महालेखापाल के पास अंग्रेजी में उसे भेजना पड़ता है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री गौरीशंकर राय जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है। इस संबंध में मैंने अखबार तो देख ही लिया है जिसमें वह चीज छपी है लेकिन सदन की कार्यवाही से भी उसका संबंध है, इसको भी मुझे देखना होगा। इसलिये मैं आज कोई फैसला नहीं दूंगा। अध्ययन करने के बाद सोमवार को इसके ऊपर मैं फैसला दूंगा कि प्रादर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है या नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह विषय है क्या ?

श्री अध्यक्ष---एक अखबार में छाप दिया गया है कि श्री चरणसिंह जी ने यहां कोई वक्तव्य दिया था। उसमें यह कहा गया था कि जालौन के कोई सदस्य हैं, शायद उन्होंने किसी ११० के मुलजिम को अपने घर में रखा और जमानत पर छुड़ा कर अपने बंगले पर रखा, कुछ इस प्रकार की चीज है। तो उसे मैं देख लूंगा, और उसके बाद यह आवेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अच्छा, चतुर्भुज शर्मा जी का है।

अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देने के विरोध में भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---श्री राम स्वरूप वर्मा ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा मांगी है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। यह अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में है। ३५ रुपये का प्रति मास के संबंध में। इस संबंध में श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है, जिसे मैंने नियम ५२ में स्वीकार किया है कि उधर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाय। वह यह है "आज उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक विधायक विधान भवन के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देने के विरोध में भूख-हड़ताल कर रहे हैं। यद्यपि यह ३५ रुपया प्रति मास का भत्ता पूर्णतया केन्द्रीय सरकार वहन करने को तैयार है फिर भी राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता न देने के कारण आज प्रदेश भर में उक्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।"

इस पर शिक्षा मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ थोड़ी सी सूचना अभी दे सकता हूं। अगर वक्तव्य के रूप में आप कहते हैं तो सोमवार को दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो सोमवार को दे दीजिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---इसी विषय पर कई आदमियों ने, हमने भी, नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है।

श्री अध्यक्ष---इस विषय पर झारखण्डेराय जी का भी है। मैं उसे भी मंत्री जी के पास भेज दूंगा। लेकिन पहले रामस्वरूप वर्माजी का आया, इसलिये मैंने उसे पढ़ दिया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि एक समाचारपत्र में भ्रामक छपे हुये समाचार के लिये हमने यह प्रश्न उठाया है। जो जानकारी आपने कराई, वह स्वयं और भ्रामक होगी, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरा सुना दें।

श्री अध्यक्ष---जब तक मैं उसे पूरा स्टडी न कर लूं तब तक पूरा नहीं पढ़ सकता हूं।

अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देने के विरोध में भूख हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी ने दफा ५२ के प्रश्नों के लिये अभी कहा कि कुछ सूचना वह दे सकते हैं। २८, ३० आदमी यहां आज-भूख हड़ताल कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में आन्दोलन होने जा रहा है। मंत्री जी सारी समस्या को जानते हैं और मुमकिन है कि उनकी कुछ बातों को मान लें, जिससे भूख-हड़ताल समाप्त होने में सहायता मिले और आन्दोलन न चलाना पड़े।

श्री अध्यक्ष---इस बात पर वह विचार कर लेंगे और अगर वह समझते हैं कि परिस्थिति को वह सम्भाल लेंगे तो मैं स्पेशल मौका दे दूंगा आज भी शाम तक, कि वह इस पर विचार करके या बातचीत करके कुछ कह सकें। इसमें कोई टेक्निकल डिफीकल्टी सामने नहीं आयेगी। लेकिन अगर वह आज किसी कारण से नहीं दे सकते हैं....

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—मैं शाम तक दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है।

सहकारी खेती को प्रोत्साहन न देने के संबंध में संकल्प† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कुंवर श्रीपालसिंह जी के संकल्प के संबंध में श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह भाषण दे रहे थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—वह नहीं बोलेंगे, मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वह यह है कि अपने ५ वर्ष के इस जीवन में मैंने आपसे कभी अतिरिक्त समय नहीं मांगा लेकिन इस विषय पर हो सकता है कि मैं कुछ अधिक समय लूं। चूंकि १० मिनट राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी के भी बचे हुये हैं, इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कम से कम ३० मिनट तक का समय तो दे ही देंगे।

श्री अध्यक्ष—मुझे इसमें विशेष आपत्ति नहीं है। विषय महत्व का जरूर है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्पना कीजिये कि मैं सर्वोत्तम गाय का धारोष्ण दुग्ध मिश्री मिलाकर आपको दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा संखिया या तो मैं स्वयं मिला दूं या किसी तरह से मिल जाय और आपके सचिव महोदय को यह बात मालूम हो कि इसमें संखिया मिला हुआ है और वह आपको दूध पीने से रोकें और मैं यह आग्रह करूं जोश के साथ कि यह दूध आपको पीना है, तो मेरा यह कार्य जितना उचित होगा उतना ही उचित वह जोश है जो हमारे समाजवादी साथियों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने में दिखाया है। समाजवादी साथियों का विरोध इस प्रस्ताव के संबंध में मेरी समझ में आता है, चूंकि यह कहा गया है कि मजहब के मामले में अक्ल का दखल नहीं है। लेकिन जोश मेरी समझ में नहीं आता। जोश का उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो मेरे दाहिने हाथ पर मेरे साथी और मित्र गेंदासिंह जी बैठे हुये हैं। उन्होंनें जोश में आकर कहा कि प्रस्ताव के हर शब्द का विरोध किया जाना चाहिये, हर पंक्ति का विरोध किया जाना चाहिये। प्रस्ताव में शामिल "सहकारी खेती" शब्द भी है। मुझे खुशी है कि गेंदासिंह जी इसका भी विरोध कर रहे हैं और जब वह यह कहते हैं कि हर शब्द का विरोध करना चाहिये। तो इससे यह मालूम होता है कि जोश में कुछ का कुछ कह जाते हैं।

यही बात हमारे दूसरे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, माननीय झारखण्डेराय जी की है। उनको मैं वैष्णव कम्युनिस्ट कहता हूं। वह शान्त स्वभाव के हैं। लेकिन उनको भी इस मामले में इतना जोश आगया कि सबसे पहले जो बात उन्होंने कही वह चोरों की, जयकाली माई की, कही। लेकिन यह बात वैसी ही है जैसी कि कम्युनिस्टों के मुंह से महात्मा गांधी की दुहाई जो कि स्वयं माननीय झारखण्डेराय ने उस दिन दी। तो मेरा कहना है कि यह जोश मेरी समझ में नहीं आता। मैं इस बात को तो मानता हूं कि सहकारिता का सिद्धान्त जरूर अच्छा है, प्राण-प्रद है, सभी इससे सहमत होंगे, लेकिन सहकारिता के सिद्धान्त के साथ कानूनी, सरकारी संचालन या सरकारी नियंत्रण मिला हुआ है, और इसलिये हम शामिल सहकारी खेती का विरोध करते हैं, तो उसके मानी यह नहीं है कि हम सहकारिता के सिद्धान्त का विरोध करते हैं लेकिन हम उसके जहर का विरोध कर रहे हैं। स्वेच्छापूर्वक शामिल सहकारी खेती हो तो वह मेरे विचारों के लोगों को भी मान्य है, संत विनोबा भावे जी को भी मान्य है। लेकिन

---

†१० मार्च, १९६१ को कार्यावाही से।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

यह जो शामिल सहकारी खेती हमारे यहां जारी की जा रही है वह स्वेच्छापूर्वक नहीं है। यह स्पष्ट है कि इसमें यह कहा जाता है कि जो लोग शामिल सहकारी खेती समितियां बनावेंगे उन्हीं को सरकार से सहायता और अनुदान मिलेंगे, उसमें प्रोफ़ेंस उन्हीं को दिया जायगा, यानी जो सुविधायें सहकारी समितियों को दी गयी हैं, वे उनसे अलग खेती करने वाले वंचित रहेंगे। उनको इस बात की सजा दे दी जायगी कि वे सहयोगी खेती में सम्मिलित नहीं हुये। अध्यक्ष महोदय, यह बोहरे की मार बड़ी भयानक मार होती है। रुपये से उनको वंचित रखना किसानों पर भारी दबाव डालना है। सत्याग्रह संग्राम में, मेरा और आपका अथवा उन सभी लोगों का जिन्होंने उसमें भाग लिया, यह अनुभव है कि हमारे साथी जेल से नहीं डरते थे, गोलियों से नहीं डरते थे लेकिन ज्यों ही जुरमाना शुरू हो जाता था सत्याग्रहियों का आना बन्द हो जाता था। इसलिये कि यह रुपये की मार बड़ी भयानक मार है। इसलिये इस दबाव के होते हुये यह कहना कि स्वेच्छा से सहकारी खेती होगी, यह भ्रम है। इस माने में मैंने कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है और इस जहर के हम विरोधी हैं और जब इसका इस जोश के साथ विरोध होता है तो कुछ दाल में काला मालूम पड़ता है।

इस शामिल सहकारी खेती से हानि होगी, उत्पादन बढ़ने के बजाय घटेगा और जनतंत्र की भावना बढ़ने के बजाय इससे मिटेगी, इन सब बातों पर बड़ा विद्वतापूर्ण और युक्तियुक्त भाषण तर्क संगत ढंग से माननीय श्योपाल सिंह का हो चुका है, इसलिये मैं उसमें अपना समय बरबाद नहीं करूंगा। लेकिन इसकी अव्यावहारिकता की ओर मैं माननीय सदस्य, सरकार और जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

इस सहकारी खेती को सफल करने के लिये हमें पहले इस बात पर विचार करना होगा कि हमारे प्रदेश और देश में इस सहकारिता आन्दोलन की पिछले ५०–६० वर्षों में क्या प्रगति हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो विशेषज्ञ सहकारिता की प्रगति का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जो सहकारिता का आन्दोलन है उसका इतिहास विफलताओं का इतिहास है, वह विफलताओं के खंडहरों से भरा हुआ है। यह सरकारी विशेषज्ञों की राय है जो सरकार की ओर से नियुक्त किये गये थे। यह भी दूर की बात हो सकती है लेकिन इसी सदन में जब जब सहकारिता के बारे में प्रश्न किये जाते हैं तो सरकार की ओर से यह उत्तर दिया जाता है फलां-फलां सहकारी समिति में गबन है या गड़बड़ी है। पुरानी बातों को जाने दीजिये, कल ही दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय मदन पांडेय जी के नत्थी (ख) में चार प्रश्न थे १७, १८, १९, २० गोरखपुर जिला सहकारी बैंक और फेडरेशन के संबंध में कि वहां बहुत गड़बड़ी हो रही है। दूसरा प्रश्न माननीय राम सुन्दर जी पांडेय का था वह नम्बर १४ पर था नत्थी (ग) में। उसमें भी यह कहा गया था कि अवैध ढंग से कुंए की तकावी वसूली की गई है या नहीं। इसके अतिरिक्त जैसी हमारे शासन की मशीनरी है उसके संबंध में भी रोजाना शिकायत आती रहती है। यह सभी जानते हैं कि प्रशासन की मशीनरी में निष्काम भाव से जनता की सेवा करने की भावना नहीं है लेकिन कुछ हद तक इस तरह की भावना पायी जाती है कि वेतन भत्ते के अलावा भी जनता से किसी प्रकार रुपया ऐंठ कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके तो अच्छा है। अपने प्रश्न के दौरान में माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने पूछा कि क्या माननीय मंत्रीजी को कुंये की तकावी के अवैध ढंग से वसूल किये जाने की शिकायत की गई थी? इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि उनके पास शिकायत मौजूद है, इसलिये उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। और परसों २६ तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से उपमंत्री यादव जी ने स्वीकार किया था कि एक जिले में जिन किसानों को खाद नहीं दी गई, उन किसानों को भी झूठी पर्चियां दे दी गयीं कि हमने तुमको खाद दी है और उसके रुपये की वसूली करेंगे। जांच से यह बात सही पायी गयी और

उनकी वसूली रोक दी गई तथा और मामले में भी इसकी जांच हो रही है । तो जहां अधिकारी इस प्रकार के काम करते हों उन अधिकारियों के हाथ में किसानों की जीविका और किसानों के खेतों को दे देना कहां तक लाभप्रद है और उसका क्या परिणाम होगा इस पर सब लोग अच्छी तरह से विचार कर लें कि यह कहां तक व्यावहारिक होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि हमारे कृषि मंत्री से जब सदन में एक सवाल किया गया कि सरकार किसानों के लिये फसल की बीमा योजना क्यों नहीं जारी करती तो उन्होंने इसके तीन कारण बतलाये थे । एक कारण तो यह बतलाया कि यह देश धनी नहीं है, दूसरा कारण यह बतलाया कि यहां के किसान पढ़े लिखे नहीं हैं और तीसरा कारण यह बतलाया कि यहां के किसान ईमानदार नहीं हैं । तो हमारे कृषि मंत्री महोदय जो सरकार के एक स्तम्भ हैं, इस बात को मानते हैं कि किसानों के बेपढ़े लिखे होने की वजह से, किसानों के ईमानदार न होने की वजह से किसानों की फसल बीमा योजना को वे जारी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह अव्यावहारिक है, जब कि सभी दल के सदस्य इस योजना से सहमत हैं । तो ऐसे बे पढ़े लिखे किसानों के लिये जो कि ईमानदार भी नहीं हैं, यह शामिल सहकारी खेती की योजना कैसे व्यावहारिक हो जायगी, यह मेरी समझ में नहीं आता । जिनकी समझ में आता हो वे मुझे समझाने की कोशिश करें तो यह दूसरी बात है ।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि हमारे देश की इन परिस्थितियों में शामिल सहकारी खेती सहकारी खेती नहीं होगी बल्कि वह शुद्ध सरकारी खेती होगी । शामिल सहकारी खेती के बजाय वह ऐसी शुद्ध सहकारी खेती होगी जिसका मालिक तो सरकार होगी और जिन किसानों के खेत हैं वे उसके गुलाम होंगे । शामिल सहकारी खेती का संचालन करने वाले सरकारी कर्मचारी तो उसके मालिक होंगे और किसान उन खेतों में मजदूरी करने वाले वैसे ही मजदूर होंगे जैसे कि कारखानों के अन्दर मजदूरी करते हैं । किसान खेतिहर मजदूर हो जायेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि किसानों के खेत छीन जायेंगे ।

मैं जानता हूं कि इस बात से इन्कार किया जायगा और कहा जायगा कि आर्थिक दबाव न डालकर स्वेच्छा पूर्वक हम यह करायेंगे । लेकिन अपने इस कथन के पक्ष में कि उनके खेत छिन जायेंगे, अपने प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक वक्तव्य की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो १० मई, ५९ को नयी दिल्ली में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने दिया था। उनका वह भाषण देश के तमाम समाचारपत्रों में छपा और उसमें उन्होंने तीन बातें कहीं । पहली बात तो यह कि कौन कहता है कि हम किसानों के मालिक होने के विरुद्ध हैं ? हम तो इस बात के पक्ष में हैं कि किसानों का सहकारी स्वामित्व हो ।

इस बात को जाने दीजिये, दूसरी बात उन्होंने कही—कौन कहता है कि किसान शामिल सहकारी खेती समितियों को नहीं छोड़ सकेंगे ? जब चाहें तब नहीं छोड़ सकेंगे, तीन साल तक नहीं छोड़ सकेंगे, तीन साल के बाद छोड़ सकेंगे । तो ऐसी यह स्वेच्छा है कि तीन साल तक जबरदस्ती उनके ऊपर यह लाजिमी दबाव होगा कि तीन साल उसमें रहें और तीन साल के बाद छोड़ने पर उनको कौन से खेत दिये जायेंगे ? जो उनके खेत हैं वही नहीं दिये जायेंगे बल्कि कोई भी खेत दिये जायेंगे । यह आश्वासन कहीं नहीं दिया गया है कि किसान के जो अपने खेत हैं वही उनको वापस किये जायेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि गोयंड़ के बदले ऊसर खेत दिये जायेंगे और कहा जाता है कि स्वेच्छा पूर्वक वे उसमें शामिल हो सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं। अब इस सदन के माननीय सदस्य जो इधर और उधर के हैं वे इस पर अच्छी तरह से विचार करें कि यह कहां तक स्वेच्छा की बात है । और यह सदन के सदस्यों की और प्रधान मंत्री जी की ही बात नहीं है बल्कि हमारे माननीय गोविंद सहाय जी ने इस सम्बन्ध में जो बात कही उस के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। हम सब जानते हैं और उस तरफ के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वह अपने को श्री ख्रुश्चेव के भी गुरु समझते हैं और वह समझते हैं कि फंडामेंटल वह ख्रुश्चेव साहब को भी समझा सकते हैं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह शामिल सहकारी खेती तो हमारा पहला कदम है हमारा असली मंशा तो सामूहिक खेती का ही है जैसा कि श्री झारखंडे राय जी और उन की पार्टी चाहती है। मैं उन को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल की इस बात को छिपाया नहीं और कांग्रेस पार्टी में रहते हुये यह कह दिया कि हमारा असली मंशा सामूहिक खेती का ही है और यह शामिल सहकारी खेती तो हमारा पहला कदम है।

श्री राम जी सहाय (जिला देवरिया)---वह कोई कांग्रेस के स्पोक्समैन नहीं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं इस बात के लिये माननीय रामजी सहाय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बात मान ली, और हमारी स्वतंत्र पार्टी की बात मान ली कि किसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में रह कर भी उसके खिलाफ अपनी स्वतंत्र राय दी जा सकती है। श्री राम जी सहाय भी इस के पक्ष में नहीं हैं, जो अधिकार उन्हें है वह तो उन को भी है, जितना मैं उनको मानता हूं इन को भी मानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं अब असली बात पर आता हूं और वह बात यह है कि माननीय गोविंद सहाय जी ने बताया कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, इस से तो कांग्रेस पार्टी और श्री राम जी सहाय भी इन्कार नहीं करेंगे कि समाजवादी समाज की स्थापना करना उन का ध्येय है। समाजवाद के बारे में एक बात मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मार्क्सवाद या वह समाजवाद केवल शहरों का समाजवाद या मजदूरों का समाजवाद है और वह योरप का समाजवाद है लेकिन वह किसानों और गांवों का दुश्मन है। जर्मनी में जहां मार्क्स पैदा हुये और इंगलैन्ड में जहां उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखीं इन दोनों देशों में ८० प्रतिशत मजदूर हैं और केवल २० प्रतिशत किसान हैं। वहां की नीति मजदूरों की नीति है किसानों की नहीं, शहरों की नीति है गांवों की नहीं। इतना ही नहीं जो क्रांतिकारी प्रक्रिया मार्क्स ने बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि अन्त में दो ही वर्ग रह जायेंगे, एक मजदूर वर्ग और दूसरा पूंजीवादी वर्ग, किसान और मध्यम वर्ग कहां जायेंगे ? वह खत्म हो जायेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि हमें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिये कि ऐसा अपने आप ही हो जायगा बल्कि हमें ही इस प्रक्रिया की प्रगति को बढ़ाना है, हमें इन वर्गों का लिक्वीडेशन करना है, मध्यमवर्ग और किसान वर्ग को खत्म करना है और समाजवाद की इस प्रक्रिया को जिसमें मध्यम वर्ग और किसान वर्ग का खात्मा होगा उसको श्री गोविंद सहाय जी ने सामूहिक खेती की बात कह कर स्पष्ट कर दिया।

सन् १९३१-३२ में मैं जब आप के साथ लखनऊ जिला जेल में था तब एक किताब पढ़ी थी उसका नाम था "लेनिनिज्म बाई स्टेलिन"। "लेनिनवाद" उस का हिन्दी में नाम था। उसके तीसरे अध्याय में उन्होंने लेनिन की कृषि नीति के विषय में लिखा है और बताया है कि लेनिन ने अपनी कृषि नीति को ३ भागों में बांटा है। उनका कहना है, कि पहले तो बड़े छोटे सब किसानों और मजदूरों को सब को साथ लेकर जमींदारी को खत्म करो। जब जमींदारों को खत्म कर लो तब छोटे किसानों को और खेती के मजदूरों को लेकर बड़े किसानों को खत्म करो और जब बड़े किसानों को खत्म कर लो तब छोटे किसानों को खत्म करके सबको खेती का मजदूर बना दो। यह उस पुस्तक में लेनिन की नीति स्टेलिन जैसे अधिकारी की लिखी हुई है और इसलिये यह उसी का अंग हमारे देश में पूरा किया जा रहा है। जमींदारों का खात्मा हो चुका। सीलिंग लागू करके बड़े किसानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है और शामिल सहकारी खेती छोटे किसानों को भी खेती का मजदूर बनाने के लिये है। इसलिये मेरा कहना है कि योजना केवल शामिल सहकारी खेती की ही नहीं है, यह धोखा है। यह असल में किसान वर्ग को और गांवों को नष्ट करने वाली है। औद्योगिकरण के माने ही हैं कि गांव उजड़ें और शहर आबाद हों। संसार में जहां कहीं भी औद्योगीकरण हुआ है वहां शहरों की आबादी आधी से ज्यादा ८० प्रतिशत तक हो गई है। मैं किसी देश का नाम जानना चाहता हूं जहां औद्योगिक

करण पूर्ण रूप से हो और वहां गांवों की आबादी ज्यादा हो। वहां गांव नष्ट होते हैं और किसान नष्ट होते हैं। तो उस योजना को मैं इस तरह से मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह केवल शामिल सहकारी खेती की ही योजना है।

यह भी साफ साफ कहा गया है कि हमारा उद्देश्य समाज में मूल परिवर्तन करना है, आमूल परिवर्तन करना है। समाज मे मूल या आमूल जो भी परिवर्तन हो वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मालूम यह होना चाहिये कि परिवर्तन क्या है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना है। तो मूल परिवर्तन यह करना है कि देश को समाजवादी बना देना है। समाजवाद में, सब कोई जानता है, भौतिकवाद और जीवन स्तर को बढ़ाना यही जीवन का धर्म हो जायगा और यही जीवन का सर्वस्व हो जायगा। उसमें आध्यात्मवाद के लिये कोई जगह नहीं है। साथी जयप्रकाशनारायण ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि समाजवाद के द्वारा, मार्क्सवाद के द्वारा नैतिक मानव और नैतिक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि समाजवाद का परिणाम यह होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे देश में और प्रदेश में कम्यूनिज्म का जन्म और सोशलिज्म का जन्म और दोनों का विकास मेरे जीवन-काल में हुआ है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। जब से मेरठ बोलशेविक कांस्पिरेसी केस चला तब से मैं उसे जानता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम है कि एक समय था हमारे कम्युनिस्ट साथी डिक्टेटरशिप आफ दि प्रालीटेरियट, सर्वहारा की तानाशाही से कम की कोई बात ही नहीं करते थे और जो लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे उनके लिये मजदूर वर्ग का दुश्मन, क्रांति का दुश्मन और प्रतिक्रियावादी आदि तमाम अच्छे अच्छे विशेषण लगाया करते थे। लेकिन मैंने यह भी देखा कि समय बदला और अब सर्वहारा की डिक्टेटरशिप की बात तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहनी बन्द कर दी। इसके बाद उन्होंने यह भी कर दिया कि पहले रूस की नीति पर चलते थे तो १९५२ में कहा कि अब माओ की नीति पर चलेंगे। अब कुछ कुछ यह हो रहा है कि भारत की नीति पर चलेंगे। चार-पांच साल हुये नम्बूदरीपाद ने भी कहा कि अगर कम्युनिस्ट भारत में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपना कार्यक्रम गांधी के अनुकूल बनाना भारत के अनकूल होगा और विजयवाड़ा मे चीन और भारत की सीमा को लेकर जो हुआ वह सबको मालूम है और अब तो यह तय किया गया है कि कांग्रेस सरकार की प्रोग्रेसिव पालिसी को हम डिफेंड और स्ट्रेन्थन करेंगे। यह खुशी की बात है कि पीपुल्स वार और चीन के बारे में, बार्डर के बारे में अजीबोगरीब खयाल रखने वाले अब कांग्रेस को मजबूत करेंगे इसलिये क्योंकि कांग्रेस उनकी नीतियों का पालन कर रही है, उनके कामों को पूरा कर रही है, इसीलिये कम्यूनिस्ट कहने लगे हैं कि हम उनकी कांग्रेसी सरकार की नीतियों को बढ़ावा देंगे और उनका समर्थन करेंगे, डिफेंड करेंगे, स्ट्रेन्थन करेंगे।

अब रही कांग्रेस सोशलिस्ट की बात। सोशलिज्म के सम्बन्ध में मैंने जिन साथी जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया उन्होंने १९३५-३६में लिखा था (Why markism alone) मार्क्सवाद ही क्यों? और १६ वर्ष के अनुभव के बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी" (Why Sarvodaya alone) सर्वोदय ही क्यों? और फिर बात आयी १९५३-५४ की कि गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय होना चाहिये। और आचार्य नरेन्द्र देव जी ने बहुत दिनों के बाद कृपा कर यह वक्तव्य दे दिया कि समन्वय हो सकता है लेकिन वह मार्क्सवाद के आधार पर होना चाहिये। मुझे कोई एतराज नहीं समन्वय करना शरू करें। और सही समन्वय करेंगे तो देखेंगे कि वह गांधी मार्ग के आधार पर ही हो सकता है। तो यह विकास हो रहा है और इस विकास के होते हुये मैं इस बात का विश्वास करता हूं और अपने साथियों से निराश नहीं हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब गांधी के भारत के अनकूल कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी नीति बनाने में और गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय प्रजा सोशलिस्ट करेंगे तो आखिर में वह इस बात पर आ वेंगे जैसा अब तक विकास करते आये हैं, तो वह गांधी मार्ग को स्वीकार करेंगे और शामिल सहकारी खेती के विरोध के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष---(सहकारिता मंत्री से) आप २५ मिनट बोल सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं इंटरवीन कर रहे हैं। तभी तो २५ मिनट दे दिये और जवाब के लिये १५ मिनट दिये जायेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर एक दिन पूरी बहस हो चुकी है और आज भी इस पर बहस जारी है और शायद बहुत देर तक जारी भी रहेगी। मैं कुछ अपनी राय इसके बारे में माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी टीका-टिप्पणी हुई है और उसमें ३,४ चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है।

एक तो यह कि पैदावार ऐसे मुल्कों में, जहां कृषि का काम सोसायटीज बना कर हो रहा है कम हुई है, अधिक नहीं हुई है। इस बारे में दो रायें हैं। जो लोग बाहर गये हैं और जिन्होंने लिखा है उसमें कुछ लोगों ने बताया है कि काफी इसमें प्रगति हुई है, तरक्की हुई है और पैदावार बढ़ी है।

जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है उसमें जो औसत पैदावार हुई है वह १० मन से ज्यादा हुई है। औसत पैदावार हमारे देश की अभी तक १० मन से ज्यादा नहीं है और सहकारी कृषि सोसायटीज के जरिये से जो काम हुआ है उसमें औसत पैदावार जो हुई है वह १० मन से ज्यादा हुई है पर एकड़ तो कहने का मतलब यह है कि विदेश में जहां इस तरह की चीज चल रही है और जो हमारे यहां चल रही है उसमें जो आंकड़े मिले हैं उनमें अधिक आंकड़े ऐसे ही मिले हैं जिसमें पैदावार ज्यादा हुई है।

एक बड़ा भारी अन्तर है यहां की कृषि सहकारिता में और विदेशों में। यहां जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं उनकी राय से है। वह अगर इत्तफाक करते हैं तभी उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर नहीं तो हिस्सा लेने के लिये कोई मजबूरी नहीं है। और देशों में जहां इस तरह का कुछ कार्य किया गया है वहां कुछ मजबूरी भी उनके सामने रही है। इसलिये यहां यह सवाल पैदा नहीं होता। जो लोग उसमें हिस्सा लें उनको कोई रोका नहीं जाता। उनको बतलाया जाता है, उनको तरह तरह की इमदाद दी जाती है जिससे वह पैदावार बढ़ा सकें। आज मालूम नहीं किस तरह से लोग सोचते हैं। एक गांव का सर्वे किया गया था तो यह मालूम हुआ कि उसमें ९६ फैमलीज हैं। उन ९६ खानदानों में सिर्फ १४ खानदान ऐसे हैं जिनके पास ६ एकड़ से ज्यादा जमीन है। बाकी के पास ३,२ या १ एकड़ ही जमीन है। ऐसे काश्तकार जिनके पास १ एकड़ या २ एकड़ जमीन है तो इसके मान लेने में किसी को दिक्कत नहीं होगी कि उनके पास पर्याप्त साधन खेती के नहीं हो सकते, न उनके पास बैल होंगे, न अच्छा बीज हो सकता है, न अच्छी खाद हो सकती है और अगर बैल वगैरह खरीद भी लें तो इतना खर्चा पड़ेगा कि उनको आमदनी कभी हो नहीं सकती। लिहाजा जो बड़े बड़े खेतिहर हैं, हमारे उस तरफ बैठने वाले थोड़े से लोग हैं जो ४००,५०० हजार, दो हजार या चार हजार एकड़ जमीन पर खेती करते हों उनको जरूर तकलीफ होती होगी। लेकिन जो गांव के किसान हैं उनका परसेंटेज ज्यादातर छोटे काश्तकारों का है। वह छोटा काश्तकार और बड़ा काश्तकार मिल कर स्वयं अपनी मर्जी से अपने गांव की तरक्की करना चाहे तो जो साधन उनके पास हैं सब साधनों को इकट्ठा करके उन साधनों के जरिये से काफी पैसा ले कर न सिर्फ सहकारिता के जरिये से अपनी कृषि को चला सकते हैं बल्कि अपने गांव के तमाम मसले को हल कर सकते हैं। यह तभी मुमकिन है जब हम मिलकर काम करें।

सहकारिता के जरिये से जो गांव कामयाब हुआ है, अगर सूबे में घूम कर आप देखेंगे तो पायेंगे कि वहां सिर्फ एक खेती के बारे में ही कामयाबी नहीं हुई है, वहां उद्योग-धंधे भी अच्छे हैं, तरह-तरह के काम हुये हैं, वहां कुछ व्यवसाय भी किया गया है, कुछ रोजगार भी कर लिया है, क्रय विक्रय भी किया है और कुछ जगहों पर ऐसी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने बुड्ढे होने पर लोगों को पेंशन भी दी है। वे चार आने सेर दूध देती हैं, एक आने का अंडा देती हैं, खाने का सामान

सस्ता देती हैं। जो लोग और काम करते हैं उनके लिये अस्पताल भी खोल रखे हैं, स्कूल भी खोल रखे हैं क्योंकि वहां सहकारिता कामयाब हुई है और पैदावार उनकी बढ़ी है। एक ही तरह की पैदावार वे नहीं करते, तरकारी बोते हैं, फल बोते हैं। डिवीजन करके काम करते हैं। लेकिन अलग अलग २ बिस्वा, ४ बीघा, १ एकड़ या २ एकड़ की जो खेती करते हैं वे हर चीज के लिये अलग खेती नहीं कर सकते। आप चारागाह रखें। चारागाह के मानी यह समझ जात ह कि वहां घास भल ही न हो लेकिन जमीन छोड़ दी जाय। लेकिन सहकारिता वहां कामयाब होती है। ४ बीघे या १० बीघे में वे इतनी घास पैदा कर लेते हैं, नई-नई तरह की घास पैदा कर लेते हैं। पंजाब के लोग किस तरह से गाय व भैंस रखते हैं, यहां वह चीज जानते ही नहीं कि किस तरह से रखना चाहिये। दूध चाहते हैं लेकिन खिलाना न पड़े। तो जब सहकारिता के जरिये से वह गांव आगे बढ़ेगा तो उसके सारे मसलों के हल होने की व्यवस्था पैदा होती है।

आज हमारा देश आजाद हो गया है और हमने जनता की सरकार बनायी है। अब वैसी सरकार नहीं आने वाली है कि एक आदमी राज्य करे, उसके महल खड़े हों, सारी जमीन उसके नाम हो और कोई एक बीघे की खेती करता हो, कोई दो बीघे की खेती करता हो। जब हमने इस देश के अन्दर जनता का राज्य कायम किया है तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम गांव गांव को कैसे उभाड़ें, उसमें कैसे शक्ति पैदा करें जिससे कि गांव का हर मसला सहकारिता के आधार पर आगे बढ़ सके। हमारे देश में बहुत जमाने से अलग-अलग हर काम करने की व्यवस्था चली आ रही है। एक चीज थी वह भी खत्म होती जा रही है चूंकि कुछ ऐसे खयाल के लोग पैदा हो गये हैं जैसे कि हमारे स्वतंत्र पार्टी के लोग कि अगर पहले किसी घर में ५० या १०० आदमी होते थे तो सबकी खेती बारी, खाना पीना, सब कुछ एक में होता था और सहकारिता का एक चिन्ह उसमें मौजूद था। आज वह चीज गांवों मे भी खत्म होती जा रही है। आज न सिर्फ गांव की यूनिट्स को एक करके आगे बढ़ाने की जरूरत है बल्कि देश की सब यूनिट्स को एक कर के बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम दुनियां में एक उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सहकारिता न सिर्फ कृषि की पैदावार को ज्यादा बढ़ाती है बल्कि उद्योग-धंधों का भी पूरा इन्तजाम सहकारिता के जरिये से होता है।

यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में काम करने वाले लोग यदि अपने सारे काम स्वयं करने लगें तो हर साल एक गांव में १०,१५, २० हजार, जैसी जिसकी हालत हो, की बचत हो सकती है। आज बचत नहीं है और पहले तो बचत थी ही नहीं। अगर बचत थी तो सिर्फ जमींदारों के पास, जिनकी जमींदारी हमने खत्म की है, सब पहुंच जाया करती थी।

अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और अन्त में जो लोगों ने कहा है उस पर जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कमेन्ट भी करूंगा। ३१ मार्च, १९६१ तक ४५२ कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटीज़ हमारे यहां कायम हो चुकी थीं और १९५९-६० तक ४१५ थीं। उसमें ३११ सोसायटीज़ आमदनी पर चल रही थीं, घाटा नहीं था और न मुनाफा और २३ सोसायटीज़ ऐसी थीं जिनमें ५ हजार से अधिक आमदनी थी।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—कितनी जमीन थी उनके पास ?

श्री मंगलाप्रसाद—तफसील तो बताना मुश्किल है लेकिन आज जो आंकड़े निकलते हैं उनके हिसाब से ज्यादातर किसान जो काम करने वाले होते हैं वे घाटे में अपना रोजगार करते हैं। वे अपनी मजदूरी का कोई हिसाब नहीं लगाते। आज जो हमारी सोसायटीज हैं उनमें उनकी मजदूरी की वैल्यू लगायी जाती है, उसको देने के बाद जो बच जाता है उसको हम फायदा कहते हैं। ५ हजार की आमदनी के माने यह हैं कि उसमें मजदूरी दे दी गयी है, बीज का पैसा दे दिया गया है, कर्जे का सूद दे दिया गया है, ये सब चीजें देने के बाद जो बच जाता है वह आमदनी कही जाती है।

[श्री मंगलाप्रसाद]

वह ग्रास आमदनी नहीं है बल्कि इखराजात के निकालने के बाद जो बचता है वह आमदनी है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो फायदे पर चलती हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---जरा आप यह बता दीजिये कि आपकी जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी प्रति एकड़ उपज कितनी है और व्यक्तिगत खेती से अधिक हो रही है या कम हो रही है ।

श्री मंगलाप्रसाद---मैंने औसत बताया था शायद आपने सुना नहीं। दस मन से अधिक प्रति एकड़ औसत आमदनी सोसाइटियों की है । इसके मान हैं कि किसी जगह २५,३०,४० मन प्रति एकड़ भी होगी और जहां खराब जगह हैं वहां पर ५,४,३ मन प्रति एकड़ भी होगी । यह तो ऐसा है कि जैसे-जैसे आप तरक्की करते जायेंगे वैसे ही वैसे आपकी उपज भी बढ़ती जायगी । आपने देखा कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें ४१५ सोसायटीज थीं और आज ४५२ हो गई हैं। इतने दिनों में इतनी सोसायटियां बढ़ गई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं और इनकी पैदावार भी मैंने आपके सामने रख दी हैं । किसी जगह आप चलिये और देख आइये मैंने तो सब जगह जाकर देखा है । जहां पर ३५,४० मन प्रति एकड़ पैदावार होती है वहां के किसान पक्के मकान बना रहे हैं ।

इसी तरह के गांव सूबे भर में होने चाहियें और अगर ऐसे हो जांय तो बहुत अच्छी हालत हो जायगी । अगर एक जगह हो सकती है, दस जगह हो सकती है तो हिन्दुस्तान में सब जगह ऐसी हालत हो सकती है, जहां पर लोग मिल कर अपनी मर्जी से इसमें शामिल हों बशर्ते कि विघ्न डालने वाले न हों, टक्कर देने की कोशिश न करें और मिलजुल कर अच्छे से अच्छे आदमी ईमानदारी से काम करें तो यह चीज बराबर बढ़ती जायगी । इतना ही नहीं, एक बात और है कि जो मजदूर काम करते हैं उनके तीन ग्रेड होते हैं । मजदूरी देने के बाद उनको बोनस भी मिलता है क्योंकि पैदावार बढ़ाने में वह मददगार होते हैं 'बी' क्लास वालों को कम बोनस मिलता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत नहीं की जितनी कि करनी चाहिये थी । मजदूर जो काम करते हैं वह किसान भी होते हैं । अच्छे काम करने वालों को अपने रकबे की आमदानी का हिस्सा तो मिलेगा ही और जो काम किया है उसकी मजदूरी तथा बोनस मिलेगा । जहां शख्सी खेती होती हैं वहां चन्द लोगों को छोड़ कर आप यह देखेंगे कि घाटे में खेती करते हैं । काम नहीं है तो शौक में पड़ा हुआ है ।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये ।)

आप गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि लाखों एकड़ भूमि गायब हो जाती है इसलिये कि देखनेवाला नहीं होता । वह कट रही है और उसका कोई इंतजाम नहीं होता क्योंकि एक यूनिट नहीं है इसलिये किसी को चिन्ता नहीं होती । बुद्धू की या रंगई की कट गई तो किसी ने फिक्र नहीं की । अगर सहकारी खेती की जमीन ५०० एकड़ है तो सब मिलकर उसको दुरुस्त करेंगे और खेती करेंगे । इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो सूबे में करोड़, दो करोड़ एकड़ जमीन ऐसी होगी जो खेती में आ सकती है और आयन्दा खराब नहीं होगी । बाग लायक जमीन होगी तो बाग लगेगा, तरकारी लायक होगी तो तरकारी लगेगी और जैसी जमीन होगी वैसा ही फायदा उठाया जा सकता है । जब तक गांव की पूरी मांग न हो तब तक प्लान नहीं बन सकता है। जब तक पूरे गांव की तस्वीर सामने नहीं होगी और सामूहिक ढंग से मांग सामने नहीं होगी तब तक नक्शा नहीं बन सकता है और तब तक गांव का प्लानिंग ठीक तरह से नहीं हो सकता है। यह सोचिये कि जैसा मैंने कहा इस देश में किसानों में ७५, ८० फीसदी ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिये आमदनी पूरी नहीं होती। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि खेती के साथ और तरह-तरह की आमदनी होनी चाहिये, उद्योग-धंधे होने चाहियें। उद्योग-धंधों

को करवाने के लिये पैसा चाहिये। उसके लिये कोई और जरिया नहीं है, इकट्ठा करने के लिये, सिवा सहकारिता के, सहकारिता के ढंग से खेती करना, लेन-देन करना, उद्योग-धंधे करना, इन सब का एक मेल हो जाता है। संघे शक्ति—संघ में मिल कर दुर्गा की शक्ति पैदा होती है, उससे आप तरह-तरह की चीज ले सकते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह तो वह अमृत है, यह वह दूध है, दूध को अमृत ही कहते हैं, जिसमें अफसरों का जहर मिल जाता है। अब आप सोचिये चीज अच्छी है लेकिन अफसर अगर न मिलें तो ठीक रहेगा, अफसर अगर मिलेंगे तो जहर का काम करेंगे। तो ऐसा तरीका अख्तियार कीजिये जिससे जहर न मिलने पाये। अगर कहीं जरा-सी काम में खराबी हुई तो अफसरों को गाली दोगे, अफसर ने जांच नहीं की, यह नहीं किया, वह नहीं किया, और जहां वह काम में मदद करता है तो कहोगे कि इसका मदद करना जहर है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। एक कोआपरेटिव बिल आने वाला है उस पर राय कायम कीजिये। कलेक्टर को हुक्म हो गया है कि किसी मीटिंग में जाकर सभापति का आसन न ग्रहण करें, आम तौर से। कोई खास बात हो तो दूसरी बात है क्योंकि सरकार यह चाहती है, इस देश के कोआपरेटिव आन्दोलन को चलाने वाले चाहते हैं, कोआपरेटिव यूनियन्स चाहती हैं कि गैर-सरकारी लोगों के हाथ में पूरा इसका कार्य होना चाहिये और एक जमाना ऐसा आना चाहिये कि जितने नौकर हों, उसके अन्दर नौकर जरूर होंगे, वह सब सहकारिता आन्दोलन के ही नौकर हों, उसी डिपार्टमेंट के नौकर हों, न कि सरकार के नौकर हों। ऐसा वक्त आ सकता है। इसके लिये हमको और तमाम माननीय सदस्यों को प्रयत्न करना है।

यह कहा गया था कि १०० करोड़ रुपया कर्जा देने के लिये मिल जाय तो जितने कृषि में हिस्सा लेने वाले हैं, खेती के काम के लिये जितना पैसा चाहिये, वह पर्याप्त हो जायगा, लेकिन अगर उसमें उद्योग-धंधा लगा दीजिये तो काफी पैसे की जरूरत हो जाती है। जहां तक १०० करोड़ की बात है वह तो इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायगा लेकिन उसके साथ जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उद्योग-धंधों को साथ में लेना चाहते हैं, जो उनकी बेरोजगारी है, २० दिन काम करते हैं और २० दिन बैठे रहते हैं, उनके लिए उद्योग-धंधों को पैदा करना है, उसके लिए जो मनी हमारे पास आयडिल पड़ा हुआ है, उसको सर्कुलेशन में लाना है, वह तभी मुमकिन हो सकता है जब सहकारिता के जरिए कृषि ही नहीं, और भी काम गांवों में करने लगें।

इसके जरिये पैदावार तो बढ़ती ही है, जैसा मैंने कहा बेरोजगारी भी कम होती है। सहकारिता का एक उसूल है। अगर आप यह कहें कि हम सहकारिता के इस अंग को तो मानते हैं लेकिन यह उसका अंग नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती है। सहकारिता से और तो सब कामयाब हो सकता है, खराबी सब में हैं, लेकिन कृषि को वह अलग कर देते हैं और चीजों से, तो यह किसी समझदार आदमी की समझ में तो आयेगा नहीं। इसलिए अगर्चे आप सहकारिता मानते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सहकारिता के जरिये से जो खेती होगी अगर वह कामयाब होगी तो उससे अनएम्प्लायमेंट वहां का खत्म होगा।

आप चलिए मेरे साथ, मैं जहां कहीं भी सहकारिता में लोग कामयाब हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां अनएम्प्लायमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि वहां और ऐसे-ऐसे काम उन्होंने शुरू कर दिये हैं, इतना काम बढ़ गया है कि कोई अनएम्प्लायड नहीं होता। वह अपने मकान बनाते हैं, उसमें मजदूरों की जरूरत है, पक्के मकान बनाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, सिंचाई करते हैं, इन सब में जरूरत होती है। हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, मकान बनाने के साधन नहीं हैं, झोंपड़ी में पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं। तो खुद बखुद सहकारिता होने के बाद वहां साधन पैदा हो जाते हैं काम करने के लिए जो साल भर तक उनको काम देते रहते हैं। इस तरह से इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि कोई इसका ठिकाना नहीं है। इससे किसानों के रिसोर्सेज कितने बढ़े जाते हैं? उसमें उनको चौगुना, छः गुना, आठ गुना तक पैसा मिल सकता है।

[श्री मंगलाप्रसाद]

अगर दस हजार रुपया उनके पास हो जाता है तो ८० हजार रुपये तक कर्जा उनको मिल सकता है जिससे वह न सिर्फ खेती ही कर सकते हैं वरन् पचासों काम कर सकते हैं । एक साथ मिलकर काम करने की भावना उनमें पैदा होती है जो कि हमारे देश के हर काम के लिए आवश्यक है । कोई भी काम आप करें डेवलपमेंट का, तरक्की का, अगर मिलकर काम करने की भावना हमारे दिमाग में आ गई तो हमारी बुनियादी तरक्की हो गई और जो भी हम काम करेंगे उसमें हमको कामयाबी मिलकर रहेगी, और यह किस तरह हो, जबरदस्ती नहीं । खुद उनके अन्दर उद्गार पैदा हो, खुद मिलकर के वह आगे बढ़ने को तैयार हो जायं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वह सफल न हों और उसके लिए उनको साधन न मिल सकें ।

आज इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को कई तरह की मदद मिल सकती है । मीडियम, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण इन सोसाइटीज को ४ हजार रुपये तक मिल सकता है । यह जितनी भी सोसाइटीज हों, उनको मध्यम अवधि के लिए तथा दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण सरकार देगी और अल्पकालीन, थोड़े दिनों के लिए तो मिलता ही है, वह तो मिलेगा ही । यह सब उनको लोन ही मिलेगा । कुछ और कामों के लिए उनको ७५ प्रतिशत कर्ज के रूप में और २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में रुपया मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया । आप क्या और समय अभी लेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---पांच मिनट और दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता---बोलिए ।

श्री मंगलाप्रसाद---यह जितनी सोसाइटीज होंगी उनमें स्टेट की तरफ से उनका शेयर भी होगा । २ हजार रुपये तक सरकार भी उसमें शेयर करेगी । वह इसलिए करेगी कि वह उसमें उनकी कुछ मदद कर सके और उनका कैपिटल बढ़े । मैनेजीरियल काम करने के लिये उनको आदमी रखने पड़ेंगे । शुरू में उनकी आमदनी नहीं होगी तो उसके लिये भी सरकार उनको १२ सौ रुपये तक का अनुदान देगी । पहले साल ६०० रुपया, दूसरे साल ४०० रुपया और तीसरे साल २०० रुपये का अनुदान वह उनको इस काम के लिए देगी जिससे कि वह अपनी तरक्की कर सकें । कहना तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम नहीं रह गया है ।

अभी माननीय पालीवाल जी ने कुछ चीजें फरमायी थीं । उन्होंने तो एक अपने एलक्शन का नक्शा खींचा और यह कहा कि अभी तो ज्वाइंट फार्मिंग कह रहे हैं और कंसेंट से कह रहे हैं कि भाई, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन आइन्दा चलकर के बिलकुल कलेक्टिव फार्मिंग कर देंगे जिसमें से कि कोई निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता, ऐसी सोसाइटीज बनेंगी । तो इसमें तो सिवाय इसके कि उनके सामने नक्शा उनका अपना है और अपने एलेक्शन का है और कोई चीज नहीं है । (व्यवधान) गोविन्द सहाय जी ने क्या कहा, यह वह जानें और पालीवाल जी ने जो जो कहा, वह वह जानें, लेकिन जो बात अभी हमारे सामने हुई वह मैं बता रहा हूं । उन्होंने यह कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं । हम तनज्जुली की तरफ जा रहे हैं । इससे किसान खत्म हो जायंगे और उनका नुकसान हो जायगा । उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी खत्म हो गई । इसके बाद बड़े काश्तकारों को खत्म किया जायगा और फिर आम जनता का नम्बर आयेगा । इस तरह की भावना उन्होंने प्रकट की । मालूम नहीं यह भावना उनके दिमाग में कहां से पैदा हो गई । एक ही कारण उनके दिमाग में इस भावना के पैदा होने का हो सकता है और वह यह है कि चुनाव सामने है और वह किसानों को बहका सकें और गलत रास्ते पर ले जा सकें । इसी वजह

से इस प्रकार की भावना पैदा की जा रही है। मुझे आशा है कि हमारे देश के किसान ऐसे स्वतंत्र पार्टी के लोगों से सचेत रहेंगे। वे जानते हैं कि ये जमींदार किस तरह के हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने जमींदारी की है। दस तरह के इन्होंने टैक्स वसूल किये हैं। मोटराना, हाथियाना और न जाने कितनी तरह के टैक्स लिये जाते थे। किसानों के साथ इन्होंने क्या-क्या बर्ताव नहीं किया। वह सब जानते हैं। बहुत दिनों तक इन जमींदारों ने ताल्लुकेदारी की है और उनका शोषण किया है। आज ये हमारे भाई उन किसानों के लिये लड़ने वाले हो गये हैं।

मैं आशा करता हूं कि कोई किसान आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। हम भी गांव के रहने वाले हैं और ५, ७ बीघे की खेती करने वाले हैं। आज ये जितने उनके हिमायती हो गये हैं वह सब शहर में रहते हैं। पालीवाल जी खुद शहर में रहते हैं। उनको वह जानकारी नहीं है। किसान सब अपने फायदे और नुकसान को जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह जो दूध हम दे रहे हैं उसमें कोई जहर मिला दिया गया है। इसके अन्दर काम करने वाले भी इसी देश के रहने वाले हैं और काबिल नागरिक हैं। बाहर से वे नहीं आये हैं। आपके यहां जो अफसर हैं वे भी इसी देश के रहने वाले हैं और मैं समझता हूं कोई मुझसे कम देश की तरक्की चाहने वाला नहीं है। वे सब देश की तरक्की करना चाहते हैं और देश को उठाना चाहते हैं। वे भी आम लोगों में से ही चुनकर आते हैं। अगर सब में कुछ खराबी है तो उनमें भी थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है। एक लड़का आपका पढ़कर अफसर हो जाता है। एक एम० एल ए० हो जाता है, एक कम्युनिस्ट हो जाता है, एक सोशलिस्ट हो जाता है और एक प्रजासोशलिस्ट हो जाता है लेकिन वे सब हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। उनमें अगर कोई खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करना हम सब का कर्त्तव्य होना चाहिये। लेकिन इस तरह की बात सब अफसरों के लिये कह देना कि यह जहर है और इसमें जहर मिला दिया गया है और इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है कोई माने नहीं रखती है।

मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि मैंने सभी बातों का जवाब देने का प्रयत्न किया है।

श्री खजानसिंह चौधरी---मान्यवर, वैसे देखने में तो सहयोग बड़ा अच्छा है और सिद्धान्त भी बड़ा है। रोजाना ही सब के घरों में करीब-करीब यह चलता है कि आपस में कोआपरेशन हो लेकिन दुख इस बात का है कि कोई इस बात पर अमल नहीं करता जो माननीय मंत्री जी अभी बोले थे वे जानते हैं कि खानदान में कहां सब एक हैं। वहां सब अलग-अलग हैं। भाईचारा कहीं चलता है ? दो भाई अलग-अलग हो जाते हैं। समझौते की चेष्टा होती है कि एक जगह रहें, लेकिन उनमें पटती नहीं है तो मजबूरन जुदा होना पड़ता है। तो यह जो खेत का मसला है यह खेत का मसला बहुत ही मुश्किल है। आप फरमाते हैं कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। यह दिखावे की बात है। अकेला आदमी जो खेती करता है उसमें ज्यादा उत्पादन होता है बनिस्बत बहुत से आदमियों के एक साथ काम करने के।

हमारे यहां मान्यवर, एक साहब ने सहकारी खेती की है। एक सज्जन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने की है। उसने कुछ चमारों को, नासमझ आदमियों को, मिला कर सहकारी खेती शुरू की। उसमें कुछ रुपया उसने ब्लाक से लिया, कुछ उद्योग-धंधे से लिया, कुछ इधर-उधर से तकावी ली और एक ही फसल में यह नौबत आयी कि उसको कुछ खाने को नहीं मिला। अगर आपको इतमिनान न हो तो आप उन्नाव जिले की सदर तहसील में पौना नाम का एक गांव है, वहां जा कर देख लें। यूं तो पंडित जी ने नागपुर में रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन यह दिखावा ही दिखावा है। आपने एक गांव भी बना कर नहीं दिखाया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि महल बन गये हैं, मकान बन गये हैं, बड़ा फायदा हो रहा है। हो रहा होगा। मैंने तो कोई महल बनता नहीं देखा, हां, भूखे मरते जरूर देखे हैं।

[श्री खजानसिंह चौधरी]

मान लीजिये कि हमारा १०० काश्तकारों का गांव है। आप ने सब की खेती एक में शामिल कर ली। सहकारिता मंत्री या सरकार ने कहा और उन्होंने मान कर सहकारी खेती शुरू कर दी। हर घर में चार, छः औरतें और बच्चे मिला कर कुल ५०० आदमियों को वह खेत होंगे। उन के पास १०० हल होंगे। तो सोचिये कि वह किस तरह से अपना इंतजाम करेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैसे उनका इंतजाम चलेगा, मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर उन्होंने आपस में बैठ कर १० आदमियों की कमेटी भी बना ली और १०० हलों के बजाय एक ट्रैक्टर ले लिया और खेती करना शुरू किया, तो ट्रैक्टर जोत तो जरूर सकेगा, यह ठीक है लेकिन ट्रैक्टर होने से बहुत से आदमी बेकार रहेंगे।

इसके अलावा कभी अनावृष्टि होगी, कभी अधिक वृष्टि होगी। अगर पैदावार न हुई तो क्या सरकार अपना लगान छोड़ देगी? आप जमींदारों की बात कह रहे हैं वह ठीक है लेकिन आज तो नया जमींदार कलेक्शन का अमीन आ गया है। वह रोज भेड़िये-सा बन कर लगान वसूल करने पहुंच जाता है, वारंट उसकी जेब में रखा रहता है और जब चाहे वह उसका इस्तेमाल कर लेता है। सहकारी खेती उत्पादन बढ़ाने वाली चीज नहीं होगी। यह ठीक है कि इसका सिद्धांत अच्छा है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि यह सफल होने वाली चीज नहीं है। मैंने खुद कुछ खेतों में ऐसी खेती की। लेकिन जब एक आदमी को बुलाता हूं तो वह कहता है कि वह सो रहा है, दूसरे से पूछा तो उसे चोट लग गयी है, तीसरा कहता है कि मुझे न्योते में जाना है, चौथा कहता है कि मेरी औरत मायके चली गयी है, उसे लाना है, तो फिर खेती पर कौन रहे? उस इंतजाम करने वाली कमेटी को इतना अख्तियार नहीं होगा कि किसी को बांधकर बुला सके। यह सब सरकार का जाल है। जैसा पालीवाल जी ने कहा, दूध को जहर बना कर दे रहे हैं। अफसर खेती करेंगे और क्या आप देख नहीं रहे हैं कि वे तानाशाह हैं। एम० एल० ए० भी बोल दें तो देखें कि अफसर कितना बिगड़ता है। पीछे से कमर में छुरा भोंकता है।

मैं समझता हूं कि यह सब उन के ही हाथ में रहेगा या फिर मंत्री जी बतलावें कि कैसे इसका इंतजाम होगा वे जवाब जरूर देंगे लेकिन किसान को इस से फायदा नहीं होगा। जिनका आप भला करना चाहते हैं उन में से बहुत से आदमी भूख से तड़प कर मर जायेंगे, बहुत से मजदूर बनेंगे। आज मजदूर अच्छा है। वह खेत पर जा कर मजदूरी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी खेती कर रहा हूं। बुढ़ापे में मुझ से हल नहीं चलता, खुद जोत नहीं सकता। हालांकि चाहता हूं कि हल चलाऊं, लेकिन आप के यहां तो बहुत से आदमी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हल नहीं जोतना चाहते। मैं जिस तरह से आदेश दे सकता हूं, खेती करा सकता हूं, वही वे भी करा सकते हैं। उनसे कैसे काम लिया जायगा? कुछ अपाहिज हैं, कुछ सर्विस में हैं जो खेती खुद नहीं करना चाहते, कुछ बुद्धिजीवी हैं, तो वे सब मिल कर कैसे खेती करेंगे? आपका सिद्धांत भले ही अच्छा हो, वह व्यावहारिक नहीं है। हम तो माइनारिटी में हैं। इसमें शक नहीं कि १९६२ के बाद यह आपकी सामूहिक खेती, होने वाली है, लेकिन ऐसा कर के आप किसानों को चौपट कर देंगे, उनको भूखा मार देंगे, उनको दरबदर मारे मारे फिरना पड़ेगा, वह खुद और उनके बच्चे नेस्तनाबूद हो जायेंगे और खाने को बिलकुल नहीं मिलेगा, नतीजा यह होगा। हां, उत्पादन सरकार का हो सकता है लेकिन जनता का भला उस से न होगा। अगर पार्टी सामूहिक खेती बनाना चाहती है तो वह उसकी नातजुर्बेकारी है। आपको बनाना है तो सेवा सहकारी समिति बनाइये, उस के लिये सरकार हम को रुपया दे और हम अपना काम बढ़ावें। खेती में अच्छा बीज दें, अच्छी खाद दें, अच्छा पानी दें और ज्यादा उत्पादन बढ़ावें। लेकिन आप को उस से क्या मतलब? आपको खेती के तरीके से क्या मतलब? नागपुर में पैदल यात्रा करने का फैसला लिया गया था

आपने उस के लिये कुछ नहीं किया। आपने सहकारिता के लिये कितने गांव वालों को समझाया ?

मान्यवर, मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। हरएक आदमी अपना इंतजाम खुद कर सकता है, मेहनत कर सकता है, जांफिशानी कर सकता है, अच्छा बीज और खाद देकर ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन सहकारी खेती होने पर यह कुछ नहीं होगा और सरकार अपना डंडा मार कर उन से कर लेगी और काम करा लेगी। इसलिये मैं इसके खिलाफ हूं। इस से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अगर आपको बनाना है तो सर्विस कोआपरेटिव बनाइये। वह बहुत अच्छा होगा। सहकारिता का सिद्धांत बहुत अच्छा है लेकिन उसे कर नहीं पायेंगे और कोई नहीं कर पायेगा। नतीजा यह होगा कि सारा देश बर्बाद होगा और सारा उत्पादन सरकार के हाथ में चला जायगा और हम को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, मैं उन विषयों में अपने तर्क उपस्थित करूंगा जिनका इस विषय से संबंध है और उन बातों का जो कि प्योरली एकेडेमेशियन्स के लिये हैं, कोई उत्तर नहीं दूंगा और उसमें अपना समय जाया नहीं करूंगा।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज मनुष्य ही नहीं, पेड़-पौधों तथा कीड़े मकोड़े तक की जिन्दगी सहकारिता के ही बल पर है और उसी को बेसिस पर उनका निर्माण हुआ है। आज जितनी भी चीजें हैं उन सब का सहकारिता के बल पर निर्माण हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि जिस मनुष्य को सहकारिता ने ही बनाया हो, वही मनुष्य उस सहकारिता में विश्वास न करें, तो यह एक आश्चर्य की बात है। मनुष्य का शरीर सहकारिता से ही बना है। आज जो मनुष्य सहकारिता में विश्वास नहीं करता, वह अपने दिमाग पर भी विश्वास नहीं करता और उसके पास न ईमान है, न धर्म है। आप समझते हैं कि आज जो सारा ब्रह्मांड काम कर रहा है वह किस तरह कर रहा है। वह केवल सहकारिता के बल पर ही चल रहा है। सूर्य का प्रकाश और चन्द्रमा की शीतल किरणें, आपकी यह धरती और यह पानी व हवा, यह सब मिलकर सहकारिता की बेसिस पर ही इस संसार को चालू किये हुये हैं।

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह सहकारिता का विषय बहुत ही गहन है और यह विद्वानों का विषय है। जब हम इस संसार में किसी जीवन को चालू रखना चाहते हैं, जब हम उसकी बेसिस को मजबूत करना चाहते हैं तो हम उन उसूलों को, उसके नियमों को, अपनाने से इनकार नहीं कर सकते जो हमारी जिन्दगी को पैदा करते हैं और जो हमारी जिन्दगी के फोर्सेज को जेनरेट करते हैं। जब हमारा शरीर एक ऐसे फोर्सेज से जेनरेट होता है जो इस संसार को स्थायित्व प्रदान करता है तो क्यों नहीं हमको उसी का सहारा लेना चाहिये। अगर आप अपनी बुद्धि और तर्क से काम लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी खेती, वह खेती जो व्यक्तियों की खेती है, जिसको अनएकोनामिक होल्डिंग कहा जाता है, वह एक खान्दान को, उसके जीवन निर्वाह के लिये, पूरा खर्च नहीं दे पाती है। मैं समझता हूं इस प्रकार की खेती के खिलाफ हमारा प्रदेश ही नहीं वरन सारा देश है और सारे संसार में आज सहकारी खेती को ही उन्नति का एक उपाय समझा गया है। अगर आप उन छोटी मोटी जोतों को एक साथ करके सहकारी खेती नहीं करते तो आप इन्सानों को एक छोटे दायरे में लाकअप कर देंगे और फिर वे कोई दूसरे काम नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा वे खेती करके अपनी आजीविका के साधनों को भी नहीं जुटा पायेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि आज सहकारी खेती की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे हम उनको सहकारी खेती में ही नहीं लगा सकेंगे बल्कि वे कुछ दूसरे रोजगार भी कर सकेंगे। यह देखा गया है कि केवल खेती में ही जुटने से इनके पास समय और ऋतुओं के तबदील होने से खेती को उससे फुर्सत होती है। उस समय उसके पास कुछ काम सप्लीमेंट करने के लिए होना चाहिये। आज आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को जो खेती पर काम करता है उसको हल बैल रखने पड़ते हैं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

पच्चीसों खर्चे होते हैं, लेकिन अगर सहकारिता के बेसिस पर खेती होती है तो एक ट्रैक्टर सारे गांव की जमीन को जोत सकता है। सबके जितने व्यक्तिगत खर्चे हुआ करते थे वह सब खत्म हो जाते हैं। सहकारिता के बेसिस पर खेती करने के लिए हमको बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है, बहुत कम लेंबर की और बहुत कम अटेंशन देने की जरूरत है। इसलिए वह इंसान को बहुत बड़ी ताकत को उस खेती से बरी करके दूसरे कामों के लिए उसको छोड़ देती है। इसलिये अगर हम इकोनामी के बेसिस पर चलना चाहते हैं और बुद्धि से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ और तौर तरीकों को अपनाना होगा जिससे हम प्रगति कर सकें और लोगों को काम पर जुटाने के लिये नये अवसर पैदा कर सकें।

इस जमाने में हम देखते हैं कि भारतवर्ष की आबादी बड़े टेढ़े-मेढ़े ढंग से आगे बढ़ रही है। होल्डिंग्स के फ्रैगमेंटेशन हो चुके हैं, भाई और बिरादरी में टुकड़े बंट चुके हैं और वह बिलकुल अन-इकोनामिक हो चुके हैं। तो केवल एक ही हल उसका है और वह हल है---सहकारिता। कुछ भाई शायद घबराते होंगे और एतराज भी करते हैं, क्योंकि वह कल्पना से काम लेते हैं, इमैजिनेशन को इम्प्लाय करते हैं। जैसा कि हमारे पालीवाल जी ने कहा कि सहकारिता के माने यह हैं कि कलेक्टर सारी जमीन का मालिक हो जाय और इंसान जो खेतों में काम करें। वह बतौर गुलाम के काम करें। अगर हम इस संकल्प और परिभाषा के शब्दों के बाहर किसी चीज पर अपने दिमाग से कल्पना करते हैं और तर्क उपस्थित करते हैं तो हम अपने तर्क में ईमानदार नहीं हैं। मैं किसी की ईमानदारी में शक नहीं करता, लेकिन मुझे उस तर्क में शक है। वह ईमानदारी का नहीं हो सकता। अगर उस संकल्प के दायरे के बाहर किसी चीज को अपने दिमाग में लाकर एक दूसरी चीज पैदा करते हैं जो संकल्प के अन्दर निहित नहीं है तो वह नाजायज है।

अब प्रश्न आता है कि बड़े-बड़े फार्म्स का क्या होगा। उसके बहुत से मसले कानून के द्वारा हल हो चुके हैं और जितने नहीं हुये हैं वह आगे अवश्य हल किये जायेंगे, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जब हमें इस देश को हरा भरा करना है, इस देश के ४० करोड़ आदमियों का इन्तजाम करना है तो फिर चन्द व्यक्तियों के विषय को लेकर हम उन ४० करोड़ को भुला नहीं सकते। ४० करोड़ के मसले को हम जरूर हल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। होल्डिंग्ज को सीलिंग हो चुकी है। हम किसानों के हकों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों से आपको मालूम होना चाहिये कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का अवश्य खेद है कि जहां हमने जमींदारी को खत्म किया उसके साथ-साथ, बड़े-बड़े फार्मों को लिक्वीडेट नहीं किया। हमें उन फार्मों को भी बहुत जल्द लिक्वीडेट करना है जोकि हजारों एकड़ के फार्म हैं। अगर उन्हें नहीं खत्म किया जाता तो फिर जमींदारी खत्म करने का कोई सेंस नहीं मालूम होता। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर हम जमींदारी का खात्मा करके प्रदेश की सात करोड़ जनता को समृद्धिशाली बनाने में सहायक हो सकते हैं तो फिर उन बड़े-बड़े फार्मों को जल्द से जल्द क्यों नहीं लिक्वीडेट कर सकते। उनको लिक्वीडेट करना अनिवार्य है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारी खेती का कार्य अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। जब तक कि हम इस कार्य में स्थायित्व नहीं लाते तब तक इसको सारी खेती पर लागू कर देना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। जब हम अपने इस प्रयास में सफल होकर लोगों में विश्वास पैदा कर सकें तभी हम इस कदम को आगे बढ़ाने में जस्टीफाइड होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प के विचारों और धारणाओं का समर्थन वहां तक करता हूं जहां तक कि यह हमें सहकारिता की ओर कदम बढ़ाने में अग्रसर करता है।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव खेती की सहकारिता की बाबत है। जहां तक सहकारिता के उसूल का ताल्लुक है वह बड़ा उम्दा है, बड़ा आला है और बड़ा अच्छा है। कोई भी शख्स इस सही उसूल से

अगर ठीक चल सके या चलाया जा सके और उसके नतायज अच्छे निकल सकें तो इख्तिलाफ राय नहीं करेगा । सारा वहम और डर तो इस बात का है कि यह सरकारी चीज हो जायेगी। अभी उधर से कहा गया कि बड़ी-बड़ी जमींदारियां खत्म कर दीं, बड़े-बड़े फार्म खत्म कर दिये सीलिंग के जरिये, और अब सहकारिता से न मालूम क्या तीसरी बात कही जा रही है कि खत्म होगी। हम तो इस हदतक पहुंचना चाहते हैं कि बड़ी जमींदारी और फार्मों के साथ बड़ी तनख्वाहें भी खत्म कर दें। इत्मीनान करें कि इसके तकमील में अब ज्यादा जमाना बाकी नहीं है। जहां तक सहकारिता का सवाल है हम लोगों को शक होता है कि आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है और जो हमारे तजुर्बे में आया है वह बड़ा गलत है। सबसे पहले मुल्क की तकसीमी के बाद शरणार्थियों को, जिनको बाद में पुरुषार्थी कहा गया, उनको मुकम्मिल तौर से बसाने में नाकामयाब रहे। बड़े जमींदारों की बात को छोड़िये, इसलिये कि बड़े जमींदार न होने के बराबर थे। आपके सामने फिगर्स भी हैं। चरण सिंह जो वाली किताब को पढ़ लीजिये जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने बड़े जमींदार थे, कितने छोटे और कितने दरमियानी, तो आपको मालूम होगा कि इस सूबे में बड़ी भारी तादाद छोटे जमींदारों की थी जो चन्द रुपयों या आनों में मालगुजारी देते थे।

मैं आज आपको बता देना चाहता हूं और आप के भी इल्म में है कि ऐसे छोटे जमींदार थे जो २५० रुपया से कम मालगुजारी देते थे उनको किसानों में शामिल किया जाता था। उनको यकीन दिलाया गया था कि इससे उनकी हालत बेहतर होगी लेकिन उनकी हालत अबतर हो गयी। यही नहीं किसानों से भी बदतर उनकी हालत है । इसके अलावा आपने जो पटवारियों का कत्लेआम किया उसके लिये मैं आपके जुल्म की दाद देता हूं। इसके बाद लेखपालों की पैदायश की, जो आजकल आपके रेवेन्यू का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से आपके मुहकमे माल में खराबियां पैदा हो गई हैं, उनको आप सब जानते हैं । इन्दराजात ठीक नहीं होते, म्यूटेशन के मुकदमे भी बरसों से फैसल नहीं हुये, पड़े हुये हैं। इससे भी इंकार नहीं कि हम यह जली-भुनी रोटी का टुकड़ा भी आपके सुपुर्द कर दें लेकिन फिर आप गुजर के वास्ते क्या सहूलियत पैदा करेंगे? हमें इससे भी इंकार नहीं कि जमीन की तकसीम हो, बराबर तकसीम हो। लेकिन उस बराबर तकसीम से जो एकोनामिक होल्डिंग्स है वे भी अनएकोनामिक होल्डिंग्स हो जायंगी और तब सिवाय सहकारिता की खेती के और कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन इससे आगे जो आप कदम उठायेंगे सरकारी खेती का उसका हमें डर है और सरकारी खेती होकर हमें क्या मिलेगा वह हम आज भी देख रहे हैं।

पानी के सिलसिले में किसानों को क्या सहूलियतें मिलती हैं यह तो सब देख ही रहे हैं। आपका कहना है कि एक ट्यूबवेल ५–६ हजार बीघे रकबा सींचता है लेकिन क्या आपने यह भी देखा है कि अमल में उससे कितनी सिंचाई होती है ? किसी भी किसान को इतना ही पानी नहीं मिलता कि वह अपनी खेती सहूलियत से कर सके। हां, आपके यह कहने पर कि इतनी नहरें बढ़ गयीं और इतने ट्यूबवेल्स बढ़ गये, लोग मुगालते में जरूर रह जाते हैं और पानी मिलेगा इस भरोसे पर बेतहाशा आराजी बो देते हैं लेकिन बाद को पानी उन्हें मयस्सर नहीं होता जो आप की बड़ी नकामयाबी का सबूत है। मुझे याद है कि पिछले साल ट्यूबवेल्स तक में बिजली नहीं थी। २४ घंटे में अगर आ गयी तो दो घंटे के लिये आ गयी। जिन लोगों ने ईख बोयी थी उनके ईखों का नतीजा आज यह है कि खेत के खेत खुश्क हो रहे हैं। जिन खेतों से किसानों को उम्मीद थी कि १२-१४ मन बीघा गुड़ बनेगा वहां मुश्किल से २, ३ मन बीघा गुड़ बना है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल्स में करेंट नहीं आ रहा है और किसान अपने कुयें बनाना बन्द करके नहरों और ट्यूबवेल्स पर भरोसा करने लगे हैं लेकिन वह चूंकि सरकार के हाथ की चीज थी, उससे धोखा हुआ।

इसी तरह से खाद का मसला आज ऐसा कठिन हो गया है कि अव्वल तो खाद बहुत कीमत पर मिलती है और दोयम वह आम लोगों को नहीं मिल पाती क्योंकि किसानों की जेब में पैसे नहीं होते हैं और उधार का वहां कोई सवाल ही नहीं है। तो खाद और पानी का जहां तक ताल्लुक

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

है, न खाद है, न पानी है। अब अगर इस सहकारी खेती के कारण ये सारी सहूलियतें कहीं ऊपर से फट पड़ें तब तो ठीक है। सहकारी खेती कीजिये। लेकिन इस सहकारी खेती में भी वही बात हो जैसा कि ट्रूबवेल्स के मुहकमें में हो रहा है कि वहां लेन-देन और रिश्वत का तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है। हक देने की बात के बिना काम नहीं होता। जिनके पास पैसा न हो उन गरीबों का काम नहीं होता। तो उस सहकारी खेती का इस हालत में क्या होगा। खाद उनको मिलेगी जो कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे, पानी उनको मिलेगा जो कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे, तकावी तथा मशीनरी उनको मिलेगी जो कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे। बाकी जो रह जायेंगे और चाहेंगे कि अपने आप हम खेती करें, चूंकि व स्वयं तो कुछ कर नहीं सकेंगे इस तरह से जबरिया उनको आप मजबूर कर देंगे कि वे भी सहकारी खेती में शामिल हो जाय। जब उनको पानी नसीब नहीं होगा, खाद नसीब नहीं होगा, तकावी नहीं मिल सकेगी तो मजबूरन वे सहकारी खेती की ओर दौड़ेंगे और कहेंगे कि जो कुछ भी हो, हमें सहकारी खेती में शामिल हो जाना चाहिये।

आप जमींदारी खात्मे का ढोल आज भी बजा रहे हैं जो कि बहुत ही पुराना ढोल हो गया है और जो फट भी गया है लेकिन फिर भी आप उसको बजाये बगैर बाज नहीं आते। शायद आप यह सोचते हैं कि सन् १९६२ में भी इस ढोल को पीटकर उसका फायदा उठायेंगे। लेकिन आपको समझ लेना चाहिये कि वह ढोल खराब हो गया है और फट भी गया है, अब कोई नहीं पूछता कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। आज अवाम के सामने दो आंखें हैं जिनसे वह देखती है और दो कान हैं जिनसे वह सुनती है और उस पर अमल करती है। मुझे ताज्जुब है कि जब सहकारिता घर में नहीं चलती, एक किस्म के लिबास में नहीं चलती, एक किस्म के उसूल में नहीं चलती, जब चार आदमी मिल कर एक सूबे का निजाम नहीं चला सकते और कुर्सियों के लिये रोजाना जंग करते हैं तो मुझे यह बतलावें कि अगर सहकारिता इनके हाथ में दे दी जाय तो कैसे काम चलेगा जो कि खुद सहकारिता के आमिल नहीं हैं। अब कोई बात छिपी नहीं रह गयी है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है। यह तो बच्चे के हाथ में आग देना है। नतीजा यह होगा कि वह अपने घर को ही जला लेगा। ८० फीसदी लोग जिनकी जिन्दगी खेती पर मुनहसिर है उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जितनी जमीन आपको सीलिंग से मिले उतनी जमीन निकाल कर उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग का तजरबा करें, मैं उसकी हिमायत करता हूं और अपने अमल से यह दिखलाइये कि कोआपरेटिव फार्मिंग से क्या फायदा है। अगर जमीन की पैदावार बढ़ गई होती और जमीन जरखेज हो गई होती और ईख के किसान फारिगउल्बाल हो गये होते तो कोई वजह नहीं थी कि लोग इस तरफ रुजू न होते। जिन किसानों को भूखा नंगा कहा जाता है वह ऐसी हालत में क्या न रुजू होंगे लेकिन उनका तजर्बा तो इस के बिलकुल खिलाफ है। अगर यह भी ऐसी ही खेती हो जैसी कि मुकाबले की खेती हो रही है तो उसका क्या फायदा है। कहा जाता है कि यह अवाम के लाभ के लिये है और उस में बड़े-बड़े इनाम दिये जाते हैं कि फलां आदमी ने इतने बीघे में इतने मन आलू पैदा किया, इतने मन गेहू पैदा किया और उनके लिये इनाम पाया। लेकिन इस खेती की खामियों का हिसाब नहीं लगा पाये। हिसाब के मामले में साबित हुआ कि वह बड़े कच्चे हैं, एडवोकेट जनरल की राय लेने तक की नौबत आ जाती है। यह कोई नहीं देखता कि इस खेती में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया और उसके बाद कितना मुनाफा या पैदावार उससे हुई। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और उसको देखते हुये लाभ न हो तो वह क्या मुकाबले की खेती हुई, वह क्या बढ़िया खेती हुई, वह तो एक शेखचिल्ली की खेती हुई और वह अनएकनामिक हुई। मैं अर्ज तो और करना चाहता था लेकिन चूंकि लाल रोशनी नजर आ गई इसलिये मैं जल्द ही अपने बयान को खत्म कर दूंगा।

हम आज किसानों के मकानों को देखते हैं कि वह पहले कच्चे थे और आज पुख्ता नजर आ रहे हैं। पक्की ईंटें उन में लग रही हैं। पहले उस के बैल कमजोर थे अब जरा अच्छे बैल हैं

लेकिन इस सब की क्रेडिट सरकार को नहीं जाती है, भले ही सरकार अपने मन में खुश हो कि हमने जमींदारी खत्म कर दी और मुल्क की तरक्की कर दी और यहां बहिश्त बना दिया और सब कुछ हम ने कर दिया। इस तरक्की का असली कारण यह है कि किसान को पैदावार का भाव ऊपर उठा है, उस का गल्ला अच्छे निर्ख से बिकता है। इसी का यह सारा करिश्मा है। यह उसकी ही मेहनत का नतीजा है। इसी तरह से गांवों से जो आज के भावों की वजह से मजदूर को दो चार पैसे ज्यादा मिल जाते हैं उस से आज मजदूर कायम है। अगर सरकार इस का सेहरा अपने बांधना चाहती है तो उस का मुगालता है। यह तो ठीक है कि हर एक स्कीम के शुरू करने में बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाये जाते हैं, लेकिन बकौल किसी शायर के सरकार ठीक यही अमल करती है:

'क्या खुशामद हो रही थी मेरे दिल लेने के कब्ल,
और कैसी आंखें फेर लीं मतलब निकल जाने के बाद।'

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा कोई ख्याल आज इस सदन में बोलने का नहीं था, लेकिन जब मैंने इस संकल्प को देखा तो मुझे कुछ ताज्जुब हुआ कि क्या इस सदन के कोई सदस्य इस तरह की बात अपनी जबान से कहने की हिम्मत कर सकते हैं और उसके बाद जब मैंने पी० एस० पी० के प्रतिनिधि को बोलते सुना तो मुझे कुछ और प्रेरणा हुई कि मैं भी कुछ दो-एक बात कहूं। कांग्रेस के लोगों को बोलने में मुझे ताज्जुब नहीं होगा इसलिये कि कांग्रेस तो एक यूनाइटेड फ्रन्ट था, वह आया है, उसमें कुछ इस तरह के लोग मिल गये हैं, लेकिन पी० एस० पी० जब नई बनाई गई है तो हर एक को ठोक बजाकर, सोशलिस्ट देखकर लिया होगा, इसलिये ताज्जुब है। अगर कांग्रेस की जबान में थोड़ा बहुत अन्तर हो जाय तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा।

यह संकल्प जो इस प्रकार है कि 'सदन का मत है कि शामिल सहकारी खेती किसानों तथा देश के लिये अहितकर सिद्ध होगी,' यहीं तक अगर यह बात होती तो हो सकता था कि राय में फर्क हो। कोई इस राय का हो सकता है और कोई दूसरी राय का हो सकता है, लेकिन आगे का जो हिस्सा है उसे देखकर ताज्जुब होता है कि कोई माननीय सदस्य जो यहां चार साल से बैठता हो यह बात कहने की हिम्मत रखता है कि 'अतः यह सदन निश्चय करता है कि सहकारी खेती को किसी रूप में सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय।' मुझे बहुत सख्त इस बात से एतराज है कि यह सदन तय करे कि कुछ लोग जो अपनी मर्जी से, किसी की जबरदस्ती से नहीं, अगर इकट्ठा होकर सहकारी खेती करना चाहते हैं तो यह कानून बना दिया जाय कि उसे हम कोई सहायता नहीं देंगे। क्या माने हैं इसके? बीज मांगने गये तो नहीं देंगे। खाद मांगने आये तो नहीं देंगे। आबपाशी के लिये पानी होगा तो बंद कर देंगे। कर्जा नहीं देंगे, ट्रैक्टर नहीं देंगे, कोई सहूलियत नहीं देंगे। इस तरह का कानून बना दिया जाय यह कहने की कोई माननीय सदस्य हिम्मत कर सकता है, यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है।

मैं इस संकल्प का सख्त विरोधी हूं क्योंकि इस गलतफहमी में तो अब किसी को रहना नहीं चाहिये। जो अब तक सहकारी खेती से मतलब है उसमें दो-तीन बातें साफ हैं। एक यह कि जबर्दस्ती नहीं होगी। अपनी मर्जी से लोग शामिल होना चाहेंगे तो होंगे और नहीं होना चाहेंगे तो नहीं होंगे। यह बात बहुत साफ है कि जो प्रजातंत्र हमने मंजूर कर लिया है और जिस तरह से हर पांचवें साल हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और उन्हीं के वोट से आये हुये लोग इस सदन में बैठते हैं और जिनकी मैजारिटी है वह गवर्नमेन्ट बनाते हैं तो उसमें किसी भी सरकार की यह हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह आम जनता को, बहुमत को नाराज कर दे और फिर भी जिन्दा रहने की उम्मीद करे। यह ठीक है कि थोड़े से जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वही तबका था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिये कोशिश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

थी। उनको खत्म करने की बात की गई क्योंकि उससे सारे किसान खुश थे। लेकिन सारे किसान नाराज हो जायं, जो आज किसान हैं वह और जो उम्मीद करते हैं कि हमें शायद कहीं जमीन मिल जायगी वह---ऐसी हिमाकत कोई सरकार नहीं कर सकती। ऐसी जबर्दस्ती करने की हिम्मत तो कोई सरकार इस डेमोक्रेटिक सेट अप में नहीं कर सकती कि जिससे सारी जनता नाराज हो जाय, जब तक कि उसका दिमाग ही न फिर गया हो। इसलिये जिस सहकारी खेती की अब तक चर्चा है वह रजामंदी से होगी, जबर्दस्ती से नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि जो जमीन खेती के लिये इकट्ठा की जायगी उस पर उन किसानों का अधिकार होगा। उसका टायटिल, उसका अधिकार, उसका स्वामित्व जो भी है वह बदलेगा नहीं, वह किसी दूसरे की नहीं होगी और जो फायदा होगा वह उनका होगा। जब यह आधार है तो उसका कैसे विरोध किया जाय? इस तरह की सामूहिक खेती मान लीजिये किन्हीं ५ आदमियों ने की, की है और बहुत अच्छी तरह से की है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उन जगहों पर जाकर देखें कि जिन्होंने अपनी इच्छा से--गवर्नमेन्ट की वगैर किसी मदद के और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि गवर्नमेंट को जितनी मदद करनी चाहिए थी कोआपरेटिव फारमिंग सोसाइटियां की उतनी नहीं कर पाये हैं, तब भी बिना उस मदद के---वह किस तरह से पनपे हैं और किस तरह से कामयाब हुए हैं, यह देखने की चीज है। मैं माननीय सदस्यों को दावत दूंगा कि वह कुछ सोसायटीज को देख लें और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि होनी चाहिये या नहीं....

एक सदस्य---नाम बता दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम---किताब में छपे हैं, बहुतों की बैलंस शीट छपी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भाटिया फार्म को देखें, और भी २, ४ नाम बता दूंगा, आप देखें कि किस मुसीबत में यह परदेसी आये थे मुल्तान से, एक खानदान के लोग नहीं हैं, बहुत सी बिरादारी के हैं। किस तरह से उन्होंने स्कूल बनाया है, डिस्पेन्सरी बनायी है। यह फार्म नैनीताल जिले में पड़ता है बरेली और हल्द्वानी के बीच में।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---मेहता फार्म भी है।

श्री मोहनलाल गौतम---वह एसकोर्ट्स कम्पनी का फार्म है और मेहता साहब का उसमें काफी हाथ है जो स्वतंत्र पार्टी के विचारों के साथी हैं और मेरे बड़े दोस्त हैं।

जो मैं सवाल उठा रहा हूं वह यह है कि कुछ लोगों ने मिल कर बनायी है। क्या सदन को अधिकार है कि कुछ लोगों ने जो अपने आप कोआपरेटिव सोसायटी बनाई, मान लिया घाटा उठाना चाहते हैं, तजुर्बा करना चाहते हैं, अपनी जायदाद बरबाद करना चाहते हैं....

श्री रघुराजसिंह चौधरी---मैं एक बात पूछना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता---कोई प्वाइंट आफ आर्डर आप नहीं उठा रहे हैं इसलिये बैठ जाइये।

श्री मोहनलाल गौतम---अगर कुछ आदमी सोसायटी बनाना चाहते हैं तो क्या हम ऐसा कानून बना दें कि किसी तरह की मदद नहीं करेंगे? यह बिल्कुल गलत है, कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। इस पर अगर मैं चेयर की रूलिंग मांगता तो यह होती कि इस तरह का प्रस्ताव इस सदन को पास करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है।

बहरहाल, दो एक बातें मैं और कहना चाहता हूं। जिस पर आज तक रोते रहे हैं और जिसका हमको हल निकालना है कि गरीबी, बेकारी कैसे दूर हो। यह सबसे बड़ा सवाल है। बिना पार्टी लिहाज के सब यही चाहते हैं कि बेकारी और गरीबी यहां की दूर हो। इस पर किसी को

मतभेद नहीं है कि दौलत ज्यादा पैदा हो और बेकारी दूर हो। अब यह कैसे हो ? तो इस मुल्क की हालत नहीं सुधरेगी जब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी। अगर पैदावार नहीं बढ़ी तो मैं कह सकता हूं कि इस देश की दौलत नहीं बढ़ेगी, और गरीबी बेकारी दूर न होगी। अगर दौलत बढ़ानी है तो कैसे बढ़ायी जाय ? खेती की आमदनी कैसे ज्यादा बढ़ायी जाय ? यह सब जानते हैं कि जिसके पास लागत के लिये पैसा है, जो अच्छा बीज अच्छी खाद और आबपाशी का इंतजाम कर सकता है उसकी पैदावार ज्यादा होगी और जिसकी लागत कम है उसकी कम होगी।

सवाल यह है लागत लगे कैसे, कहां से आये ? उन आदमियों के पास जो गांवों में रहते हैं और जिनके पास औसत तीन, साढ़े तीन एकड़ जमीन है, जिनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह लागत लगा सकें, तो जब साधन नहीं है, फिर कहां से साधन आयें। अकेले साधन लगाने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिये यह फैसला हुआ कि साधन समितियां बनायी जायं। आज ६०-७० लाख अगर किसान हैं हमारे प्रदेश में तो क्या सरकार सब को अलग-अलग साधन दे या ६०-७० हजार जो गांव सभायें हैं उनको सुविधा दे दें और वह लोग उन सुविधाओं को गांवों में ले लें ? यह आसान है ६०-७० हजार साधन सहकारी समितियों के द्वारा अगर साधन जुटा दिये जायं तो अच्छा बीज, खाद, पानी, ट्रैक्टर, या रुपया पैसा जो चाहें वे सब साधन आ सकते हैं। जब यह साधन आ जायेंगे तो खेती की पैदावार ज्यादा होगी, इसमें दो रायें नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह आये कैसे।

आज जो साधन समितियां हैं उनका पहले नाम था बेटर कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटीज उसमें और सहकारी समितियों में कोई खास फर्क नहीं है। बेटर फार्मिंग के लिये हम कोआपरेट करते हैं ताकि हम मिल कर बीज व खाद ले आयें। तो ये जो बेटर फार्मिंग सोसायटीज हैं इनको भी इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद किसी रूप में प्रोत्साहन न दिया जाय, न बीज दिया जाय, न खाद दी जाय तो उनका क्या होगा ? तो आज सवाल यह है कि सहकारी साधन समितियों के बिना इस प्रदेश के किसानों की वह ताकत नहीं होगी जिससे वह लागत लगा सके, साधन जुटा सके जो अच्छी खेती के लिये जरूरी है। यह नहीं होगा तो यहां तक तो किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन अब तक कोई इंसान नहीं मिला है जो साधन समितियों के खिलाफ हो। जो स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा है और ५८ की अप्रैल में जो एक सेमिनार हुआ था उसमें जो लोग आये थे राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि और जिसमें मेहता साहब भी थे उन सबकी यह राय थी कि वे सहकारी साधन समितियों के हक में हैं। यह प्रस्ताव उस वक्त भी रद्द कर दिया गया कि सहकारी खेती में बेटर फार्मिंग शामिल है।

अब यह हो कैसे ? साधन समितियों में किसी को एतराज है नहीं। जब साधन समितियां बन गयीं तो उनका काम क्या है ? हमको ज्यादा पैदा करना है, ज्यादा पैदा करने के साधन जुटाने हैं। तो पहली बात यह है कि ज्यादा पैदा करने के लिये हर गांव का प्रोडक्शन प्लान बनाना होगा कि कितना गेहूं, कितना जौ, चना बोना है। इस प्रोडक्शन प्लान के भी दो हिस्से हैं। हर एक इंडिविजुअल का एक-एक और दूसरा शामिलात का प्रोडक्शन प्लान। जैसे गूल खोदनी है, बरसात का पानी निकालना है और कच्ची सड़क बनाना है तो यह शामिलात के प्रोडक्शन प्लान में होगा। इसी तरह से कुट्टी काटने के लिये मशीन लगाने की बात है तो क्या हरएक आदमी एक एक मशीन लगायेगा ? हरएक के पास एक तो इतना रुपया होगा नहीं और फिर वह व्यर्थ नष्ट होगा। इसलिये तीन, चार मशीनें आ जायेंगी जैसी आबादी हो उसके हिसाब से और शामिलात में कुट्टी काट लेंगे।

इसी तरह से कीड़े मारने की दवा है, पम्प है। क्या हर आदमी एक-एक पम्प रखेगा ? नहीं रखेगा दो, चार पम्प रख लेंगे, जब कीड़े दिखाई देंगे तो सलाह करके कीड़े मारेंगे। इस तरह से कुछ चीजें शामिल में रखी जायेंगी। इसके बाद यह भी जरूरी है कि अपने पुराने तरीकों में हमको सुधार करना होगा। लेकिन एक बड़ा कांट्रेडिक्शन है कि जब हम कपड़ा पैदा करना चाहते हैं

[श्री मोहनलाल गौतम]

या और चीजें पैदा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि सबसे अच्छी मशीन चाहिये लेकिन जब खेती की बात आती है तो पुरान से पुराना हल चाहिये । उसमें हम आगे नहीं बढ़ते । इसलिये टेक्नोलाजी या साइंस का जो तजुर्बा है उसे हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते, उसे साथ लेना पड़ेगा । तो छोटे-छोटे खेतों में फिर न ट्रैक्टर काम आयेंगे और न और मशीनें काम आयेंगी । लिहाजा अगर किसान यह महसूस करें कि वे इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि वे खेतों को मिला लें ताकि ज्यादा अच्छी खेती कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा ।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

हम यह नहीं कहते कि जबर्दस्ती करेंगे । मैंने जबर्दस्ती का जवाब पहले दे दिया कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसमें वैसा करने की ताकत नहीं है, और अगर कोई करना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते । तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर झगड़ा किस बात का है । जब हमने हर तरह की आजादी दे रखी है, फ्रीडम आफ स्पीच दे रखी है, आज अखबार तरह-तरह की बातें कहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते, तो जब चार आदमी मिल कर अगर अपनी जायदाद तबाह ही करना चाहते हैं और एक तजुर्बा करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं ? इसलिये इस पर बहस की जरूरत क्या है ? यही मैंने उस कान्फ्रेंस में जो अप्रैल, १९५८ में हुई थी उसमें कहा था कि किस बात पर मैं राय दूं, मतभेद कहां पर है ।

जबरदस्ती हम करना नहीं चाहते, कोई खुद अगर सामूहिक खेती करेगा तो उसको हम रोक नहीं सकते । इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही बेवक्त है और मेरे ख्याल में अवैधानिक है । अवैधानिक इसलिये है कि इसमें लिखा है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि शामिल सहकारी खेती किसानों तथा देश के लिये अहितकर सिद्ध होगी ।" इस हद तक मुझे कुछ कहना नहीं है, इसमें दो रायें हो सकती हैं लेकिन जो इसका आपरेटिव क्लाज है अगर इस सदन में यह पास हो जाय तो जिस पर सरकार को अमल करना होगा वह यह है कि "अतः यह सदन निश्चय करता है कि सहकारी खेती को किसी रूप म सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय ।" तो किसी रूप में, यानी न बीज न खाद, न पानी, न क़र्जा, न ट्रैक्टर, किसी तरह की कोई मदद न दें । यह बात किसी तरह से भी उचित नहीं है और न समझ में ही आती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह अवैधानिक है, इसको रूल आउट करना चाहिये और अगर इसको आपने अवैधानिक नहीं माना और बहस की इजाजत दे दी तो मुझको विश्वास है कि यह सदन भारी बहुमत से इसको नामंजूर करेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं अभी ध्यान से माननीय गौतम जी को सुन रहा था । गौतम जी ने जो विचार व्यक्त किये, वे समाजवादी दल में रह चुके हैं इसलिये विचार तो उनके समाजवादी दल के ही हैं पर जिन परिस्थितियों में अब वे हैं उनमें उन विचारों के कहने का बहुत औचित्य नहीं है । आज जो यह संकल्प हमारे सामने है इसका कतई समर्थन हम नहीं करते हैं क्योंकि यह प्रस्ताव अपनी जगह पर प्रतिक्रियावादी है, देश के लिये अहितकर है और एक ऐसी व्यवस्था है जो देश को तमाम कठिनाइयों से मुक्त करके एक नये समाज का निर्माण करने के लिए घातक है । इस वजह से कोई भी सहृदय व्यक्ति, कोई भी ज्ञानवान और विद्वान व्यक्ति इसका समर्थन आजकल के दिनों में नहीं कर सकता ।

प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से जिस सहकारिता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसमें कोई वास्तविकता है या नहीं हम उसको भी स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि, श्रीमन्, मेरे विचार से सहकारिता के तीन मूल तत्व हैं । जब हम सहकारिता के बारे में विचार करें तो हम उस पृष्ठ-भूमि में इस प्रश्न को देखें कि वह कौन से आधार हैं जिसके बल पर हम कहें कि सहकारिता होनी

चाहिये । चाहे सहकारी खेती हो, चाहे सहकारी सोसाइटियां हों, चाहे किसी चीज के खरीदने की सहकारी सोसायटी हो चाहे ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटी हों, सब में तीन तत्व आवश्यक हैं । पहली बात यह है कि सहकारिता में समानता होनी चाहिये । सहकारिता नौकर और मालिक के बीच में नहीं चल सकती है, अफसर और साधारण आदमी के बीच में नहीं चल सकती है, बराबर के आदमियों के बीच में ही सहकारिता हो सकती है । दूसरा तत्व है कि सहकारिता की इच्छा होनी चाहिये । अब मैं उदाहरण दूं । मान लो सहकारी खेती की बात कही जाती है । किसी के घर में ५ आदमी हैं और दो बीघा जमीन है तो परिश्रम में सहकारिता वह कैसे करेगा । दो आदमियों के काम करने के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है तो तीन आदमियों को कहाँ डालेगा । इनको कहां काम में लगायेगा । इसलिये इच्छा होना आवश्यक है और इसका मूल्यांकन होना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति है या नहीं । तीसरा तत्व ईमानदारी है । इसके बिना तो सहकारिता चल ही नहीं सकती है । दो आदमियों की इच्छा है । एक के पास एक बैल है और दूसरे के पास भी एक बैल है । दोनों में साझा हो गया । एक के मन में बेईमानी आ गई कि हमारा बैल क्यों मरे इसलिये उसने नार दूसरे के बैल पर रख दी । अब दूसरा बैल परेशान हो गया । दूसरे ने इस बात को महसूस किया और नार उसके बैल पर रख दी । इस तरह से दोनों बैल गिर जायेंगे और खेती नहीं हो पायेगी ।

हमारा कहना यह है कि आज की परिस्थिति में तीनों तत्व मौजूद हैं या नहीं, इस तरह से देखा जाय । सवाल यह है कि सहकारिता अच्छी चीज है और समाजवादी व्यवस्था आयगी तो सहकारिता अवश्यम्भावी है । लेकिन क्या वह परिस्थिति विद्यमान है जिनमें सहकारिता पनप सकती है ? अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें और इसको इस कसौटी पर कसें तो हमें साफ उत्तर मिलता है कि सहकारिता के तत्व मौजूद नहीं हैं और सरकार समाजवादी व्यवस्था का विकृत रूप करने के लिये यह करना चाहती है, जिससे हमारा आन्दोलन तीव्र न हो सके और समाजवादी व्यवस्था लाने की बात कभी सोची न जा सके । अतः सहकारिता को विकृत करने के लिये सरकार इस समय सहकारिता का नारा लगाकर देश को धोखा देने जा रही है ।

इस प्रश्न का विश्लेषण होना चाहिये । सहकारी खेती का प्रश्न है इसलिये उसी पर आता हूं और दूसरे प्रश्नों को छोड़े देता हूं । सरकार जो सहकारिता का ढिंढोरा पीटती है पहले वह अपने कर्मों की पृष्ठभूमि के दर्पण में अपना चेहरा देखे कि क्या उसकी सहकारिता किसी क्षेत्र में सफल हुई है । ऋण देने वाली समिति में उसकी सहकारिता फेल हुई, भट्ठों में फेल हुई, सहकारी दूकानों में फेल हुई, गन्ना सोसाइटियों में फेल हुई । तो जितने प्रयोग अब तक सरकार ने इस संबंध में किये उन सब में यह फेल हुई है । वह इसलिये फेल हुई है कि यह तीनों तत्व मौजूद नहीं थे । सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसको यहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था कहते हैं । यह नया गढ़ा हुआ शब्द है । यह पूंजीवादी व्यवस्था है और इसमें किसी भी प्रकार से सहकारिता सफल नहीं हो सकती है । यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

हमारे मित्र ने जो यह प्रस्ताव रखा है वह स्वयं सामन्तवादी हैं । वह दिखाना चाहते हैं एक हृदय प्रधान नारा देकर जो तत्व प्रधान नारा नहीं है, बल्कि हृदय प्रधान नारा है, कि तुम्हारी जमीन ले ली जायगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसलिये हम इसके विरोध में हैं और चाहते हैं कि सहकारिता न हो । यह जो खोखली बातें हैं, मैं चाहता हूं कि इस भ्रम को दूर किया जाय ।

मैंने उन तथ्यों को रखा जिनके आधार पर सहकारिता हो सकती है । अब उनकी कसौटी पर इस प्रदेश को लिया जाय । इस प्रदेश की नयी जन-गणना के अनुसार ७ करोड़ ४३ लाख जन संख्या है । ८० प्रतिशत आदमी गांव में निश्चित रूप से रहते हैं । तो पौने ६ करोड़ आदमी गांव में रहते हैं । ज्यादा से ज्यादा १०, ११ प्रतिशत इनमें से ऐसे आदमी हैं जो खेती से इतर कार्यों में लगे हुये हैं । इस हिसाब से ५ करोड़ आदमी रह गये जो खेती पर निर्भर रहते हैं, जिनकी खेती के अतिरिक्त और कोई जीविका नहीं है । भले ही वह कभी-कभी कुछ थोड़ा काम इधर उधर और कर लेते हों, लेकिन उनकी मुख्य जीविका खेती ही है । देश में काम करने

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

वालों के जो आंकड़े लिये गये हैं, उसके अनुसार सम्पूर्ण जनसंख्या का ३/५ काम करनेवाले होते हैं। तो तीन करोड़ आदमी खेती पर काम करने वाले हैं। जमीन कुल ४ करोड़ १० लाख एकड़ सूबे भर में है। उसको करने के लिये कितने आदमियों की जरूरत है, जरा माननीय मंत्री जी सोचें। मैं समझता हूं कि पांच काम करने वाले आदमी आसानी से दस एकड़ जमीन को जोत बो सकते ही हैं। वह लाभकर जोत उन्होंने कहा है। उसमें वह लोग भी शामिल हैं जो उनके आश्रित हैं और काम नहीं करते हैं। एक आदमी के पास कम से कम दो एकड़ जमीन होनी चाहिये। इस हिसाब से ६ करोड़ एकड़ जमीन होनी चाहिये प्रदेश में। अगर दो करोड़ आदमी भी खेती पर लगा दें, खेती पर ज्यादा बोझ दे दें, तो भी एक करोड़ आदमी और उनके आश्रित, इतने आदमी तो बेकार होंगे। अब इन आदमियों को कहां खपाया जायगा ?

पहला प्रश्न तो यह होना चाहिये कि जब हम सहकारिता की बात करें तो हवा में न उड़ें, बल्कि परिस्थिति की वास्तविकता को अच्छी प्रकार ध्यान में रखना चाहिये। यह स्पष्ट बात है कि सहकारिता में हम उतना ही श्रम रखेंगे जितने की आवश्यकता होगी। गौतम जी ने भी कहा कि बड़े-बड़े फार्म हो जायेंगे तो श्रम बचेगा। वह श्रम कहां लगेगा ? कोई नहीं बता रहा है। प्रदेश का औद्योगीकरण हो नहीं रहा है। तो अगर सहकारिता हो जाय, तो एक, डेढ़ करोड़ काम करनेवालों का प्रश्न उठेगा कि वह काम में लगाये जायं। अगर एक डेढ़ करोड़ आदमी बेकार हो जायं तो कोई भी योजना चल नहीं सकती क्योंकि उनका क्रोध और क्षोभ इस सरकार को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगा।

अब सहकारिता की दूसरी कसौटी को देखें। जब आदमी ज्यादा है और जमीन कम है तो किसकी इच्छा होगी कि मैं तो सहकारी खेती में लग जाऊं और मेरे घर के लोग बेकार रहें, यह कौन चाहेगा ? इस देश में जो अपत्य स्नेह हजारों वर्ष से व्याप्त है, उस अपत्य स्नेह को यह सहकारिता कैसे समाप्त कर सकती है कि अकेला वह काम करे और उसके लड़के बेकार रहें ? यह अपत्य स्नेह कैसे समाप्त हो सकता है ? इस कमजोरी को माननीय मंत्री जी ने कहां देखा ? जब इच्छा ही नहीं है, जब इस प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, तो सहकारिता का सुन्दर स्वरूप ढाल कर वह कैसे रख देंगे ? सहकारिता कैसे आयेगी ? तो दूसरा प्रश्न इस बात का है कि अगर प्रदेश में सहकारिता के लिये इच्छा नहीं है तो सहकारिता कैसे चलेगी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में आदमी बेकार हद दर्जे हो जायगा। जितनी जमीन हमारे यहां है उतनी जमीन को कमाने के लिये डेढ़ करोड़ से ज्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है। तो डेढ़ करोड़ आदमियों के बेकार होने से कोई काम नहीं चल सकता है।

तीसरी बात ईमानदारी की है। ईमानदारी का हाल यह है कि जितनी सहकारी समितियां हैं, चाहे वह पय-परिषद् हो चाहे वह ऋण कमेटी हो, चाहे वह गन्ना कमेटी हो, या दूसरे सहकारी भटठे वगैरह हों, सब जगह पर गबन का बोलबाला है, न जाने कितने केसेज गबन के हमने माननीय मंत्री जी के सामने रखे। माननीय गौतम जी जब मंत्री थे तो मैंने उनके सामने कुछ केस रखे, उन्होंने बड़े तपाक से कहा कि निश्चित रूप से वह इस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन दो तीन वर्ष तो हो गये। आज तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। मैंने तो उससे एक नतीजा निकाला क्योंकि जब कोई मंत्री अपने फर्ज को अदा न करे या सरकार किसी मामले में पंगु हो जाय तो फिर प्रदेश या देश की जनता के पास यही एक रास्ता रह जाता है कि वह उसको उलट दे। वह तो अलग से करना होगा, लेकिन जो उससे निश्चित निष्कर्ष निकला वह यह निकला कि जितना आज भ्रष्टाचार इस विभाग में है उसको दृष्टिगत रखते हुये आज यह असंभव है कि किसी भी रूप में सहकारिता को किसी भी क्षेत्र में हम पनपा सकें। अब खेती बाला एक क्षेत्र रह जाता है और सब क्षेत्रों में तो सहकारिता से प्रदेश के लोगों की आस्था उठ चुकी है। नहीं तो क्या वजह है कि आज जो यह हमारे स्वतंत्र पार्टी के सदस्य हैं इन लोगों के दिमाग में यह आता, इन लोगों को इतना साहस होता कि वह इतने बड़े सिद्धान्त के प्रतिकूल जाकर कोई प्रचार कर सकें कि सहकारिता खराब चीज है और यह नहीं होनी चाहिये। तो

इसके लिये तो इस सरकार के कुकर्म ही पर्याप्त हैं जिससे कि स्वतंत्र पार्टी को यह कहने का बल मिल रहा है और इसका वह एक हृदय प्रधान नारा लगाकर वातावरण को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसके लिये यह सरकार ही दोषी है।

अब प्रश्न इस बात का उठता है कि जो खेती की समस्यायें हमारे सामने हैं उनका अध्ययन करके इन तीन कसौटियों पर इसे कसें तो सहकारिता इस समय तो असंभव है। अब हम उसका व्यावहारिक पक्ष लेते हैं। श्रीमन्, जो सहकारिता के फार्म हैं प्रदेश में, पता नहीं कैसे माननीय सहकारिता मंत्री ने दावा कर दिया कि १० मन प्रति एकड़ पैदावार उससे हुई। सहकारिता की जब हम कल्पना करते हैं तो देश के स्तर पर करते हैं और देश के स्तर पर जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें अगर कुछ अच्छी जगह के आंकड़ों को हम ले लें, जैसे कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में सबसे अच्छी पैदावार होती है, वहां की आमदनी का हिसाब अगर हम पूरे प्रदेश पर लगा दें तो वह मिसलीडिंग हो जायगा क्योंकि १० मन फी एकड़ सब जगह तो पैदा होता नहीं। ऐसे भी क्षेत्र हैं। कि जहां की पैदावार १० मन फी एकड़ हो ही नहीं सकती। सारे हिन्दुस्तान की औसत ७ मन फी एकड़ है। १० मन अगर हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सब सहकारिता फार्मों को अगर देखा जाय तो प्रायः वह घाटे में ही चल रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने एक पक्ष इसका रखा और कहा कि सहकारिता से इतनी पैदावार हुई। जरा उसका दूसरा पक्ष भी देखें कि उसमें लागत कितनी लगी? खर्चा कितना लगा? एक व्यक्ति या एक परिवार जो निजी तरीके पर खेती करता है उसकी लागत कितनी लगती है, वह कितना खर्च उस पर करता है और सहकारिता में सारा बीज और मेहनत वगैरह तथा और सारे खर्चों को मिलाकर देखा जाय तो सहकारिता हानि में निश्चित रूप से चलेगी क्योंकि वह स्थिति इस समय नहीं है, वह कसौटियां प्राप्त नहीं हैं कि जिन पर सहकारिता चल सके। तो इन सब बातों को देखते हुये सहकारिता इस तरह चल नहीं सकती।

पूर्वी जर्मनी में सहकारिता के आधार पर कृषि का काम चल रहा है। अभी विश्व कृषि प्रदर्शनी जब दिल्ली में हुई थी तो मैं वहां गया था और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छी तरह चल रही है। इतना मैं और बता दूं कि सहकारिता के शत्रु भी बहुत हैं। पश्चिमी जर्मनी में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि यह सहकारिता खत्म होकर सामूहिक खेती हो क्योंकि हमारे कम्यूनिस्ट मित्र जो हैं वह भी सहकारिता में आस्था नहीं रखते और जहां जहां कम्युनिज्म आया है वहां वहां उन्होंने सामूहिक खेती को जन्म दिया है। लिहाजा कम्युनिस्ट मित्र जो सहकारिता का नारा लगायें तो यह तो देश में हवा के साथ पीठ देने की बात है।

चीन का उदाहरण आप ले लीजिये। चीन में सहकारिता का काम नहीं चला। सन् १९४९ में पहले तो जमीन बांटी गई, छोटे-छोटे काश्तकारों में जब जमीन बट गई तो उसके बाद उन्होंने दूसरा नारा लगाया कि सहकारिता से काम होगा, इससे पैदावार ज्यादा होगी। सहकारिता चली दो, तीन वर्ष तक, सन् १९५२ से १९५५ तक। तीन वर्ष की सहकारिता के बाद कह दिया कि सामूहिक खेती होगी। कहने लगे कि सहकारिता असफल है।

तो हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं यदि वे सहकारी खेती पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं तो यह हमारे ही सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। वैसे उनके सामने सहकारिता के ई रास्ता है नहीं। रूस या चीन जहां पर पहले सहकारी खेती का नाम प्रारम्भ में लिया गया वहां पर अन्त में यही हुआ कि वह सामूहिक खेती पर आ गये। वह इस कारण कि सामूहिक खेती तानाशाही का प्रारम्भिक चरण है। वह तानाशाही शक्ति को एक हाथ में केन्द्रित करती है। सहकारिता जो है वह समानता को कार्य रूप में लाकर शक्ति को विकेन्द्रित करती है। जहां पर शक्ति का केन्द्रीयकरण होगा वहां सामूहिक खेती होगी और विकेन्द्रीकरण जहां पर शक्ति का होगा वहां पर सहकारिता चलेगी।

हमारे कांग्रेसी दोस्त सहकारिता का जो रूप कहते हैं वह सहकारिता के विकृत रूप को उपस्थित करके अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिये जनता में सहकारिता से

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

आस्था समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उस सहकारिता से समाजवाद के स्वरूप को रोकना कांग्रेस का उद्देश्य है। कम्युनिस्ट भाई हवा को देखकर सहकारिता का नारा लगाते हैं और उनको सहकारिता का रूप उसी तरह का होगा जैसा कि रूस और चीन का मैंने आपको बतलाया। किन्तु देश का हित तो समाजवाद के आधार पर होना है। जितनी पुरानी मर्यादायें हैं, ऊंच और नीच का बरताव है और आमदनी में जो यह बहुत बड़ा फर्क है, निश्चय रूप से समाजवाद के अन्दर किसी सूरत में भी इन बातों का त्राण नहीं है। अगर समाजवाद आता है तो फिर ऊंच-नीच का फर्क और आमदनी का फर्क नहीं रह सकता है। कांग्रेस अपनी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती है।

जमींदारी चली गई लेकिन कुछ हमारे भाई सहकारी खेती का विरोध करके चाहते हैं कि अपनी जगह पर विद्यमान रहें। इसलिये वह इस बुराई को खत्म करना नहीं चाहते और पूंजीवादी आस्था को जनता के अन्दर स्थिर करना चाहते हैं। सहकारिता का नारा लगाते हैं लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं। सहकारिता इस सरकार की केवल साजिशमात्र है। सरकार इस सहकारिता का नाम लेकर जनता में इसके प्रति अनास्था पैदा करने की साजिश करके यह चाहती है कि प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर जनता के रुख को समाजवाद की तरफ से रोककर पूंजीवाद की तरफ ले जायं और इसी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था यह सरकार यहां पर लाना चाहती है और आज भी वही अर्थ-व्यवस्था यहां पर चल रही है। उसी को इस देश में कांग्रेस सरकार कायम रखना चाहती है। इतनी ही इस कांग्रेस की सरकार की दिलचस्पी है। अगर शुद्ध समाजवाद होगा तो उस समाजवाद में इस प्रकार की आस्था होगी कि उसमें बराबरी का और समानता का समाज होगा। जहां पर परस्पर बराबर का व्यवहार और समान रहन-सहन सब का हो वही समाजवाद होता है। समान व्यवहार को लाने की कल्पना जिस दर्शन में हो उसी को समाजवाद कहते हैं।

जिस सहकारी खेती की बात की जाती है वहां पर कोआपरेशन नहीं बल्कि सुपरवीजन होगा और जो सुपरवीजन करने वाला होगा उसमें और काम करने वाले में समानता की बात नहीं रहेगी। वह पूंजीवादी व्यवस्था होगी और उसी के स्वरूप को स्थिर करेगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह प्रस्ताव बिल्कुल प्रतिक्रियावादी है और पूंजीवादी और सामन्तवादी व्यवस्था का परिचायक है, और साथ ही साथ में सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी खेती का इस प्रकार से दावा करना बिलकुल झूठा है और इसमें कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार से सहकारिता के ऊपर से आस्था समाप्त करके उसके विकृत रूप को यहां पर रखा जा रहा है ताकि भविष्य में समाजवाद का रास्ता अवरुद्ध हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे पहली मर्तबा यह मालूम हुआ कि इस आदरणीय सदन में अपोजीशन बेंचेज की तरफ से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस रेजोलूशन की जुर्रत के साथ तरदीद कर सके। मैं तो यह समझता था कि स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के अलावा बाकी सब पार्टियों के लोग, जो इस सदन में बैठे हैं, वह सब कोआपरेटिव फार्मिंग की ताईद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों की तकरीर से यह जाहिर होता है कि वह किसी शक्ल में सोशलिज्म को तसलीम करते हैं वह भी, जहां तक इस रेजोलूशन के खिलाफ बोलने का ताल्लुक है, इस रेजोलूशन के खिलाफ कुछ नहीं कह सके

मान्यवर, अगर हम इन्सानी समाज के इवलुएशन की तारीख को देखें तो हमें मालूम होगा कि ज्यों-ज्यों समाज में कोआपरेशन बढ़ा है उसी कदर समाज की तरक्की भी बढ़ी है। दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि जितनी भी तरक्की आज हम इन्सानी समाज में देख रहे हैं वह सब सहकारिता के कारण ही हुई है। इंगलिस्तान के हरबर्ट स्पेंसर और जर्मनी के निलोक को छोड़कर शुद्ध माने में किसी ने सहकारिता के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं कहा। इससे

यह जाहिर होता है कि सहकारिता के आन्दोलन से हम वक्त और तारीख की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

मान्यवर, अगर हम अपने प्रदेश के माजी को और उसकी तारीख को देखें, उस पर गौर करें, तो हमें मालूम होगा कि इस प्रदेश के बहुमत ने खात्मा जमींदारी का कानून पास किया। मैं इस तरफ खास तौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जो व्यवस्था खात्मा जमींदारी के बाद पैदा हुई, उसके अलावा अगर खात्मा जमींदारी न करके कोई और तरीका अपनाते जैसे ट्रस्टीशिप सिस्टम, तो कोई दूसरी व्यवस्था भी पैदा हो सकती थी। किन्तु हमने यह समझा कि प्रदेश के अन्दर सोशलिज्म को लाना निहायत जरूरी है, इसलिये हमने उस कदम को उठाया और जमींदारी को खत्म करने का कानून पास किया। आज भी समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिये यह जरूरी है कि कृषि में सहकारिता को बल दिया जाय। इसलिये जो भी फैसला इस आदरणीय सदन का हो चुका है उसके खिलाफ कोई कदम उठाने का सवाल ही अब नहीं उठता।

मान्यवर, अगर दूसरे मुल्कों को देखा जाय तो वहां भी सहकारिता को काफी बल दिया गया है। रूस में तो कलेक्टिव फार्मिंग है। मैं यह अर्ज करता हूं कि कलैक्टिव फार्मिंग में और कोआपरेटिव फार्मिंग में क्या फर्क है। माननीय वर्मा जी ने अपनी तकरीर के दौरान में यह बात कही कि अगर हम कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ जायेंगे तो हमको कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ लाजमी जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन दोनों में तो काफी फर्क है। कोआपरेटिव फार्मिंग में आदमी के जराये पैदावार और जमीन में जितने हुकूक हैं वे सब कायम रहते हैं जब कि कलेक्टिव फार्मिंग में ऐसा नहीं है, उसमें फर्क है। रूस में कलैक्टिव फार्मिंग है।

फिर अगर आप स्केन्डेनेवियन कन्ट्रीज और इजराइल वगैरह को देखें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने भी कोआपरेटिव फार्मिंग को ही अपनाया है। उन्होंने भी इस पर अधिक जोर दिया है। आप अमेरिका को देखिये, जो सबसे बड़ा कैप्टिलिस्ट कन्ट्री है वहां पर भी ६० फीसदी लोग कोआपरेटिव फार्मिंग करते हैं। यह बात काबिले लिहाज है कि अमेरिका जैसे देश में ६० फीसदी लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल हैं।

मान्यवर, अगर हम अपने मुल्क के तारीखी हालात को देखें तो हमें मालूम होगा कि हम कोआपरेटिव तहरीक के आइडिया को कहीं बाहर से नहीं लाये हैं। रूस, अमेरिका, इंगलिस्तान से या किसी और यूरोपियन कन्ट्री से नहीं लाये हैं, हमारे समाज में उसकी रूट्स पहले से ही मौजूद थीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर देश की समाजी तारीख को और इक्तसादी तारीख को देखा जाय तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान वह मुल्क है जहां गिल्ड सिस्टम फैला होता था जिसमें मुख्तलिफ पेशों के लोगों की पंचायतें थीं। जहां तक जात-पांत का ताल्लुक है वह इसी समाजी निजाम के बिगाड़ से बनी और जो मौजूदा समाज की बिगड़ी हुई शक्ल है उसकी बुनियाद इस पर है कि पेशेवर लोगों ने अपनी मुख्तलिफ सोसाइटियां और पंचायतें कायम कर रखी थीं जिन्होंने बाद में बिगड़कर जातों का रूप धारण कर लिया। उनकी दौलत, कूवत, उनके सब काम एक जगह होते थे। यह जुलाहों की पंचायत है, यह लोहारों की और यह धुनों की पंचायत है, इस तरीके से हमारी सोसाइटी बनी हुई थी—अब भी बनी है—लेकिन उसका वह ढांचा खत्म हो गया।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस मुल्क का यह पसेमंजर है और जहां इस किस्म का निजाम और ज्वाइन्ट फेमिली सिस्टम था, और जो ताल्लुक और वास्ता अब नहीं है जिन्दगी में, वह रिश्ते टूट रहे हैं तो दूसरी शक्ल से कायम हो सकते हैं और उन्हीं की जगह हम कोआपरेटिव तहरीक से उनकी दूसरी शक्ल दे रहे हैं जो आज की जिन्दगी के तगादे के मुताबिक हैं। इस लिये मान्यवर, अगर गौर किया जाय तो कोआपरेटिव फार्मिंग में किसी शोबे में कोआपरेटिव तहरीक में जो सबसे ज्यादा दिक्कततलब चीज है वह यह है कि जनता जिन पेशों के संगठन के जरिये सोसाइटी को कायम रखती थी उसकी आज कमी महसूस हो रही है जिसकी वजह से कुछ लोग समझते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह दायित्वपूर्णता की कमी है। हमारी जो पेशावरों की जमातें थीं उनको हम अपना खानदान ही समझते थे और उनके जरिये से सोसाइटी के कारोबार चलाते थे, लेकिन आज उसके मुताबिक

[श्री अतीकुल रहमान]

हम कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और आज जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वह राष्ट्रीयता के जज्बे की कमी है। इसलिये ज्यों ज्यों तालीम से और कौमी तहरीक से राष्ट्रीयता का जज्बा हमारे अन्दर कारफरमा होगा वैसे ही कोआपरेटिव तहरीक भी बढ़ेगी।

मान्यवर, सबसे बड़ा मसला इक्तसादी, आर्थिक मसला है। एक साहब ने यह फरमाया, गालिबन कुवर साहब ने अपनी तकरीर में, कि यहां तो अलाभकर जोते हैं इसलिये वह कोआपरेटिव के खिलाफ बोल रहे थे और साथ ही यह भी कह रहे थे कि ऐसी सूरत में कोआपरेटिव फार्मिंग में कुछ हर्ज नहीं है। मैंने मिसाल दी कि अमरीका में न तो अलाभ कर जोतें हैं, न जमीन पर वह बार है और न छोटे औजारों से खेती होती है, वह सूरत नहीं है, इस सूरत न होने के बावजूद जो यहां है, और जिसकी वजह से कोआपरेटिव फार्मिंग निहायत जरूरी है, चूंकि उत्पादन भी बढ़ाना है, फिर भी अमेरिका में कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम हैं।

हमारे यहां हालत यह है कि छोटे-छोटी जमीनें हैं, अलाभकर जोतें हैं और उसके साथ छोटे औजारों से खेती होती है, तो इन सब दुश्वारियों के होते हुये उत्पादन नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह तमाम रिसोर्सेज एक जगह पुल न किये जायं, एक जगह इकट्ठे न किये जायं। तो पूलिंग आफ रिसोर्सेज और ज्वाइन्ट एफर्ट से चाहे किसी की छोटी जमीन हो या बड़ी हो उसको मुश्तरका करके जो मुश्तरिक कोशिश होगी उससे उत्पादन बढ़ सकता है। बगैर उसके उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

इसके अलावा एक साहब ने यह फरमाया कि हम वह व्यवस्था नहीं पैदा कर रहे हैं जिससे कोआपरेशन और कोआपरेशन की तहरीक यहां कायम हो सके; खुसूसन देहात में कृषि में सहकारी आन्दोलन कामयाब हो सके। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बाद हमने सीलिंग का कानून इसीलिये बनाया कि इस बात की कोशिश की जाय, एक कांशश एफर्ट किया जाय कि रफ्ता २ जोतें बराबर हो जायं क्योंकि जब तक जोतों में बराबरी नहीं होगी तबतक कोआपरेटिव की तहरीक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकती। तो जोतों की हदबन्दी का जो कानून है वह इसी बात के लिये है कि हम ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं, कांशश एफर्ट करना चाहते हैं कि रफ्ता २ जोतों में जो फर्क है वह कम होता चला जाय और हम इस बात की भी कोशिश में हैं कि जमीन पर से बार कम हो। इस कोशिश के लिये इन्डस्ट्रीज में छोटी सनअतों को बढ़ायेंगे, लोन और ग्रान्ट्स दे रहे हैं और छोटी सनअतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और गांव के लोगों को मदद दे रहे हैं। यह सब इसी वजह से है कि रफ्ता २ जमीन पर से बार हटाया जाय और जोतों का फर्क कम होता चला जाय। इसी वजह से सीलिंग के कानून में हमने इस बात का खयाल रखा कि जो जमीन सनअत के लिये होगी, प्रामोद्योग के लिये होगी, उसको एग्जेम्ट किया जाय। इसीलिये हमने यह व्यवस्था, वायुमंडल और आबोहवा पैदा की है जिसमें कि सहकारिता कामयाब हो सके। इन अलफाज के साथ में इस रिजोल्यूशन की मुखालिफत करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अभी एक-आध सदस्य और बोल लें।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूर्णतया समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी इस संकल्प पर माननीय मोहन लाल जी गौतम बोल रहे थे जो भूतपूर्व सहकारिता मंत्री रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं यह समझ सकता था कि प्रस्ताव के पहले भाग पर बहस हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय, लेकिन दूसरा भाग विधान की धाराओं के अनुसार ठीक नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से वह पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं। "अतः यह सदन निश्चय करता है कि सहकारी खेती को किसी रूप में सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय।" वह इस भाग के सख्त मुखालिफ हैं। ठीक है। विधान जो भी कहता हो लेकिन कुंवर श्रीपाल सिंह ने जिस भावना से यह प्रस्ताव रखा है उसको भी उन्हें समझना होगा। जहां तक मैं समझता हूं, उनकी भावना यह है कि अगर सरकार ने कोआपरेटिव फार्मिंग वालों को ही प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया तो दूसरे किसान पिछड़ जायंगे। उनका कहना यह है कि सहकारी खेती करने वाले किसान और दूसरे किसानों को एक लेविल पर ही सहायता प्रदान की जाय। यदि हम इस भावना से उनके प्रस्ताव को देखें तो वह अपनी जगह पर पूरी तरह से ठीक उतरता है। विधान की धाराओं का जो भी अर्थ हो लेकिन अगर छोटे-मोटे किसानों को इग्नोर कर दिया गया तो वह खत्म हो जायेंगे। मैं समझता हूं विधान की धारायें भी इस भावना के खिलाफ नहीं जा सकतीं। चूंकि गौतम जी का पूरा भाषण इसी बात पर आधारित था इस लिये मुझे इतना निवेदन करना पड़ा।

अब मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमने १९५०–५१ में जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया उसमें भी सहकारिता खेती के बारे में एक चेप्टर है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि वहां पर हमारे बाप-दादा बहुत जमाने से खेती करते चले आये हैं। लेकिन कभी भी किसी ने मिलकर सहकारी खेती नहीं की है। अब सहकारी खेती के नाम पर जो अनुदान दिये जायंगे, छूट दी जायगी या कर्जा दिया जायगा, उसका लाभ दिखाकर किसानों को जाल में फंसाया जायगा और उन भोले भाले किसानों की स्वाधीनता छीन ली जायगी। यह सहकारी खेती का षड़यन्त्र है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह भोले-भाले किसानों को इस षड़यन्त्र से अलग ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं यह देख रहा हूं कि जब जमींदारी थी तो किसान स्वतंत्र था। अब सहकारी खेती में डाइरेक्टर और मैनेजर के नीचे उसकी यह स्वतंत्रता छिन जायगी। किसान कहीं का न रह जायगा। ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी इस बात को भूल जाते हैं कि सहकारी खेती के द्वारा वह प्रजातंत्र में लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। माननीय रामस्वरूप जी कह रहे थे कि ७ मन से १५ मन की एकड़ कैसे हो गया। मैं कहता हूं कि हमारे जिले में २० मन का औसत पड़ रहा है। पिछले दिनों में सहकारी खेती के सिलसिले में मैं १७५ गांवों में घूमा और वहां के लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये कि हम सहकारी खेती नहीं चाहते हैं और वे सरकार के पास भेजे। उन दिनों अखबारों में निकल रहा था कि सहकारी खेती में १० फुट का गुन्ना, और १२ फुट का गन्ना उपज रहा है लेकिन मेरे यहां आम तौर से १५ फीट का गन्ना पैदा हो रहा है। इसलिये मेरा विचार है कि सहकारी खेती से उपज अच्छी नहीं होगी क्योंकि एक समय ऐसा आ जावेगा कि सहकारी खेती में प्रति एकड़ लागत कहीं अधिक आवेगी। अगर यह खर्चा बढ़ जाता है तो हम जनता को कठिनाई में डाल देंगे। सहकारी खेती से कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है।

मंगलाप्रसाद जी, सहकारी मंत्री का विचार है कि पैदावार कई गुना होगी। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार कहती है कि गांवों में साइकिलें आ रही हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, जैसे ठाकुर हुकुम सिंह जी कहते हैं कि बीमारियां थीं और अब वे जहर में आ रही हैं। मैं भी यही कहता हूं कि हमारी जनता का पैसा जहर में आ रहा है और वह मकानों में लगा रही है। जितने गांव हमारे जिले के कस्बे के आस-पास हैं वे कम से कम तीन फसल, मक्का, आलू, खरबूजा, टिमाटर या तम्बाकू की करते हैं और एक एकड़ में कम से कम ५ और ४ हजार रुपये के बीच पैदा करते हैं और उनकी लागत १५०० रुपए के करीब आती है, इसी के ओरे–धोरे रहती है। तो माननीय मंत्री जी बतलावें कि वह सहकारी खेती वाले किसान को प्रति एकड़ कितना दे देंगे? माननीय चरणसिंह जी ने जो पश्चिमी जिलों से आते हैं, सहकारी खेती का पूरे तौर से विरोध किया है वह जानते हैं कि जितनी मेहनत हमारे यहां के काश्तकार करते हैं उतनी ही अगर पूरब काश्तकार भी करें तो इतनी पैदावार होगी कि कोई सहकारी खेती का नाम भी नहीं लेगा।

[श्री हिम्मत सिंह]

गौतम जी कहते हैं कि सहकारी खेती में नये नये साधन आने चाहियें । फर्टीलाइजर और नवीन तरह की मशीनें आनी चाहियें । क्या उन्होंने कभी सोचा कि फर्टीलाइजर से हम कुछ समय के लिये तो उपज भले ही बढ़ा लें लेकिन अन्त में, कुछ ही वर्षों बाद, जमीन की पैदा करने की क्षमता खत्म होकर वह रेह देने लगेगी ? केमिकल फर्टीलाइजर्स से हमारी पैदावार उतनी बढ़ नहीं सकती जितनी कि गोबर की खाद से बढ़ती है । जहां तक नयी नयी मशीनों का संबंध है, मैं ट्रैक्टर को ही लिये लेता हूं । जैसा माता टीला बांध के लिये कहा गया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी थी वैसे ही यदि हम ट्रैक्टरों में पैसा बाहर भेजेंगे तो यह भी विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण होगा और हमारे देश में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हो जावेंगे । उनके लिये विदेश से तेल, क्रूड आयल जो कुछ होता है, वह मंगाना होगा और जब वह नहीं मिलेगा तो ये ट्रैक्टर क्या करेंगे ? हमारे यहां एक वकील पिरथी सिंह कहीं से ट्रैक्टर ले आये । वह अलीगढ़ गये, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता गये और यहां लखनऊ भी आये । लेकिन उन्हें उस ट्रक्टर के पुर्जे नहीं मिले और हारकर ५, ६ जोड़ी बैल खरीदने पड़े । तो अब हम इन ट्रैक्टरों को इंधन या तेल नहीं दे पावेंगे तो क्या हालत होगी ? हम अपनी आवश्यकता का कुल १/५ भाग पैदा कर पाते हैं । हमारे यहां देश में नये नये कारखानें चल रहे हैं, नयी नयी सड़कें बन रही हैं । इन सबके लिये पेट्रोल, इंधन और तेल चाहिये । तो फिर यह आवेगा कहां से ? एक स्थिति ऐसी आवेगी कि हम चौपट हो जावेंगे । उपज पर प्रति एकड़ हमारा खर्चा बढ़ जावेगा ।

अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सहकारिता के द्वारा हमारे यहां बेकारी बड़ी दूर हुई है । मैं उनके भाषण को समझ नहीं पाया । जहां ५ आदमी खेती में काम करते हैं वहां सहकारी खेती में १ आदमी काम करता है । इसलिये हम ४ आदमियों को बेकार कर देंगे । आज हम यह देख रहे हैं कि सहकारी खेती केवल लोकतंत्र की हत्या करने के लिये हमारे ऊपर लादी जा रही है । आज हम देख रहे हैं कि यह सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा, लाइसेंस होल्डरों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को जो ऐड मिलती है उनके द्वारा धौंस दबाव देकर वोटें छीनी जाती हैं । जब सहकारी खेती होगी तो डाइरेक्टरों और मैनेजरों द्वारा काश्तकारों के वोट लेने का सरकार यह जरिया निकाल रही है ।

हमारे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में सहकारी खेती किस ओर जा रही है ? मध्य-प्रदेश में ३,१७१ एकड़ में १०० किसानों ने अपनी खेती दी और सरकार ने ५ लाख रुपये से सहायता की, लेकिन थोड़े दिन बाद ४४ काश्तकार उनमें से असन्तुष्ट होकर अलग हो गये । तो इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट है कि खेती वहां घटी । मैसूर राज्य में भी, अलु-पुरम, करनलपट्टी में सहकारी खेती फेल हुई । अभी आंकड़े दिये गये कि ३८० टन चावल प्रति एकड़ चीन में पैदा किया गया, सन् १९५८ में पाटिल जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया । लेकिन वह हमारी समझ में तो आया नहीं कि परत पर परत लगा कर धान बो दिया जाय और सारा का सारा पानी से भर दिया जाय । वह सेवार तो है नहीं जो इस प्रकार से पैदा हो जाय । उन्होंने बताया कि ३८० टन प्रति एकड़ इस प्रकार से रूस में पैदा हुआ । सेवार होती तब तो इस प्रकार से पैदा हो सकती थी । धान को तो पानी भी चाहिये, रोशनी भी चाहिये और वायु भी चाहिये । हमारी समझ में तो आता नहीं कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है ?

रामस्वरूप जी ने बताया कि चीन में सहकारी खेती फेल हो गयी है, अब सरकारी खेती वहां पर हो रही है । यहां भी जो सहकारिता की खेती है वह आगे चल कर फेल होगी और सरकारी खेती लायी जायगी ।

गौतम जी ने कहा कि बहाटिया फार्म में परती जमीन तोड़ी गयी । हो सकता है एक, दो साल अच्छी उपज हो जाय । बताया जाता है कि प्राइवेट आदमी ने ऐसा किया । लेकिन आधारभूत सहकारिता खेती से मंत्री जी यह बतायें कि कास्ट आफ प्रोडक्शन घटेगा या नहीं,

बेकारी भी बढ़ेगी या नहीं ? लेकिन हम तो यह समझते हैं कि इसके द्वारा आप काश्तकारों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है, उत्पादन घट रहा है। इन शब्दों के साथ माननीय भोपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कहा कि अभी थोड़ा इन्तजार कीजिये ।

श्री रामलखन मिश्र—मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हू और उसका कारण यह है कि इससे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तावक महोदय के जो भाव हैं वह पूरे के पूरे भाषा में नहीं उतर पाये हैं, उनसे जो चित्र उपस्थित हुआ है वह बहुत ही धुंधला है। दूसरे उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ । उसके समर्थन में जिन वक्ताओं ने भाषण दिये उन्होंने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया ।

माननीय पाजीवाल जी ने कहा कि वे सहकारिता के सिद्धान्त को तो स्वीकार करते हैं लेकिन उसके कार्यरूप में परिणत होने में कठिनाई होगी। अगर केवल उस कठिनाई की ही बात है तो उसका निराकरण किसी भी प्रकार से किया जा सकता है परन्तु उसके सिद्धान्त पर कुठाराघात नहीं करना चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक सहकारिता का सिद्धान्त है, यह कम्युनिस्टों के यहां से पैदा हुआ और यह भी निर्विवाद है कि उसने जनता की स्वतंत्रता का अपहरण किया है और राजसत्ता पर प्रहार किया । जब उसकी स्मृति हमें आती है तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हमें उसका दुःख होता है । लेकिन समाजवादी प्रणाली के अन्दर जब हमने यह स्वीकार कर लिया कि वह जनता की स्वेच्छा पर होगी, अगर वह करना चाहती है तो करे न करना चाहे तो न करे, और फिर सरकार सहकारिता खेती को लागू करती है तो वह बिलकुल ही निर्दोष हो जाती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इतिहास के रास्ते के ऊपर मनुष्य जहां तक चल सका है वहां से आगे उसका मानसिक उत्थान करने के लिये यह एक युगान्तरकारी कदम होगा जब वह सहकारिता को अपनायेगा । इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहकारिता से लाभ होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा, उसका विकास होगा, आर्थिक ही नहीं अपितु मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही ।

यह बात नहीं है कि यह सिद्धान्त पहले न रहा हो, आज ही उसकी उत्पत्ति हुई हो। ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है । उसमें एक मंत्र आता है :

सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ।

अर्थात् साथ चलो, साथ खाना खाओ, साथ परिश्रम करो, इससे तुम्हारी तेजस्विता बढ़ेगी, आपस में द्वेष न करो । यह इसी बात की ओर संकेत करता है कि सहकारिता पहले से भी थी । इसी प्रकार पाराशर जी उद्घोष करते हैं—"संघे शक्ति कलौयुगे" । मिल कर काम करो, तुम में शक्ति आयेगी । पुराणों में भी इसी प्रकार का संकेत मिलता है । लेकिन मेरा संकेत केवल पुस्तक से नहीं है उसको कार्यरूप में परिणत करने से है । मेरा विश्वास है कि इससे पैदावार बढ़ेगी और कई गुनी होगी, यह करके देखने वाली बात है । लेकिन अब एक बात यह है कि जब एक राजनीतिक पार्टी का जन्म ही इस आधारशिला पर हो जाता है तो फिर वह एक स्लोगन हो जाता है और उस संबंध में जितनी भी बातें कही जायं वे कम हैं । कल से सहकारिता के ऊपर जो सारी बातें कही गयी हैं उनमें कोई विशेष तत्व नहीं है । इतना ही उसमें तत्व है कि यह सर्वमान्य बात है कि राज्यसत्ता को बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहिये। "वेस्ट कन्ट्री इज बैट कंट्री दिच इज लीस्ट गवर्न्ड" । जहां राज्य सत्ता का हस्तक्षेप होने लगता है तो फलतः जीवन बहुत दुखद हो जाता है । हमारे पुराणों में सतयुग का एक वर्णन आता है

[श्री रामलखन मिश्र]

कि अन्ततोगत्वा संस्कार और सुधार की ओर कैसे पहुंचा जा सकता है । ऋषियों ने वर्णन किया है—

"नच् दंड:, नच् दंडका, स्वधर्मणेव रक्षंति, निज धर्मम् परस्परम्" । अर्थात् कोई दंड देने वाला नहीं रहेगा और न दंड रहेगा, वहां दंड प्रायश्चित स्वरूप हो जायगा । आप दूसरे के आचरण को देख कर ही उसे समझने की कोशिश करें । तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारी बातें सहकारिता की ओर संकेत करती हैं और इस तरह से हम सहकारिता को उन्नत करने की ओर पहुंचते हैं । व्यक्तिवाद की ओर चल कर हम पीछे की ओर चलते हैं जो नहीं चलना चाहिये क्योंकि हम उस सिद्धान्त से भ्रष्ट हो जायेंगे तथा एक बहुत बड़ी कठिनाई हमारे सामने आयेगी । इस कारण से सहकारिता के संबंध में राज्य सत्ता का बहुत कम हस्तक्षेप होना चाहिये और उसे जनता के ऊपर लादना नहीं चाहिये । आज उसके अन्दर नाकामयाबी होने का विशेष कारण यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता में हमको बहुत कम विश्वास है और उसमें राज्य सत्ता हस्तक्षेप करे तो एक तत्व ऐसा होता है जो सम्पत्तिशाली होता है और उसका दुरुपयोग करता है । जो दीन होते हैं वे उसकी तरफ खिचते नजर आते हैं क्योंकि एक आदमी जिसके पास अलाभकर जोत है, या अगर वह दैवी आपदा से पिस गया है और अपने अधिक खेतों के लिये उस सारी सामग्री को एकत्रित नहीं कर पाता तो यदि उस गांव में सद्भावना हो जाती है तो सब कठिनाइयां दूर हो जाती हैं । सब गांवों के लिये इसको कम्पलसरी कर देना अवांछनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह जबरिया किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या सिंचाई का क्षेत्र हो, क्या और अन्य उन्नति के क्षेत्र हों, अगर स्वेच्छापूर्वक काम किया जाय तभी हम अपने उस लक्ष्य और उद्देश्य पर पहुंच सकते हैं ।

आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा संकेत करें तो यह ब्रह्मसूत्र सब जगह है---"एकोऽहम् बहु स्याम्" । कल्पना की बात है कि भगवान् एक ही में अनेक हो जाता है । तो एक ही के अनेक हो जाने का सिद्धान्त सर्वत्र जितने भी बाहर भीतर हैं सभी सत्ता में हैं । इस कारण अन्ततोगत्वा अपने जीवन का एक लक्ष्य हो जाता है जिस पर कि हम चलते हैं । अगर उसी को लेकर हम सब काम करें तो ठीक काम चल सकता है । यही कारण है कि वर्णाश्रम के बाद जब हम सन्यास की अवस्था में पहुंचते हैं तो तीन अवस्थायें पीछे गिर जाती हैं और वहां एक समान मानव दृष्टि से काम होने लगता है । तो यह एक बहुत दूर का संबंध है जो प्रत्यक्ष दृष्टि से जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में कोई सहायता नहीं पहुंचाता ; यद्यपि सहायता पहुंचती है । उस व्यक्ति का एक ध्रुवतारा होता है जिस ध्रुवतारा को देख कर वह अपने जीवन क्षेत्र में उतरता है ।

सहकारिता का सिद्धान्त बहुत सुन्दर है । कृषक जो होता है वह एक समूहवादी है । कृषि के क्षेत्र में कोई आदमी सहकारिता को लेकर आगे बढ़े तो वह एक बहुत सुन्दर सी चीज हो जाती है । लेकिन मुख्य बात जो है उसको मैं दोहरा चुका हूं कि राज्य सत्ता का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और उसको लोगों पर लादना नहीं चाहिये । उसमें सारे अवगुण आ जाते हैं । माननीय पालीवाल जी ने जो भाषण दिया उसमें विष-वारुणी, और अमृत सभी की बात कह दी लेकिन उन्होंने भी सिद्धान्त को स्वीकार किया है, उससे उनको कोई द्वेष नहीं है और उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये भी उन्होंने संकेत किया । राज्य मंत्री जी ने भी बताया कि इसमें राज्य सत्ता का कोई हस्तक्षेप न होगा । तो अब कोई चीज नहीं रह जाती जिस के आधार पर शंका की जाय । इस शंका में कोई तथ्य नहीं है । जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह चीज कोई ऊपर से लादी जायगी तो यह ठीक नहीं है । मेरा विश्वास है कि इस सिद्धान्त को ऊपर से नहीं लादा जायगा । लेकिन स्वतंत्र पार्टी की तरफ से जब कि उनका प्रचार ही ऐसा है, तो वह विवश हैं । उनकी सूचना दूसरी प्रकार की हो सकती है, वह दूर तक सोच सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं समझता कि इसमें कौन-सा विष है ।

उनको समझना चाहिये कि यह स्वेच्छा की चीज है, कोई विवश करने की बात नहीं है । आशा है कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जायगी और वह इस को समझेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री मोतीलाल जी, क्या कह रहे थे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं चाहता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री बलदेवसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय---(एक साथ) श्रीमन् ५ बजे तक का समय है, अभी बहुत लोग बोलना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---तो अभी श्री बलदेवसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय बोल लें उसके बाद मैं राय ले लूंगा ।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, अभी बहुत बोलने वाले हैं, अभी तो ५ दिन तक असरकारी दिवस है, अभी इसको चलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---२ भाषणों के बाद मैं इस प्रस्ताव को ले लूंगा ।

***श्री बलदेवसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष रखा है कि शामिल सहकारी खेती से देश के किसानों का अहित होगा और इस वास्ते उसको प्रोत्साहन न दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसके पीछे इतना जबरदस्त षड़यंत्र छिपा है और शामिल सहकारी खेती से ऐसा भय लगता है कि सब फार्म सरकारी हो जायेंगे और कोई दूसरा चारा बीच में नहीं है कि इसको रोक सके । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । अभी मिश्र जी ने इस संबंध में तमाम वेद मंत्रों और ऋचाओं को पढ़ा और बताया कि साथ उठो, साथ बैठो, यह सब तो उन्होंने बताया लेकिन उसमें उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि साथ में खेती भी करो । यह कहीं नहीं लिखा है, इसलिये मैं निश्चिन्त हो गया कि अपनी जगह पर मैं दृढ़ संकल्प हूं और मेरी राय ठीक है ।

माननीय मंत्री जी ने सहकारिता की तारीफ की और देश सेवा की बात कही कि साथ में काम करना सहकारिता है, सेवा सहकारिता है, सम्मिलित काम करना सहकारिता है लेकिन उसमें कोई मानव दबाव या जबरदस्ती न होगी और इस बात की दोहाई बहुत से माननीय सदस्यों ने दी कि जबरदस्ती शामिल सहकारी खेती नहीं कराई जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि अगर जबरदस्ती शामिल सहकारी खेती नहीं होगी तो उसके लिये कौन-सी रोक है और क्यों इसके लिये बिल सदन में लाया गया है ? इसका कारण क्या है कि सदन में बिल आया हुआ है और उसके लिये कोई तारीख मुकर्रर होने वाली है, वह किस लिये है ? आज भी कौन साझे के कानों के लिये किसी को रोकता है, कौन सा कानून है ? क्या जरूरत है कानून लाने की अगर जबरदस्ती नहीं करना है ? जो चाहे करे, लेकिन उसके लिये कानून बनाया जाय और उसके जरिये शिकंजे में हम जकड़े जायं, सिवाय इसके और कोई मनोवृत्ति उसकी नहीं हो सकती । मंत्री जी ने कहा कि देश की सेवा करने के लिये । उनका खयाल है कि रोजगार बढ़ जाएगा । श्रीमन्, ८२ परसेन्ट आदमी प्रदेश का खेती में लगा है । जब बड़ा खेत हो जायगा, ट्रैक्टर आयेगा, आधुनिक ढंग से खेती होगी तो तमाम आदमी बेकार हो जायेंगे । आज १९ लाख आदमी सूबे में बेकार हैं और अगर साझे की खेती हुई तो देश की आधी आबादी बेकार हो जाएगी । जो एक बीघा खेत में मुराई, गड़रिया, कुंजड़े आज पैदा कर रहे हैं वह शामिल सहकारी खेती में २५ बीघे में नहीं हो सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलदेवसिंह]

जो उन्होंने कहा कि देश की ज्यादा सेवा हो तो इससे हम बहुत डरे । एक किस्सा मुझे याद आ गया । एक भले आदमी के गुरू जेठ के महीने में आये । उनकी खूब सेवा की, स्नान कराया और चारपाई पर बैठाकर इत्र गुलाब छिड़का और पंखा लेकर सब लोग खड़े हुए सेवा करने के लिये । एक नौकर था उसने भी यह देखा कि गुरु की सेवा ऐसे होनी चाहिये । इसके यहां माघ के महीने में उसके गुरू आए । वह सबेरे उन्हें कुएं पर ले गया, खूब स्नान कराया, गुलाब वगैरह तो था नहीं दो लोटा पानी उनके बिस्तर पर डाल दिया और सब लोग पंखा लेकर खड़े हो गये । तो गुरू जी बोले कि अब बस प्राण जाना ही चाहते हैं । फिर बिदाई के समय उसने गुरू से पूछा कि सेवा में कोई कसर तो नहीं रह गई? तो गुरू जी ने कहा कि तुम्हारी सेवा में तो कसर नहीं रही लेकिन हमारे पापी प्राण नहीं निकले । तो हम यह डरते हैं कि इस सेवा में हमारे पापी प्राण चले जा रहे हैं । तो जो रूस और चीन के इतिहास को पढ़कर आप साझे की खेती हमारे ऊपर लाद रहे हैं और देश की दरिद्रता को बढ़ाना चाहते हैं, आप पर कभी यह जबरदस्त अभियोग लगेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी सदस्य इधर का हो या उधर का हो जिसका खेती से ताल्लुक है, जिसके पास खेत हैं—मैं गौतम जी को नहीं कहना चाहता जिनका मकान अपर तल्ले पर है, जमीन से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है—वह कभी भी नहीं चाहेगा कि साझे की खेती करे । श्रीमन्, किसान के लड़के आप भी हैं, आपके भी हृदय में यही बात होगी और माननीय गेंदासिंह जी भी कह चुके हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार कहे कि अपना खेत दे दो तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि मैं दे दूं ।

अंत में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है और वह सहकारी जाल शायद उस तरफ के लोग भी नहीं चाहते लेकिन अकेले प्रधान मंत्री नेहरू जी ने नागपुर में यह कह दिया कि शामिल सहकारी खेती से देश को लाभ होगा, लिहाजा सब लोग वही कहने लगे । जानता कोई नहीं है और न कभी उन्होंने उसे किया है । मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्रियों को और प्रधान मंत्री को भी कि वह अपने कार्य को छोड़कर जाकर १० गांवों में खेती करें । रामस्वरूप यादव और डाक्टर सीताराम जी भी गांवों के रहने वाले हैं । अपने गांव में ३ वर्ष तक सफल करके दिखा देंगे तो ५० गांव अपने आप शामिल हो जायेंगे । लेकिन सफल कर के दिखलावें, केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा । उससे न हमारा कल्याण हो सकता है और न देश का । इन्हीं शब्दों के साथ कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि डरें नहीं टिकट मिले चाहे न मिले लेकिन इसका समर्थन जरूर करें ।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, मैं अपने मित्र कुंवर श्रीपाल सिंह जी के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा खयाल है "घोर" शब्द ठीक होगा ।

(हंसी)

श्री गौरीशंकर राय—ठीक है, मान लिया । प्रस्तुत संकल्प का मैं घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है स्वतंत्र पार्टी के नेता, जो इस भवन में ही नहीं बाहर भी उच्च स्थान रखते हैं, माननीय पालीवाल जी ने सुबह अपने विचार व्यक्त किये पर इस समय नहीं हैं और उन्हीं की पार्टी द्वारा चालित यह प्रस्ताव है । अगर वह नहीं हैं तो मेरे मित्र उनको बता देंगे । बहुत समय पहले जिस समय माननीय पालीवाल जी कांग्रेस हाई कमान्ड में थे या कुछ उसके आस-पास ऊंची जगह पर थे, उस समय स्वर्गीय जे० सी० कुमारप्पा और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा कुछ और लोग भी उस समिति में थे । एक रिपोर्ट आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से शाया हुई थी, उसमें माननीय पालीवाल जी थे या नहीं यह मैं नहीं जानता लेकिन कांग्रेस ने उस समय संकल्प किया था कि हम सहकारी खेती का समर्थन करेंगे।

श्री माननीय पालीवाल जी उस समय कांग्रेस में थे जब इस सिद्धान्त का समर्थन किया गया था, और आज भी उन्होंने मान्यवर, कहा कि अगर जबरदस्ती न हो तो सहकारिता के सिद्धान्त से उनका मतभेद नहीं है। मैं समझता हूं माननीय पालीवाल जी ने सहकारिता के सिद्धान्त का समर्थन किया है। विरोध करने वाले मित्रों की बातें मेरी समझ में नहीं आयीं। माननीय हिम्मत सिंह जी ने खाद और ट्रैक्टर का विरोध किया, जब कि उनसे ही खेती बढ़ती है।

मैं माननीय बलदेव सिंह जी से पूछूंगा, स्वतंत्र पार्टी के जो लोग हैं सब के फार्म हैं, क्या इनके फार्म पर ट्रैक्टर नहीं है, खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं? अगर ट्रैक्टर और खाद को हटा देने से खेती का उत्पादन बढ़ता है तो मैं जानना चाहता हूं प्रत्येक मित्र के फार्म पर ट्रैक्टर और खाद क्यों जाती है? बड़ी सीधी बात है, इस देश में अगर इस प्रकार की बात हो तो जरूर देश का दुर्भाग्य है। जिस देश में ९४ फीसदी खातेदार ऐसे हैं जिनके पास १० एकड़ से कम खेती है, ७० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ढाई एकड़ से कम के खेत हैं, १ करोड़ १५ लाख किसान परिवार में से ४६ लाख ४० हजार किसान परिवार के पास सिर्फ साढ़े चौबीस लाख एकड़ जमीन है। इससे एक बात जरूर है जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है और डीक्लास नहीं हो सके हैं वह इसके समर्थक नहीं हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। सदन में बैठे हुए लोगों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनके पास २५ से ५० एकड़ से ज्यादा खेत हैं। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने वर्ग स्वार्थ से च्युत हो पाये हैं और उस दर्जे से नहीं आते हैं जिनके पास अलाभकर जोत की खेती है, जब तक यह लोग अलाभकर जोत के तबके से नहीं आते तब तक यह बात उनकी समझ में नहीं आयेगी।

मैं माननीय बलदेव सिंह और कुंवर श्रीपाल सिंह जी को नहीं समझा सकता। मेरे पिता जी हैं उनको भी नहीं समझा सकता। लेकिन मैं समझता हूं वर्ग स्वार्थ में इस प्रकार नहीं बहना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिये और देखना चाहिये। जो इस देश में अलाभकर जोत वाले इतनी लम्बी तादाद में किसान हैं उनका कल्याण कैसे होगा? किसी के पास एक आध बीघे जमीन है, वह बैल नहीं खरीद सकते, तो कैसे उनका काम चलेगा? खुद खरीदने के लिये उनके पास पैसा नहीं है। पुराने हल से खेती की पैदावार बढ़ नहीं सकती। जिस तरह से माननीय हिम्मत सिंह जी ने भारतीय संस्कृति का जिक्र किया और उसको मानते हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने प्राचीन भारतीय हल को भी मानना प्रारम्भ कर दिया। और अगर भारतीय संस्कृति का अर्थ प्राचीन हल से भी है और उसी से खेती करना चाहते हैं तो कभी भी भविष्य में यह भारतवर्ष सुखी नहीं हो सकता।

जिस देश में ८५ फीसदी लोग खेती करते हों उस दश का पढ़ा लिखा विधायक यह राय रखता हो कि खेती में नई मशीन और नई खाद का प्रयोग नहीं किया जाय तो यह देश का दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल हो उस सवाल पर राजनीतिक दृष्टि से ऊपर होकर विचार करना चाहिये। माननीय बलदेव सिंह कहते हैं कि वह किसान हैं तो मैं माननीय बलदेव सिंह से कम खेती करने वाले किसान का बेटा हूं। आज भी हमारे पिता जी खेत पर होंगे। यह बात नहीं है कि अकेले बलदेव सिंह जी किसान के लड़के हैं। वे जरूर हैं और उनकी स्वतंत्र पार्टी के जो लोग हैं वह जिस प्रकार किसान के बेटे हैं वैसा मैं नहीं हूं, जो एबसेंटी किसान हैं, हैं लखनऊ में और खेती होती है फार्म पर। आप इस दृष्टि से देखिये कि इस देश की पैदावार कैसे बढ़ेगी? पैदावार बढ़े या न बढ़े तो फिर खेत के लम्बे चौड़े या बड़े छोटे होने से काम नहीं चलेगा।

इस सम्बन्ध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ शंका व्यक्त की गयी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का अपना एक प्रस्ताव है जो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से पहले का प्रस्ताव है। उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया था कि जमीन की सीलिंग हो और सीलिंग के बाद जो जमीन बचे

[श्री गौरीशंकर राय]

वह बची हुई जमीन भूमिहीन किसानों में बांट कर सब से पहले सहकारिता का प्रयोग करना चाहिये और सरकार को उसे सहायता देना चाहिये, तब सहकारिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस संबंध में चीन का नाम लिया गया। रूस की कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बहुत-सी बातें कही जाती हैं। वहां दृष्टिकोण उनका बदला है। चीन का पैटर्न रूस के पैटर्न से भिन्न है। रूस के तजुर्बे से चीन ने सीखा। फिर यह देश प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाला है और कम्युनिस्ट पार्टी की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन बाकी लोग इस देश में प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं और कोई यह हिम्मत नहीं कर सकता कि जबरदस्ती कोई चीज मनवाई जा सके। कहा गया कि शिकंजे में फांसा जा रहा है और कोई षड़यन्त्र रचा जा रहा है। तो न कोई शिकंजे में फांसा जा रहा है और न षड़यन्त्र में फांसा जा रहा है। किसान आज कंजरवेटिव है। उसके पिछड़ेपन को हटाना जरूरी है और उसे सहकारिता के सिद्धान्त को समझाना है ताकि देश की पैदावार बढ़े।

पालीवाल जी ने गोविन्द सहाय जी को कोट किया। मेरा यह दुर्भाग्य है कि माननीय गोविन्द सहाय जी समाजवाद की जो परिभाषा करना चाहते हैं मैं उसे सुन कर चौंक पड़ता हूं और समझ में नहीं आता कि समाजवाद उन्होंने कहां पढ़ा है। उन्होंने यह कह दिया कि कोआपरेटिव फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग के प्रोसेस का मार्ग है। यह बड़ा ही कन्फ्यूज्ड इंटरप्रिटेशन समाजवाद का है। मैं समझता हूं कि अपरिपक्व विचारों के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। राज्य का अधिकार होना और समाज का अधिकार होना, दोनों दो बातें हैं। आज प्रातः काल माननीय पालीवाल जी ने समाजवाद का और मार्क्सवाद का विश्लेषण किया। आजकल इन हमारे मित्रों के पूज्य देव चौधरी चरण सिंह जी हैं। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है। वह पुस्तिका हमारे मित्रों के लिये गीता का काम करती है। लेकिन उन गुरू को अपने गौरव का इतना ध्यान नहीं है कि अपने विचार में तथा अपने कार्य में एकता कर लें।

सहकारिता का विरोध करना आज इस देश की तरक्की का विरोध करना है, इस मुल्क की प्रगति का विरोध करना है और किसान की पैदावार और खेती में बढ़ोत्तरी का विरोध करना है। हमारे हिम्मत सिंह जी ने कहा कि उनके जिले में देखा जाय तो जितना मकसद है उससे ज्यादा पहले से ही पैदावार होती है, इसलिये सहकारिता की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहता। अपने साथ मैं उन्हें ले चलना चाहता हूं और उनके जिले से हटकर दूसरे जिलों में चल कर वे देखें कि जहां छोटी खेती होती है, अलाभकर जोतें हैं उनमें खेती को नुकसान होता है। उन लोगों की खेती को चलकर देखें। आप अपने जिले को देख कर या दो, चार बड़े किसानों को देख कर देश और प्रदेश का भविष्य अगर निश्चित करना चाहते हैं तो मेरी समझ में यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

आप देखें आज छोटे-छोटे किसानों की हालत क्या है? यह निश्चय है कि अगर सहकारिता के आधार पर किसान अपनी खेती को नये ढंग से कर सके तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा। अमरीका में १३ फीसदी लोग खेती करते हैं। अगर हमारे माननीय श्रीपाल सिंह जी अमरीका के किसान होते तो मेरा उनके दृष्टिकोण से मतैक्य होता। वहां केवल १३ फीसदी लोग खेती करते हैं। लेकिन जिस देश में ८५ फीसदी लोग खेती करते हों और जो इस देश की उत्पादन शक्ति हो उस शक्ति के बारे में इस प्रकार के विचार ठीक नहीं हैं। वैसे प्रचार करने के लिये चाहे जो कहें वरना रूस और चीन की तरह जबरदस्ती करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में भी जबरदस्ती, डंडे के बल से कोआपरेटिव फार्मिंग की बात हुई है। शायद हमारे माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को मालूम नहीं है कि जब उनकी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था उसी समय से इधर बैठने वाले रूस के उस तरीके

को जिसमें कि जबरदस्ती कोआपरेटिव फार्मिंग की गयी थी उसका विरोध किया गया था। तो जिन लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास है उन्होंने रूस और चीन के तरीके की उतनी ही घोर निन्दा की है जितनी की आज हम सहकारिता का विरोध करने वालों की निन्दा करने के लिये प्रस्तुत हैं। हमारे लिये यह आवश्यक है कि देश के अलाभकर जोत वाले किसान आपस में संगठित होकर के अपनी खेती को प्रभावकारी बनायें और उसके उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास में हम सब लोगों को सहयोग देना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि हमारे आदरणीय मित्र अपना प्रस्ताव वापस लेंगे और सहकारी खेती में लोगों को आपस में मिलकर काम कराने में सहयोग देंगे, किसान में दुर्भाव पैदा करने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि उसमें सहकारिता की भावना पैदा करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी का प्रस्ताव ले रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि २९ माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं और आमतौर पर पुनरुक्ति हो रही है।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सुझाव के अनुसार उसी विश्लेषण का प्रयोग करते हुए जो माननीय श्रीपालसिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस प्रस्ताव का विरोध मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव सही माने में जो समय की मांग और पुकार है उसके अहित में है और यह प्रस्ताव प्रगतिशील नहीं बल्कि एक प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव है।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए माननीय कुंवर श्रीपालसिंह और माननीय पालीवाल जी ने कुछ तर्क प्रस्तुत किये। मुझे माननीय पालीवाल जी के तर्क को सुनने के बाद ज्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया और उसमें लेनिन की बात को लेकर यह कहा कि कांग्रेस सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य-क्रम को लागू कर रही है। लेनिन ने जिस प्रकार से किसानों को समाप्त करने के लिये यह कहा था कि पहले सामन्त प्रथा को समाप्त करो, उसके बाद बड़े किसानों को समाप्त करो और छोटे किसानों को मजदूर बना दो, उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार ने पहले जमींदारी प्रथा समाप्त की, फिर हदबन्दी का कानून लाई और अब कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये छोटे-छोटे किसानों को मजदूर बना देना चाहती है।

मान्यवर, माननीय पालीवाल जी उन नेताओं में से रहे हैं जिन्हें देश का गौरव प्राप्त था और प्रदेश की गरीब जनता की राय के अनुकूल उन्होंने आन्दोलन में हिस्सा लिया था कि जमींदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये और इसके लिये हमारे प्रदेश ने सारे देश की रहनुमाई की थी और माननीय पालीवाल जी उसमें शामिल थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज वह उस नारे के खिलाफ बात कहते हैं और वह यह महसूस करते हैं कि जमींदारी प्रथा को प्रदेश से समाप्त करके कांग्रेस ने कोई बड़ी भारी गलती की। मुझे इसलिये और भी अफसोस हुआ कि जिस नारे को लेकर माननीय पालीवाल जी प्रदेश की गरीब जनता के नेता बने थे और कांग्रेस के काम को पूरा किया था, और जो देश की मांग थी, उसको पूरा किया था, लेकिन आज उनकी विचार धारा उसके प्रतिकूल बन गई।

आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम अपने देश और प्रदेश में खेती किस तरह से करें? मैं इस माने में तो प्रस्तावक महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सदन को मौका दिया है कि हम लोग इस प्रश्न पर दुबारा विचार करें। आज पूरा देश इस पर विचार कर रहा है कि हमारी कृषि की व्यवस्था क्या हो, हमारी खेती का स्वरूप क्या हो। चाहे कोई भी हो.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आज हर पार्टी के अन्दर इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है और उसका स्वरूप निर्धारित किया जा चुका है। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन प्रस्तुत किया गया था। उसके ऊपर माननीय पालीवाल जी ने यह भी कहा था कि गांधी जी की बात कम्युनिस्ट नेताओं के मुंह से सुनकर उनको आश्चर्य होता है। उन्हें हो सकता है, लेकिन वह स्वयं कहते हैं कि वह गांधीवाद की विचारधारा से, सर्वोदय की विचारधारा से सहमत हैं, तो फिर उन्हें फख्र होना चाहिये था और जिस बात को महात्मा गांधी जी ने कहा था उसको लागू करने के लिये उनको आगे आना चाहिये था, अगर उनकी यह राय थी। किसी के मुंह की बात दूसरे के कह देने से वह बदल नहीं सकती है। गाँधी जी ने एक बात कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में कही थी। मैं उसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा था कि—

"I firmly believe, too, that we shall not derive the full benefits of agriculture until we take to co-operative farming. Does it not stand to reason that it is far better for a hundred families in a village to cultivate their lands collectively and divide the income therefrom than to what applies to land applies equally to cattle"?

"I hold further that the latter is wrong and the former only is right. In reality, even the individual can only safeguard his independence through co-operation. In cattle farming the individual effort has led to selfishness and inhumanity, whereas the collective effort can abate both the evils, if it does not remove them altogether."

इतनी स्पष्ट राय सहकारिता के बारे में गांधी जी की थी।

आज हमारे देश के विचारक विनोबा जी तथा जयप्रकाश नारायण जी जो अपने को किसी पार्टी का नहीं कहते हैं, वह देश की समस्या को जानते हैं, वह किसानों की समस्या को जानते हैं, इसीलिये उन्होंने नारा दिया है कि हमारी जमीन का समाजीकरण होना चाहिये और सब को मिलकर खेती करना चाहिये। कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने एक स्टेट फार्म और एक व्यक्तिगत फार्म को देख कर अच्छी बात कही थी। उन्होंने देखा कि व्यक्तिगत फार्म के अन्दर खेती खूब लहरा रही थी और स्टेट फार्म के अन्दर जो बीजों के अंकुयें निकले थे वह सूखे हुए थे तथा मुरझाये हुए थे और आगे यह कहा था कि हमारी सरकार का यह समाजवाद उसी तरह से सूखा और मुरझाया हुआ है। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ और मुझे उनसे यह शिकायत है कि आप ऐसा विचाराधारा लाये समाजवाद की और जरा सी बात को आपने संकीर्ण रूप से देखा कि स्टेट फार्म के अन्दर समाजवाद का पौधा आपको सूखा हुआ और मुरझाया हुआ नजर आया, लेकिन सारी दुनिया में जिस तीव्र गति से समाजवादी व्यवस्था बढ़ रही है, आज दुनिया की आधी जन-संख्या समाजवादी ढांचे के नीचे अपने भविष्य को सुरक्षित कर रही है। विश्व को उसी समाजवादी व्यवस्था की यह देन है कि समाज और जनता के अन्दर उसने उन समाजवादी भावनाओं को भरने की कोशिश की है, समाजवाद को इतनी तेजी से बढ़ाया है और गरीब किसान और मजदूर उसमें अपना सुनहरा भविष्य बना रहा है तथा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इन सारी बातों को इतने संकुचित रूप से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

इस संबंध में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा था कि समाजवादी देश भी अब सहकारी आन्दोलन को छोड़ रहे हैं। उन्होंने पोलैण्ड का हवाला दिया और कहा कि पोलैण्ड ने सहकारिता को अपनाया और जब उसने देखा कि यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती तो उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह को शायद लेटेस्ट तथ्यों की जानकारी नहीं थी। पोलैण्ड ने कोआपरेटिव फार्मिग में विश्वास नहीं खोया। कोआपरेटिव फार्मिंग लागू की गयी। नया तजुरबा था। उसमें कुछ गलतियां हुईं। उन्होंने उनको दूर करने के लिये

कुछ दिनों के लिये उसको स्थगित कर दिया । उसके बाद विचार किया कि कौन-सी गलतियां हैं । फिर कोआपरेटिव फार्मिंग को अधिक उन्नत रूप में लागू किया और आज पोलैण्ड के अन्दर सहकारी आन्दोलन और सहकारी खेती बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है ।

माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने एक-आध सहकारी समिति में कुछ गड़बड़ी देखी और उन्होंने कह दिया कि सहकारिता और समाजवाद के अन्दर सारी की सारी गड़बड़ी है। मैंने आज से दस-ग्यारह वर्ष पहले जब जमींदारी अबालिशन पर डिबेट हो रही थी, तो उसकी प्रोसीडिंग्स देखीं । माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वर्ग के प्रतिनिधियों ने उन दिनों भी यही तर्क दिया था कि जमींदारी तोड़ने से गरीब किसान का लाभ होने वाला नहीं है। जमींदारी तोड़ने से गरीब किसान सरकार का गुलाम हो जायगा । हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो जायगी । लेकिन क्या आज इस सदन का कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर साहस के साथ यह कह सकता है कि जमींदारी प्रथा को तोड़ कर हमने गलती की ? क्या इस बात को कह सकता है कि जमींदारी प्रथा को तोड़ने से हमारा किसान गुलाम बना, हमारी आर्थिक नींव कमजोर हुई ? यह बात सही है कि उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन जमींदारी प्रथा के अन्त से देश और प्रदेश के किसानों को लाभ हुआ है ।

हमारे देश ने सहकारिता आन्दोलन और सहकारी खेती को क्यों स्वीकार किया ? एक गंभीर बात थी । हमारी सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल चीन के अन्दर भेजा था । चीन एक ऐसा समाजवादी मुल्क था जिसने नये ढंग से, चूंकि हमारे देश और चीन की समस्याएं काफी मिलती थीं, वह भी कृषि प्रधान देश था, सहकारी आन्दोलन का प्रयोग किया था । हमारी सरकार ने डाक्टर पंजाबराव देशमुख की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा । उसने गांव-गांव जाकर फार्म देखे । जो आमतौर पर कम्युनिस्ट कंट्रोल पर एक चार्ज होता है कि वहां घूम कर देखने की पूरी आजादी नहीं होती, इस संबंध में उस प्रतिनिधि मंडल ने साफ कहा है कि हमें पूरी छूट थी हम जिस प्रकार चाहते थे, पूरे चीन के अन्दर जाकर देखते थे । अच्छे फार्म भी देखे, बुरे फार्म भी देखे और उसके बाद एक रिपोर्ट दी कि हमें देश की कृषि की व्यवस्था के अन्दर अगर क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है और खाद्य समस्या को हल करना है तो निश्चित रूप से हमें सहकारी खेती को सिद्धांत रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिये ।

सहकारी खेती के विरुद्ध एक सब से बड़ी दलील यह दी जाती है कि उसमें व्यक्तिगत इंसेंटिव समाप्त हो जाता है और पैदावार गिर जाती है । उसके अन्दर कमजोरियां आने लगती हैं। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट में कहा गया है—

"The success of the co-operatives in China is due to the efforts of the people supported by the entire machinery of the Government and the Party. Individual and group incentives have been preserved on by evolving a system of work evaluation known as 'norms', which enables a fairly accurate assesment of the quality and quantity of every type of agricultural work put in by a member."

श्रीमन, तो दोष उस प्रथा में नहीं है, उस सिद्धान्त के अन्दर नहीं है । लेकिन यह बात जरूर है कि जिस प्रकार से, जिस परिस्थिति में हमारे यहां सहकारिता आन्दोलन को, कोआपरेटिव फार्मिंग को लागू करने का नारा दिया है उसके ऊपर भी हमें गम्भीरता से विचार करना है । यह कुछ ऐसी मौलिक चीजें हैं कि जिनके ऊपर एक बार नहीं कई बार सदन में हमने इस प्रश्न को उठाया है कि आज सरकार की जो कार्यपद्धति है, सरकार की जो मशीनरी है, सरकार का जो ब्यूरोक्रेटिक तरीका है चीजों को लागू करने का, उसका नतीजा यह होता है कि जब उसके अन्दर असफलता होती है तो आम जनता के अन्दर ऐसे तत्वों को जो हरएक प्रगतिशील बात का

[श्री चन्द्रजीत यादव]

विरोध करते हैं मौका मिलता है कि उन प्रगतिशील सिद्धान्तों के खिलाफ वह जनता में भ्रम पैदा करें, गलत प्रचार करें और उसका फायदा वह इसके जरिये से उठायें।

आज सहकारिता के कामों में गबन की जब यहां चर्चा होती है, सहकारी खेती में पैदावार को जब गिरते हुए देखते हैं और उस पर खर्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारे कुंवर श्रीपाल सिंह जैसे साथियों को यह मौका मिलता है कि वह उसको लेकर के पूरे सिद्धान्त के खिलाफ अपनी आवाज उठायें। लेकिन वह दोष उसमें नहीं है। दोष कार्य-पद्धति में है। अगर सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग को लागू करने के लिये सरकारी मशीन के ऊपर निर्भर होगी, अगर उसकी निर्भरता पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी पर होगी, सरकारी अधिकारियों पर होगी, तो निश्चित रूप से उसके अन्दर खामियां आयेंगी और जन-सहयोग फिर उसमें हो नहीं सकता। जरूरत इस बात की है कि जनता के अन्दर इस बात की शिक्षा फैलायी जाय, उसको इस प्रकार से शिक्षित हम करें, उसको इसके महत्व को समझायें, जिससे कि उसके अन्दर इस प्रकार की प्रेरणा पैदा हो कि जनता स्वयं इस काम को अपनाये, सरकार उसमें केवल एक सहायक के रूप में हो न कि सरकार के हाथ में इनीशियेटिव हो और जनता सहायक बन जाय और सरकारी मशीनरी पर सारी चीजें निर्भर हो जायं।

श्रीमन् हमें आज इन सारी बातों को करने की जरूरत है। सहकारिता के स्तर पर जो कायदे कानून हैं, जो भी अधिकार अधिकारियों को दिये हुए हैं हमें उनको बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस समय जो कांग्रेस ने यह एक नारा दिया है कि सहकारी खेती को करने के पहले सेवा सहकारी समितियों को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाय वह आज की परिस्थिति में एक सही चीज है। आप जनता को सेवा सहकारिता की तरफ ले चलिये, उद्योगों के अन्दर जनता की सहकारी समितियों की स्थापना कीजिये जिससे कि सही माने में वह सहकारिता के महत्व को समझे, उसको कार्य रूप में भी वह देखें और उससे वह प्रभावित हो। फिर आगे चलकर धीरे-धीरे प्रेरणा पैदा करके उनको इस आन्दोलन में लगाया जा सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आज खतरा इस बात का है कि जैसी हमारी भूमि-व्यवस्था है अगर इसके अन्दर हम सहकारी आन्दोलन को प्राथमिकता दें और दूसरी जन-विरोधी व्यवस्थाओं में सुधार न करें तो बहुत सम्भव है कि ऐसी सहकारी समितियों में भी वह तत्व हावी हो जायेंगे जिनके पास कि अधिक जमीन है। इसीलिए हमारी पार्टी ने बराबर कहा है कि जमीन के बटवारे को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे कि किसी के पास इतनी ज्यादा जमीन न रहे कि वह इस व्यवस्था का भी लाभ उठा कर वहां भी हावी हो जाय। इसलिए प्राथमिकता जमीन के बटवारे को देनी चाहिए। इसके बाद सहकारिता के अन्दर इसको रखना चाहिए।

श्रीमन्, अगर हमने सहकारिता आन्दोलन के अन्दर किसान को शिक्षित करने का प्रयास किया और सही माने में केवल सरकारी मशीन के ऊपर ही निर्भर न रह करके इसे लागू किया तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की कृषि व्यवस्था में यह सहकारिता आन्दोलन सफल होगा और हमारे प्रदेश की जो मुख्य समस्या है खाद्य की जिस पर कि हम करोड़ों रुपया प्रति वर्ष बाहर से अनाज मंगाने में खर्च करते हैं, वह समस्या हल हो जायेगी। इन बारह-तेरह वर्षों के अन्दर १३ सौ करोड़ रुपये का अनाज हमने बाहर से मंगाया है और यह अनाज बाहर से मंगाने की प्रथा जो है उसने हमारे राज्य के ऊपर ऋण का बोझ डाला है। हमको ऐसे मुल्कों के साथ समझौता करना पड़ा है और ऐसी शर्तों के उपर करना पड़ा है जो सही मानों में हमारी अर्थ व्यवस्था में जंजीर की तरह इसके अन्दर हो गया है। उसे तोड़ने के लिये जरूरत इस बात की है कि हम इन सारी बातों से आगे बढ़ें।

श्रीमन्, माननीय पालीवाल जी ने सहकारिता के ऊपर बोलते हुए यह कहा था कि हमारे प्रदेश या देश के अन्दर इस सिद्धान्त से उनको विरोध नहीं है, लेकिन मैं जब श्रीपाल सिंह जी के इस प्रस्ताव को देखता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है। पालीवाल जी उनकी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सहकारिता अन्दोलन के सिद्धांन्त से उनको कोई विरोध नहीं है।

लेकिन आप का प्रस्ताव सिद्धान्ततः उस आन्दोलन का विरोध करता है। एक सिद्धान्त का प्रश्न उठता है। अगर यह बात है तो उन्हें प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये और इस प्रस्ताव में इस बात को कहना चाहिये कि सिद्धान्ततः उनको इसमें एतराज नहीं है लेकिन जो पद्धति या प्रोसीजर या गड़बड़ी या उसके कानून की गड़बड़ी है उसके अन्दर उचित परिवर्तन करके सरकार को लाना चाहिये। मैं समझता हूं इसमें सदन के किसी एक व्यक्ति को भी एतराज नहीं हो सकता। हम इस बात को एक राय से स्वीकार कर सकते हैं और इस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन हमारे देश की आवश्यकता को देखते हुये एक उचित आन्दोलन है। हमें धीरे-धीरे जनता को शिक्षा देनी चाहिये और उसके अन्दर प्रेरणा और भावना को पैदा करते हुये इस आन्दोलन को लागू करना चाहिये।

इस संकल्प में कहा गया है कि सहकारी खेती को किसी रूप में सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय। एक तरफ भाषण के अन्दर यह बात कहते हैं कि सरकार उसको जबरदस्ती लाना चाहती है और सरकार को चाहिये कि किसानों के अन्दर इस प्रकार से थोपने की चेष्टा न करे और दूसरी तरफ प्रस्ताव पेश करके यह कहते हैं कि सरकार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। यह दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध बैठती हैं। मैं समझता हूं कि कहा कुछ और जाता है और प्रस्ताव के अन्दर कुछ और बात कही जाती है। इसके पीछे केवल एक ही भावना है और वह यह कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो सामन्ती व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अन्दर एक वर्ग विशेष को कुछ विशेष अधिकार दिये गये थे, उसका एक वेस्टेड इन्टरेस्ट कायम हो गया था, उसकी सुरक्षा करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है।

पालीवाल जो ने कहा था कि छोटा किसान इस कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्दर मजदूर बन कर रह जायगा। मैं समझता हूं कि डर इस बात का नहीं है। कोआपरेटिव फार्मिंग या ज्वाइंट फार्मिंग के अन्दर छोटा किसान एक मजदूर नहीं बल्कि उस जमीन का मालिक बनेगा, उसमें सहयोगी होगा। यह बात बिल्कुल उल्टी है कि उसके अन्दर वह मजदूर बन जायगा। आज भी हमारे प्रदेश में किसान ८० फीसदी मजदूर हैं जिनके पास २ एकड़, २॥ एकड़ जमीन है, जो अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी बनी हुई है। सही माने में यह सहकारी आन्दोलन उनको मजदूर की स्थिति से निकाल कर एक मालिक की स्थिति में डालता है। हमारे वे दोस्त जो इस प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं और पारित करना चाहते हैं इस बात के आदी रहे हैं कि वह एक वर्ग को अपना मजदूर बना कर रखें और गुलाम बना कर रखें।

आज भी वह अपने को इस लालच और प्रलोभन से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं और जो आज समय की मांग है उसको पहचान नहीं पाते हैं। आज समय का तकाजा है कि उनको समय के साथ एडजस्ट करना चाहिये। लेकिन आज वह अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये वह चाहते हैं कि उस मजदूर प्रथा को अब भी जारी रखा जाय और छोटा किसान सहयोगी न रहे बल्कि मजदूर बन कर रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है उसका घोर विरोध होना चाहिये। अगर हमने इस प्रस्ताव को पास किया तो हमें इतिहास इस बात के लिये क्षमा नहीं करेगा कि समय की गति को हमने पहचाना नहीं और देश के किसानों के साथ हमने अन्याय किया।

(श्री रामेश्वरप्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं उनको बुला चुका हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि जो यह प्रस्ताव सदन के सामने है यह आज की दुनिया में समाजवादी व्यवस्था में विश्वास

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

रखने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों को, चाहे वे समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हों, उनके लिये वह एक तरह से चुनौती है । मैं यह भी समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो कुंवर श्रीपालसिंह जी की तरफ से आया है वह एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से, एक ऐसे समूह की तरफ से आया है जो सदैव शोषण में ही विश्वास रखता है और एकतंत्रवाद में ही उसका विश्वास रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप समूह कह सकते हैं, व्यक्ति न कहें ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—ठीक है, श्रीमन् । वह एक ऐसे समूह की तरफ से आया है जो कि हमेशा शोषण में ही विश्वास रखता रहा है ।

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव को दूसरे ही रूप में लेता हूं । जो कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा हम आज लगा रहे हैं उसे कांग्रेस ने अपने नागपुर सेशन में स्वीकार किया था, यह बात नहीं कि उसको हमने किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से माना हो । मैं समझता हूं कि आज हमारे युग के जो खेतिहर लोग हैं यह उनको इकनोमिक नीड है और उनके लिये एक ऐसी बेसिक चीज है जिसके कारण हम आज प्रदेश में कोआपरेटिव फार्मिंग को लाना चाहते हैं । इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और आशा करता हूं माननीय श्रीपाल सिंह जी भी उनको ध्यान से सुनेंगे । जो एग्रीकल्चरल सर्वे सन् १९५०–५७ तक हुआ उसके अनुसार ३६.१ करोड़ आदमी हमारे देश में थे और उसमें से २९.८ करोड़ देहाती क्षेत्र में थे । उसमें भी २२.२ परसेंट लैंड-ओनर्स थे और २०.२ फीसदी नान-एग्रीकल्चरिस्ट लेबरर्स थे । २७.२ फीसदी टेनेन्ट्स थे और ३०.४ फीसदी एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे ।

दूसरी बात यह थी कि उस समय के सर्वे के अनुसार हमारे प्रदेश में १६ लाख लेबरर्स थे जिनके पास परमानेन्ट तरीके से एमप्लायमेंट के साधन नहीं थे । फिर आल इंडिया की जो पर कैपिटा इन्कम थी वह थी २८५ रुपये और हमारे प्रदेश की थी केवल १०७ रुपये । साथ ही साथ ३५.५ मिलियन होल्डिंग्स हमारे प्रदेश में हैं जिनमें से १६.८ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है । २१.३ फीसदी २.५ एकड़ से ८.१ एकड़ के बीच हैं और २९ फीसदी ऐसे हैं जो २.६ एकड़ के बीच हैं ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुये)

इन आंकड़ों से यह बात साबित होती है कि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे प्रदेश की खेतिहर लोगों की है और जो आज डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तहत में चल रहे हैं । डिमिनिशिंग रिटर्न्स के मातहत ज्यों-ज्यों टाइम बीतता जायेगा, वह प्रोडक्शन के लिए जो लागत लगायेंगे उससे उनकी इन्कम कम होती जायेगी । इन परिस्थितियों में ऐसे प्रस्ताव, जैसा की श्रीपाल सिंह जी लाये हैं इसको न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । आज बार-बार स्वतंत्र पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि क्योंकि जवाहरलाल जी के मुंह से एक शब्द निकल गया और कांग्रेस वालों ने उसको पकड़ लिया और वही नारा लगाकर पोलिटिकल सिद्धान्त बना लिया । उसका यह वजूह नहीं है, उसका वजूह हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था से संबंध रखता है । जहां तक हमारे नेहरू जी का सवाल है, उन्होंने कभी किसी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग जो होगी वह किसी के ऊपर लादी जायगी या जबरदस्ती की जायगी । उन्होंने कोआपरेशन की बात बार-बार कही थी । उनका एक कोटेशन मेरे पास नोट है । उन्होंने कहा था—

"Co-operation in the very nature of things is a voluntary business and if joint farming comes, it will be with the consent of the people concerned".

इसके माने यह हैं कि कहीं भी जबरदस्ती लादने का प्रश्न नहीं है । इससे तो कोआपरेटिव फार्मिंग का मंशा ही खत्म हो जायगा, जहां कोई स्टेट या लीडर या पार्टी जबरदस्ती बाई लेजिस्लेशन अपने कृषकों को मजबूर करे कि तुम कोआपरेटिव फार्मिंग करो । तो हमें अपने

नेता की इस सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने इस सिलसिले में दी है । अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े थिंकर्स ने यह बात कही है कि कोग्रापरेटिव फार्मिंग वहां फेल होगा जहां पर यह कानून से बचने के लिये अरगेंनाइज किया जायेगा या जिसमें हमारे कुंवर श्रीपाल जी जैसे बड़े-बड़े फार्मर्स भी शेयर-होल्डर्स होंगे । इसलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें कोई इतना बड़ा काश्तकार न हो जाय जिसके पेट में सारे छोटे फार्मर्स समा जायं या अपने इनफ्लुएंस से एक्सप्लायट करता रहे ।

कुंवर श्रीपालसिंह—होगा यही ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—यह नहीं होगा और इसलिये नहीं होगा कि खतरा हमारे सामने पहले से था, इसलिये वह सीलिंग बिल लाया गया और उस खतरे को मीट करने के लिये पहले से ही तैयारी की गई जिससे वह स्थिति आ ही नहीं सकेगी कि बड़ा काश्तकार छोटे काश्तकार को एक्सप्लायट कर सके । इसलिये यह स्वतंत्र पार्टी का असफल प्रयास है और साथ ही साथ यह भी है कि एक थोथा नारा देकर जनता को गुमराह करने का सवाल है । अब उनकी लीडरशिप की हालत क्या है ? माननीय पालीवाल जी बड़े बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ इस विधान सभा में और बाहर भी उनके विचार सुनने का हमें मौका मिलता है, जैसा कि चन्द्रजीत जी ने कहा । अध्यक्ष महोदय, पालीवाल जी आपके साथ काम कर चुके हैं, आप भी उनके विचारों से वाकिफ हैं । समाजवादी व्यवस्था में वह बहुत पहले से विश्वास करते रहे हैं लेकिन अब वह ऐसे शिकंजे में फंस गये हैं जहां से वह निकल नहीं सकते हैं । उनकी पार्टी का सारा आर्गेनाइजेशन ही ऐसे आदमियों का है जो दूसरी तरफ को खींचते हैं । अगर पालीवाल जी सारे लोगों के खिलाफ अपनी ताकत भी लगावें तो उनकी लीडरशिप खतरे में हो जाय । तो ऐसी हालत में वह मजबूर हैं । मुझे उन पर दया आती है ....

श्री अध्यक्ष—आपको पार्टियों के ऊपर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिये, यह अनुचित है । आप अपने तर्क ही चलाइये, यह ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—जनसंघ के मेरे साथी मलिखान सिंह जी ने कहा कि हम उनकी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । हम तो उनकी बात सुनने के लिये हमेशा ही तैयार हैं बल्कि उनको सुनाते भी रहते हैं । जहां तक मैं समझता हूं मलिखान सिंह जी की पार्टी रिएक्शनरी लोगों की पार्टी है । तो जो रिएक्शनरी लोगों की पार्टी हो और कम्यूनल बेसिस पर जिसका आर्गेनाइजेशन हो, वह अगर ऐसी बातें सुनावें तो हमें सुनने में कोई उज्र नहीं है, उनकी बात को सुनने में हमें कोई घबराहट भी नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने यहां एक इवैलुएशन कमेटी बैठी थी । उसने इस दिशा में कई सोसाइटियों का सर्वे किया और उसके बाद यही नतीजे निकाले कि सोसायटियों के बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो कृषक हों वह स्वयं खेती भी करते हों । ऐसा न हो कि लेबरर्स इम्पलाय कर लिये जाते हों किराये पर और उनसे काम लिया जाता हो । ऐसी हालत में सोसायटी फेल हो सकती है । जैसा अभी कहा गया कि लखनऊ में बैठकर लेबरर्स को एक्सप्लायट करते रहे और फर्जी सोसायटी बनाकर काम लेते रहे तो वह सोसायटी भी फेल हो जायगी । इसके साथ ही साथ बड़े स्केल पर सोसायटी नहीं होनी चाहिये , यह भी उनका मत था । उस हालत में भी सोसायटी फेल हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, आयोजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमननारायण ने यह राय दी थी कि हमारे देश या प्रदेश में जो सोसायटियां बनें वे ५०, १०० या २०० एकड़ तक की ही होनी चाहिये, इससे अधिक की नहीं होनी चाहिये । अगर इससे अधिक की सोसायटियां होंगी तो उसमें भी फेल हो जाने का खतरा पैदा हो जायगा ।

अब जहांतक इस बात का सवाल है जैसा की श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा कि चीन और रूस में कलेक्टिव फार्मिंग कामयाब हुई, तो उन मुल्कों के कन्सेप्शन और हमारे मुल्क के कन्सेप्शन में अन्तर है । दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिये उन मुल्कों से कोआप-

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

रेटिव फार्मिंग के संबंध में हमारे लिये सीखने का प्रश्न नहीं उठता। चाइना और रशा में तो ५०-५० हजार एकड़ तक के फार्म्स हैं। हम बेसिकली इतने बड़े फार्मों के खिलाफ हैं। हमारी कन्ट्री में अगर उस प्रकार के फार्म्स हो जायं तो कभी कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे यहां सफल नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है वह केवल एक पोलिटिकल स्टन्ट है, वह संकल्प निकम्मा है, दीवालिया है और समाज विरोधी है। इस संकल्प को वापिस लिया जाना चाहिये अन्यथा सदन इसको नामंजूर करदे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मलिखानसिंह का नाम पुकारने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने श्री मलिखानसिंह को बुला लिया है। इन के बोल लेने के बाद मैं आपका प्रस्ताव ले लूंगा।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन में कुंवर श्रीपाल सिंह ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों के विचार सुने और दो पार्टियों, अर्थात् जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त और दूसरी पार्टियों के जितने भी सदस्यों के भाषण पार्टियों के आधार पर हुए, उनसे स्पष्ट रूप से यह बात मालूम पड़ती है कि वे सभी दल सहकारी खेती के पक्ष में हैं।

मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यह जो सहकारी खेती का दौर-दौरा चला है उसके बारे में कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश की आबादी बहुत घनी है, इसलिये अगर हम ट्रैक्टर्स लायेंगे तो अपने बीच में बेकारी की समस्या को और ज्यादा बढ़ायेंगे। क्योंकि ट्रैक्टरों से काम करने पर ५० आदमियों में से ४५ आदमी बेकार हो जायेंगे।

अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनायी है कि कोआपरेटिव फार्मिंग से जो बेकारी बढ़ेगी, उन गरीब मजदूरों को काम देगी? जिन मजदूरों के हिमायती श्री चन्द्रजीत यादव और उनके साथी हैं, क्या उनके लिये कोई योजना बनायी गयी है?

अब तक हमारे यहां भारतीय पद्धति से खेती होती थी, हल से खेती होती थी। गाय हमें दूध देती थी, और बछड़े भी देती थी जिससे हम खेती का काम लेते थे, खाद के लिये गोबर भी देती थी। दूसरे रूप में बछड़ा अगर ज्यादा है तो बाजार में वह बिकने जाता था और उससे हमें धन मिलता था और दूसरे गांव का किसान उसको खरीद कर ले जाता था। इससे एक गांव से दूसरे गांव में आदान-प्रदान होता था। यदि हमें और अच्छे बैलों की आवश्यकता होती थी तो भी हम जरा दूर चले जाते थे, लेकिन फिर भी उसका पैसा हमारे देश या प्रदेश में ही रहता था, लेकिन क्या ट्रैक्टर्स का कारखाना अपने देश में खुल गया है? अगर नहीं खुला है तो उसका जो भी पैसा होगा वह विदेशों को जायगा। बैलों का चारा भी वहां गांव में ही पैदा होता था। उसका गोबर हमारे काम में आता था, उससे हम कम्पोस्ट खाद बनाते थे, लेकिन ट्रैक्टर क्या चारा खायेगा? वह तो पेट्रोल खायेगा जो भी बाहर से ही आयेगा। उसका पैसा भी बाहर के देशों को जायगा। ट्रैक्टर देगा धुआं, वह भी आसमान में चला जायगा।

अब हमारे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि हम ट्रैक्टर्स से उत्पादन बढ़ा लेंगे। लेकिन उत्पादन तो तभी बढ़ेगा जब हमारे खेतों में खेती होगी और खेती होगी तब, जब हम किसी आधार पर मेहनत करेंगे, और तभी हमारा उत्पादन बढ़ सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब रहा यह कि गांवों में जाकर कहा जाता है कि हम साझे की खेती करना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर बाबा से लेकर नाती तक आज भी गांवों के अन्दर शामिल रहते हैं और समाज में उनको बड़ा अच्छा सत्कार मिलता है क्योंकि लोग कहते हैं कि यह बहुत अच्छा परिवार है, चूंकि वे सभी इकट्ठा रहते हैं, उनके खानदान में कोई ऐसी बात नहीं होती कि वे अलग रहें। तो जहां तक साझे की खेती की बात है हमारे यहां की यह परम्परा चली आयी है कि एक आदमी पूरे घर की व्यवस्था करे, लड़के को पढ़ावे और जो भी दूसरे काम हों, उनको करे।

अब होगा यह कि खाली कागज पर तो मेड़ें होंगी और उनका हिस्सा होगा, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप आज तक लेखपालों की रिश्वत नहीं बन्द कर पाये, जब सिपाहियों की रिश्वत नहीं बन्द कर पाये, तो क्या उस कोआपरेटिव सुपरवाइजर की रिश्वत बन्द कर लेंगे जिनके जरिये से इन किसानों और मजदूरों का शोषण होगा? जब सीटें हिलने लगी हैं तो देहात के किसानों को अपने कब्जे में करने के लिये एक सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाया गया और शहर के चन्द पूंजीपतियों के दलालों ने एक योजना तैयार की कि इन किसानों के अन्दर जाकर हम उनको किसी तरह से बेवकूफ बना कर इस कोआपरेटिव फार्मिंग के आधार पर अपनी जमींदारी कायम करें।

पहले जमींदारों के कहने पर किसान वोट नहीं देता था तो वे कहते थे कि अच्छा कल खूंटा कहां गाड़ोगे, उसी तरह से जब कोआपरेटिव सुपरवाइजर भी गांव में बैठा हुआ होगा और फार्म्स के मैनेजर बैठे हुए होंगे और उससे कहेंगे कि किधर वोट दोगे तो किसान यही कहेगा कि आप को ही वोट देंगे और कहीं उसने कोआपरेटिव सुपरवाइजर के खिलाफ वोट दिया तो कहेगा कि कल से २० आने की नौकरी नहीं मिलेगी और २० आने की नौकरी न मिलने के डर से किसान मजबूर होकर कोआपरेटिव सुपरवाइजर की बात मानेगा। जिस तरह से नौकरशाही और जमींदारों के बल पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कायम रखा उसी तरह से सोशलिज्म के नाम पर और नौकरशाही के बल पर यह सरकार अपनी सत्ता को कायम रखने का षड़यन्त्र कर रही है जिससे उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के किसान उसके आर्थिक गुलाम बन कर रहें और नौकरशाही की तरफ देखें और जिसको वे चाहें उन्हीं को उनका वोट मिले।

हम कहते हैं कि सहकारी खेती के आधार पर आप किसानों को साधन दीजिये, सीड स्टोर्स से जो बीज देकर सवाई वसूल करते हैं उसको बन्द कीजिये, उनको बैलों के लिये तकावी दीजिये, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें बना कर उनके लिये कुएं बनवाइये, रहट बनवाइये।

अनइकोनामिक होल्डिंग के नाम पर अगर किसी के पास १५ बीघे जमीन है तो उसका क्या होगा? आज गांव का किसान अपने लड़के के बीमार पड़ने पर उसके इलाज के लिये अपनी जमीन में से एक बीघा बेच कर उसका इलाज कानपुर, लखनऊ या दिल्ली से करवा लेता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने गांव-गांव में अस्पताल खोल दिये हैं जहां वह अपना तथा अपने लड़के का इलाज करा सके? आज जब सहकारी समितियों में जमा किया हुआ २० रुपया भी तीन-तीन साल तक वापस नहीं मिलता है तो उस गरीब किसान की जमीन वापस करने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है कि कल को वह चाहे तो उस सहकारी खेती से अलग हो जाय और अपने लड़के के इलाज के लिये अपना एक बीघा खेत बेच सके? उसकी जमीन वापस नहीं होगी और उसमें सालों लग जायेंगे तथा ४ बीघे का किसान अपनी इच्छा के अनुसार अपने लड़के का इलाज कानपुर या लखनऊ में नहीं करा पायेगा, क्योंकि वह नौकरशाही के बल पर मजबूर हो जायगा और तीन-तीन साल तक उसकी जमीन वापस नहीं मिल सकेगी। जब रुपया तीन-तीन साल तक वापस नहीं मिलता तो जमीन उसको किस तरह से तीन साल से पहले वापस मिल सकेगी और किस तरह से वह उसको बेच सकेगा?

सरकार ने जो योजना बनायी है उसके बारे में कहा यह जाता है कि वह जबरिया नहीं करना चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने गांव-गांव में अस्पताल बना दिये हैं? अगर

[श्री मलिकानसिंह]

आप गांवों में चार-चार पांच-पांच मील की दूरी पर ही सरकारी अस्पताल बनवा दिये होते जिससे उस गरीब का जो २० आना लेता है, कम से कम इलाज हो सके, इससे सन्तोष हो सकता है, लेकिन उनके दिल में तो चोर है, वह पूंजीपतियों और शहरों की भावना से प्रेरित हैं, आज देहात में कोई यूनिवर्सिटी, कोई डिग्री कालेज नहीं खोला जाता, वह चाहते हैं कि देहात का किसान बे पढ़ा-लिखा ही रहे। जब उसका लड़का १२ साल का होगा और बालिग होगा तो वह चाहते हैं कि सिर्फ वह अपने लड़के से कहे कि तू भी चल और १२ आने की मजदूरी कर और २० आने की मैं करूं ताकि इतना पैसा तो आये जिससे कम से कम घर के लोगों के कपड़े तो बन सकें। इस तरह से किसान का बेटा पढ़ने की बात नहीं सोच सकता, वह सोचेगा कि १२ आने ही कमाते रहें और फावड़ा चलाते रहें, इसी में भला है। उनके लड़के इंजीनियर और डाक्टर नहीं बन सकते। यहां शहरों में तो जो पार्टी के नाम पर सत्ता कायम किये हैं उनके लड़के पढ़ेंगे, यही लोग जो टिकट लेकर एम० एल० ए० बनेंगे और अपने लड़कों को पढ़ायेंगे। जितनी मदद मिलती है वह शहर के लोगों को ही मिलती है, वहीं के लोग अपने लड़कों को पढ़ाते हैं और वही फिर गांवों में जाकर शासन करते हैं। वह सिद्ध करते हैं कि अल्पमत बहुमत पर किस तरह से शासन कर सकता है और यही चक्र चलता है समाजवाद और साम्यवाद के नाम पर। इस तरह से बुद्धि के बल पर अल्पमत गरीब देहात के रहने वाले बहुमत को एक चक्र में डालता है, उस किसान और उस मजदूर को जो देहात में रहता है उसको जन्म जन्मान्तर के लिये गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है।

कहा जाता है कि हमारी सरकार और वह पार्टी बड़ी प्रगतिशील हैं, और दूसरे दलों की दूषित विचारधारा बताई जाती है। हम चाहते हैं कि यहां एक समाजवादी व्यवस्था कायम हो और पहले देहातों में यूनिवर्सिटी या डिग्री कालेज न सही तो कम से कम हाई स्कूल और अस्पताल तो अवश्य खोले जायं ताकि बेपढ़े-लिखे लोगों में जागृति आये और उनकी चिकित्सा ढंग से हो सके। जितने काम हैं सब के लिये आज भी पैसा किसान से आ रहा है, और उसी के पैसे से लखनऊ, दिल्ली और बड़े-बड़े नगर सजाये जा रहे हैं, और अगर अनुपात लगाया जाय तो यहां के मुकाबले में देहातों में कुछ भी नहीं हुआ है और तरह-तरह से उनको तबाह किया जाता है। सदन में बड़े आंकड़े दिये जाते हैं और कहा जाता है कि हम किसानों की प्रगति करके उन्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन जो आज केन सुपरवाइजर हैं या और दूसरे सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजिंग कमेटी में लोग हैं और जहां पैसे का काम और लेन-देन होता है, जहां खाली भट्ठे से ईंट पकाकर बेची जाती है उसमें अध्यक्ष महोदय, करोड़ों और लाखों रुपए का गबन होता है जिसको सरकार आज तक रोक नहीं सकी, तो आज यह कैसे चाहते हैं कि हम गांव-गांव में जाकर कोआपरेटिव फार्मिंग के आधार पर अपने यहां समाजवादी समाज की रचना करेंगे।

आज पूंजीपतियों ने और उनसे मिली हुई सत्तारूढ़ पार्टी ने एक चक्र बनाया हुआ है जिसके द्वारा समाजवाद के नाम पर वह हमेशा के लिये किसानों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहां का किसान मजदूर उनके चंगुल से न निकल सके। इसी विचारधारा के लोगों ने केरल में जाकर लोग से गठबन्धन किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा किसने दिया? कौन साम्प्रदायिक तत्त्वों को बढ़ावा देता है? किस पार्टी के लोगों ने इस चीज को प्रोत्साहन दिया, यह वह बतायें। मैं जानना चाहता हूं कि अकालियों से गठबन्धन किसने किया, किस तरह से जाति और धर्म के आधार पर उनकी नीतियां चलती हैं और उसी के आधार पर आज वह देश का विघटन करना चाहते हैं, इस सबका जिम्मेदार कौन है? आज वह इस तरह की नीतियों से यू० पी० में ही नहीं बल्कि सारे देश के किसान और मजदूर को पीसने का एक चक्र रच रहे हैं ताकि वह सदा के लिये इनके गुलाम बने रहें। जो प्रस्ताव आज आया है वह सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों के हित के लिये है, उनकी मदद की जाय और जितनी भी मदद हो सके वह की जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके विरोध में जो बोलते हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९,

विपक्ष में--६१।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में मैंने कई भाषणों को सुना। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि पालीवाल जी अपने जीवन के एक बड़े भाग में क्रान्तिकारी विचारों के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिये और देश के किसानों के लिये एक बड़े युद्ध में सक्रिय भाग लिया है। तो जब मैं उनके विचारों को जोकि इस संकल्प के सम्बन्ध में उन्होंने रखे, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में किया है उसके विपरीत सुनता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह एक बुरी सोहबत में फंस गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वोदय की बात का और अध्यात्मवाद की बात का जहां तक सम्बन्ध है, मैं स्वयं भी और मेरा खयाल है कि कांग्रेस के काफी व्यक्तियों की ऐसी संख्या है जो भौतिकवाद के पूर्णतः समर्थक नहीं हैं, लेकिन जब मैं स्वतंत्र पार्टी की ओर से सर्वोदय की और गांधी जी की तथा विनोबा जी की बात सुनता हूं और आध्यात्मिक बात सुनता हूं तो वह मेरे मन में प्रवेश नहीं करती। आप जानते हैं, सर्वोदय या समाजवाद या किसानों का हित न तो बम्बई के मिल-मालिक के हाथ में सुरक्षित है और न देश के अन्य बड़े आदमियों तथा जयपुर के महाराजा के हाथ में सुरक्षित है.....

एक सदस्य--गुप्ता जी के हाथ में है।

श्री देवकीनन्दन विभव--हां, मैं समझता हूं उनके हाथ में उनसे अधिक सुरक्षित है जिन्होंने क्रान्ति के विचारों के लिये जीवन भर संघर्ष किया है। तो निश्चय है सामूहिक और सहकारी खेती के लिये इस देश में कुछ समस्यायें हैं। यह भी ठीक है कि सहकारी खेती ने देश में वह उत्साह की लहर नहीं फैलायी जो फैलनी चाहिये थी। परन्तु यदि यह कहा जाय कि सहकारी समितियों से देश में प्रगति नहीं होगी किसानों की, तो मैं इसे नहीं मानता। आज देश की मौलिक समस्या यह है कि यहां की गरीबी कैसे दूर की जाय, पर-कैपिटा इनकम को किस तरह से बढ़ाया जाय, तो यह कैसे होगा ?

आज यह भी निश्चित है कि इस देश में आबादी बढ़ रही है, पर-कैपिटा लैंड की देश में कमी है, हिन्दू अनडिवाइडेड कौटुम्बिक प्रथा का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। तो उसका क्या परिणाम होगा ? आज जिनके पास भूमि है उसका और अधिक विभाजन होगा। जिस देश में भूमि की कमी है, आबादी बढ़ रही है, जोतों की तादाद बढ़ रही है और उसका औसत रकबा घट रहा है, तो आखिर इस अर्थ-व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं ? इस तरह से अनइकोनामिक होल्डिंग, अलाभकर जोत हो जायंगी। ऐसी हालत में सिवाय इसके कि कुछ लोग मिल कर के खेती करें और कोई रास्ता नहीं रह जायगा।

जो आज सहकारी खेती के खिलाफ कहते हैं, मैं मानता हूं, हमारे देश में वह प्रवृत्ति नहीं है, सहकारिता का भाव नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस रोग का दूसरा क्या इलाज है ? देश में जो कृषि का उत्पादन, पर-कैपिटा जो ग्रेन, फूड स्टफ़ की कमी होती जा रही है, इस बीमारी का हल क्या है ? मेरा खयाल है कोई भी प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति इस समय उसके लिये एक ही उपाय बता सकता है कि कुछ लोग मिल करके खेती करें। ५० फीसदी जोतें ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी हैं, २, ३, ४ बीघे की ही हैं, उनमें किस तरह से खेती कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं ? इसका कोई जवाब स्पष्ट आना चाहिये। कुंवर श्रीपाल सिंह जी समृद्धिशाली व्यक्ति हैं प्रदेश के। उनको कोई नहीं कहता कि वह आकर सहकारी खेती करना चाहें तो अच्छा है लेकिन न करें तो उनके लिये आवश्यक नहीं है। लेकिन जिन गरीब किसानों के लिये वे आवाज उठाते हैं उनकी समस्या का हल फिर क्या है ? मैंने कई मर्तबा उनको

[श्री देवकीनन्दन विभव]

अर्थ-व्यवस्था पर विचार किया है। मेरे खयाल में इस देश में एक ऐसे समाज को स्थापित करना पड़ेगा जो कृषि के साथ उद्योग भी करता हो। अगर इस देश के किसानों की गरीबी को हटाना है तो उस आबादी के ५० प्रतिशत को कृषि से हटाना होगा। तो यह कैसे करेंगे आप? उसका एक ही उपाय है कि सहकारी खेती हो और जिनके थोड़े बहुत खेत हों, आधे बीघे, १ बीघे या २ बीघे के, वे सहकारी खेती में शामिल हो जायं और उनको इंडस्ट्रीज की तरफ लाया जाय। इस बात की दुहाई दी जाती है और गलतफहमी पैदा की जाती है कि सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये किसानों को भूमि से च्युत कर देना चाहती है, उनको मजदूर बनाना चाहती है और उनके मालिकाना हक को खत्म करना चाहती है। यह वस्तु-स्थिति के बिल्कुल विपरीत है।

यह कहा गया कि एक दफा सम्मिलित होने के बाद यह कहा जायगा कि दो तीन साल तक तुम अलग नहीं हो सकते। मेरा खयाल है कि कोई सम्मिलित खेती करना चाहता है और तीन साल भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह प्रयोग क्या होगा? तीन साल तक किसान मिल कर काम करें, अगर सफल हों तो ठीक, वरना अलग हो जायं, यह उनकी इच्छा पर है। तो सरकार ने जिस नीति का अवलम्बन किया है वह सही और दुरुस्त नीति है। फिर सरकार ने सहकारी खेती पर जोर नहीं दिया है, उसने सहकारी खेती जो करना चाहें, उस ओर कदम बढ़ाने के लिये उनको थोड़ी सी सुविधायें दी हैं। सरकार ने अपनी शक्ति तो साधन समितियों पर लगाई है और इस प्रदेश या देश में शायद ही कोई ऐसे दिमाग का आदमी होगा जो साधन समितियों का विरोध करे। फिर इन साधन समितियों का प्रयोग छोटे-छोटे किसानों के हित में तभी हो सकता है जब वे सहकारी खेती करने को तैयार हों।

हमारे सामने देश के औद्योगीकरण का भी सवाल है। देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो देश का औद्योगीकरण जरूर किया जाय, इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी। लेकिन साथ ही यह बात भी निश्चित है कि औद्योगीकरण भी देश का उसी समय हो सकता है जब कि हमारी कृषि व्यवस्था इस प्रदेश की एक ठोस और एक सही-सही नीति पर अवलम्बित हो। देश में खाद्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारी एस्टिमेट कमेटी की एक उपसमिति कुछ साधन समितियों तथा सहकारी समितियों को देखने गयी और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जिन गांवों में सहकारी खेती का प्रादुर्भाव कई साल पहले हुआ था, जिसमें कुछ विशेष जमीन ही शामिल की गयी थी, अब वहां के लोग यह विचार कर रहे हैं कि बाकी बची हुई जमीन को भी सहकारी खेती में शामिल कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—किस गांव की बात आप कह रहे हैं?

श्री देवकीनन्दन विभव—मेरठ जिले में एक मसुरी ग्राम है, उसकी बात मैं कह रहा हूं। हां, हमारे इतने मित्र हैं, ये गांव-गांव में जाते हैं और सहकारी खेती के खिलाफ लोगों में विचार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी हालत में अगर लोगों के दिल में सहकारिता के विरुद्ध भावना पैदा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह तो मैं मान सकता हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हों जो कहें कि सहकारी खेती के लिये सरकार की तरफ से जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये, यह भी हो सकता है कि उसके लिये कोई विशेष सहायता नहीं होनी चाहिये, लेकिन पालीवाल जी तो स्वयं कहते हैं कि वह सिद्धांततः सहकारिता की भावना को मानते हैं और मेरा खयाल है कि हमारे कुंवर श्रीपाल सिंह जी भी इसी सिद्धांत को मानते होंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनको यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट ने लोगों को मजबूर किया सहकारी खेती करने के लिये? एक पक्ष का तो यह कहना है कि सहकारी खेती को जितनी सहायता सरकार से मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है। तो फिर केवल सहकारी खेती के नाम से भड़कने की क्या बात है?

मैंने इस सदन में कुछ सैद्धांतिक चर्चा भी सुनी। मार्क्स के समाजवाद के बारे में आज दुनिया में लोग यह मानने लगे हैं कि वह कोई अन्तिम वेद वाक्य नहीं हो गया है। वह बहुत पुरानी चीज हो गयी है। अब जो नयी-नयी परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं, जो नये-नये साइन्स के आविष्कार हो रहे हैं उनमें मार्क्सवाद की पुरानी रट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर परिस्थितियों को भी देखा जाता है। मार्क्स को हम हर जगह बिठाने की कोशिश करें, मेरे खयाल में यह भी कोई सही चीज नहीं है। गांधी जी ने उसका एक सिद्धांत रखा, विनोबा जी भी उसका एक क्रियात्मक रूप सामने ला रहे हैं। तो बहुत से ऐसे प्रयोग हो सकते हैं जिनको हम सफलतापूर्वक उपयोग में ला सकते हैं। इसलिये मेरे खयाल से जरूरत इस बात की है कि जनता में एक आस्था पैदा की जाय। अगर सरकारी स्तर पर आप चाहते हैं कि सहकारिता सफलता प्राप्त कर ले तो मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। सरकारी तौर पर लोगों के दिलों में सहकारिता की भावना पैदा नहीं की जा सकती। यह तो जनता का काम है या उन लोगों का काम है जो यह कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग की लाइन पर हमें देश को लाना है। मेरा खयाल है कि इससे देश आगे बढ़ेगा, उसकी अन्न की समस्या दूर होगी और हम देश में वह व्यवस्था ला सकेंगे जिसका स्वप्न हम बहुत दिनों से देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि यह समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिये अब इसको स्थगित करके अगले दिन इसकी चर्चा चले। जो वक्तव्य शिक्षा मंत्री जी देने वाले थे अध्यापकों के बारे में, अगर वह तैयार हों तो अभी दे दें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—यह श्रीमन्, अब सोमवार को लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—जो अगला असरकारी दिन आयगा उस दिन लिया जायगा।

कुंवर श्री पालसिंह—श्रीमन्, अब तो चार पांच दिन लगातार असरकारी दिवस हैं।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह तो हैं ही और यह सोमवार को लिया जायगा।

अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देने के विरोध में भूख हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में प्रश्न कई बार सदन के सामने भी आया। इसके बारे में चर्चा भी कई बार हुई। श्रीमन्, यह बात सही है कि इस वक्त तक तो जिन अध्यापकों को ७० रुपये वेतन मिलता था उनको महंगाई भत्ता मिलता था, उस तरह से ८० रुपये तक मार्जिनल एडजस्टमेंट होता था।

श्रीमन्, जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, उस पर्चे में भी आज मुझे देखने को मिला और वैसे भी माध्यमिक शिक्षक संघ से आंकड़े सरकार को आये थे और शिक्षा निर्देशक की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि करने के लिये कागजात तैयार हुए थे। यह ठीक है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिकारी तो यह समझते हैं कि थोड़ा सा व्यय सरकार का होगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। श्रीमन्, एक तो आमदनी का जहां तक सम्बन्ध है मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऐसा खयाल है कि जो फीस महंगाई की ली जाती है उससे आय लगभग २ करोड़ ८५ लाख १८ हजार रुपये होगी। लेकिन शिक्षा निर्देशक ने जो आंकड़े तैयार किये हैं उससे श्रीमन् १ करोड़ १७ लाख ४५ हजार रुपये की आमदनी अनुमानित है और जो अन्य मदें हैं श्रीमन्, उनमें तो ज्यादा फर्क नहीं है। इसी में फर्क है और सिद्धांत के आधार पर बड़ा भारी फर्क है।

[श्री रामस्वरूप यादव]

इसमें फर्क इस वजह से मालूम पड़ता है कि १५ प्रतिशत जो विद्यार्थियों की फीस माफ हुआ करती है, ऐसी बात माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिकारियों ने अपने आंकड़े तैयार करते वक्त लगा ली है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि २५ प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत तक फीस माफ हो जाया करती है, कुछ की तो गरीबी के आधार पर, कुछ की योग्यता के आधार पर, कुछ की राजनीतिक पीड़ितों के आधार पर और कुछ की परिगणित जाति के आधार पर, इस प्रकार से यह ३० प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसका कारण तो यह हो सकता है।

दूसरा कारण जो मुख्य है वह यह है कि सिद्धांततः जब एक बार यह स्वीकार कर लिया जायगा कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को वही महंगाई दी जाय जो अन्य राज्य कर्मचारियों को दी जाती है तो जूनियर हाई स्कूलों, जिला बोर्डों, म्युनिसिपल बोर्डों और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को नहीं समझाया जा सकता है और वह कभी न कभी सवाल जरूर आयेगा। चाहे यह हो सकता है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में इंतजार कर लें और सच्चा संघर्ष शायद बच जाय। लेकिन वह भी इसी आधार पर संघर्ष कर सकते हैं और हमें फिर स्वीकार करना पड़ेगा।

आज स्थिति यह है कि इस वक्त तक एक लाख अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में हैं और २८ हजार अध्यापक माध्यमिक स्कूलों में हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३३ हजार प्राइमरी स्कूल थे और हमारा इरादा हो रहा है कि २३ हजार प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल इत्यादि खोलें, इससे भी अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी। श्रीमन्, वह जो आंकड़े तैयार किये गये हैं, वे सही होने चाहिये। जब कि भविष्य में क्या होने वाला है और कितने अध्यापक बढ़ेंगे, उनके साथ साथ यदि महंगाई भत्ते की बात स्वीकार कर लेंगे तो श्रीमन्, २३ करोड़ रुपये का अनुमान तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है।

श्रीमन्, एक भ्रम यह भी चल रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने कितना वायदा कर दिया है या क्या कह दिया। यह तो सही है कि पंच-वर्षीय योजनाओं के चलाने में केन्द्रीय सरकार का मुख्य सहयोग होता है। केन्द्र सदैव प्रदेश की स्थिति को देख कर जितना आवश्यक समझता है, उतनी सहायता अगली पंचवर्षीय योजना के लिये देता है, पिछले वर्षों के अन्दर हमें ५० फीसदी मिलता रहा है। इस वर्ष आशा है कि ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ में वह सीमा निर्धारित कर देते हैं कि किसी विषय में पंच-वर्षीय योजना में कितना रुपया खर्च होना चाहिये। शिक्षा की जो हमारी प्लान की सीमा है वह ४६ करोड़ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह सोचना कि ४६ करोड़ में से २३ करोड़ केवल महंगाई भत्ते पर खर्च कर दें तो श्रीमन्, इसका निश्चय आदरणीय सदन के सदस्य ही कर सकते हैं। हम अपनी किस-किस योजना को सिर्फ महंगाई का भत्ता देने के लिये छोड़ दें? हमको स्कूल खोलने हैं, भवन बनाने हैं, कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध करना है। माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा की प्रगति करनी है और साथ-साथ में जो केन्द्र का मंशा है, प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति के लिये विशेष प्रयत्न करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा में करीब करीब सबसे पिछड़ा हुआ है, ७० फीसदी खर्चा प्रारम्भिक शिक्षा पर करने का हमारा इरादा है, जब ७० फीसदी उस पर खर्च होगा और ४६ करोड़ की सीमा है तो उसमें २३ करोड़ हम माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को दे सकें, आज की स्थिति में हमारे लिये यह सम्भव नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि जब देश के अन्दर सभी सूबों ने माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों को ३५ रुपया महंगाई भत्ता देना स्वीकार कर लिया है और दो साल से वह दे रहे हैं, तो इस सरकार द्वारा इसका अनुगमन न करने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जहां तक और प्रदेशों का सम्बन्ध है वह पहले से दे रहे हैं लेकिन हमारी एक विशेष परिस्थिति है। हम शिक्षा में भी पीछे हैं, हम और क्षेत्रों में भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह औद्योगीकरण हो या कुछ और। केवल महंगाई भत्ता देने से हमारी प्रगति नहीं मानी जायगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि केन्द्र इस बात के लिये राजी है कि प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता अगर प्रदेशीय सरकार बढ़ाये तो आधा धन केन्द्रीय सरकार देने को तैयार है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शायद मैं स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने यह कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५० फीसदी वह हमें दे रहे थे, लेकिन हम को आशा है कि अब ७५ या ७८ फीसदी देंगे। लेकिन जो सीमा निर्धारित कर दी है उसी के अन्दर खर्च कर सकेंगे। वह तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख कर देते हैं। हमारी मांग यह है कि उनको ज्यादा देना चाहिये, लेकिन ४६ करोड़ के अन्दर ही शिक्षा का बजट तृतीय पंचवर्षीय योजना में रहेगा।

श्री प्रतापसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार, जितना रुपया प्रदेशीय सरकार का महंगाई का भत्ता देने में लगेगा, उसका आधा रुपया प्रदेशीय सरकार को देने को तैयार है? मैं पंचवर्षीय योजना के बाहर की बात पूछ रहा हूं।

श्री रामस्वरूप यादव—केन्द्रीय सरकार को आपत्ति नहीं है। शर्त उनकी यह है कि प्लान की सीमा है, उसी के अन्दर सब चीज रहेगी। अगर उसके अन्दर महंगाई भत्ता दे सकते हैं, तो दे देना चाहिये। लेकिन मैंने वही दिक्कत बतायी कि ४६ करोड़ में से २३ करोड़ महंगाई भत्ता दे कर और काम बन्द कर दिये जायं, यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो महंगाई का भत्ता मिलता है माध्यमिक शिक्षकों को वह हमारे देश के अन्य सूबों में सबसे कम है ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर प्रदेश से कम है यह तो बताना सम्भव नहीं है लेकिन बहुत से प्रदेशों से कम है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय प्लान में जितना शिक्षा का बजट केन्द्र ने दिया था उसमें से कितना आप खर्च नहीं कर सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उसके बारे में भी भ्रम है। २२ करोड़ जो प्लान की रकम सबसे पहले निर्धारित की गई थी वह दो बार रिवाइज हो चुकी है। २२ करोड़ से १६ करोड़ हुई और १६ करोड़ से फिर रिवाइज होकर १५ और १४ करोड़ के बीच में हो गई थी। इस हिसाब से कुछ लाख रुपये चाहे बच गये हों, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन करोड़ों की बचत का सवाल नहीं है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—१६ करोड़ ३३ लाख दिया गया था उसमें ९ करोड़ शायद आपने खर्च नहीं किया, तो आप बतायें कि वास्तव में कितना रुपया बचा ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो श्रीमन्, जो मंत्री महोदय का एक स्मृति-पत्र है उसमें भी देखा कि २२ करोड़ की रकम थी पहले, जब कि शुरूआत हुई। उसके बाद वह

[श्री रामस्वरूप यादव]

१६ करोड़ के लगभग कर दी गई और अन्त में वह १४ और १५ करोड़ के बीच कर दी गई। तो चन्द लाख की बचत उसमें हुई होगी, वह बताना इस समय सम्भव नहीं है, लेकिन करोड़ों की बचत हुई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मुझे जो जवाब दिया गया है, कौंसिल में आप ही ने जवाब दिया है, कि १६ करोड़ ३३ लाख में से ३ करोड़ ४० लाख सन् ६० के बीच में आप खर्च कर चुके थे, तो एक साल में ही आपने कितना ज्यादा खर्च कर दिया ?

श्री अध्यक्ष—कौंसिल में क्या जवाब दिया था उससे यहां प्रश्न उठता नहीं। यह आंकड़े तो हर समय याद नहीं रह सकते हैं कि कब क्या दिये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस आय-व्ययक को पेश करते हुए महंगाई भत्ते में जो चार रुपये देने की घोषणा की है, वह दूना अगर कर दें तो सरकार को कितना अधिक व्यय करना पड़ेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह आंकड़े तो इस समय बताना सम्भव नहीं है कि दूना करने पर कितना खर्च और करना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह जो माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने आंकड़े दिये थे और मिले भी थे शायद शिक्षा मंत्री से वह, उनसे माननीय मंत्री जी ने मतभेद बताया तो अब माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर उनकी शर्तें मान ली जायं तो उनके हिसाब से कितना खर्च सरकार को करना पड़ेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके हिसाब से जिसमें केवल माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक सम्बन्धित हैं, उन्होंने ७ करोड़ २९ लाख ३३ हजार का खर्चा बताया है, यह उनके भी रिवाइज्ड में बता रहा हूं, दो तरह के आंकड़े उन्होंने दिये हैं, तो यह रिवाइज्ड है और आमदनी ६ करोड़ ४९ लाख ८४ हजार ५ सौ बताया है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं दस मिनट का समय और बढ़ा देता हूं। ५ बज कर १० मिनट तक यह प्रश्न चलेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र से उसने कभी महंगाई भत्ते के लिये मांग की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मांग तो स्पेसिफिकली अलग से इसके बारे में नहीं की गई थी, लेकिन पत्र-व्यवहार केन्द्र और प्रदेश की सरकारों के बीच इन विषयों पर हुआ करता है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या उन्हें इस बात की सूचना है कि केन्द्र ने जो सहायता देने का विचार प्रकट किया है उसका उपयोग हमारे देश में अन्य प्रदेश कर रहे हैं और केवल हमारे प्रदेश में उसका उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अन्य प्रदेशों में किन परिस्थितियों में यह महंगाई भत्ता दिया गया है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है उसकी स्थिति मैंने सदन के सामने रख दी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने खुद कहा कि बहुत से प्रदेशों से हमारे यहां यह महंगाई का भत्ता बहुत कम है, तो क्या आज भी माननीय मन्त्री जी इस बात के लिये तैयार हैं कि केन्द्रीय सरकार को लिखें कि जो इस समय भत्ता दे रहे हैं उसका हम दुगुना करना चाहते हैं, तो इतना रुपया और दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, आज तो जो विचार है वह मैंने निवेदन कर दिया। अब कुछ और परिस्थिति को देखकर लिखना नहीं है, लेकिन जब लिखेंगे तब यह जरूर सोचा जायगा कि प्राइमरी अध्यापकों को भी हमें देना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक शिक्षा संस्थायें, जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें उसी मात्रा में ३०, ४० रुपया महंगाई मिलती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो जो सरकारी महंगाई भत्ता है, वही मिलता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार २८ हजार माध्यमिक अध्यापकों की सुविधा को देखते हुए कि उनको आजकल महंगाई के समय में कठिनाई है, केन्द्रीय सरकार को लिखने का प्रयास करेगी कि उनको भी वही या कुछ कम महंगाई भत्ता दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो यह कभी नहीं कहा कि हम नहीं लिखेंगे। प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार में परामर्श सदैव हुआ करता है। और ऐसी बैठक हुआ करती है जहां ऐसे विषयों पर विचार हुआ करता है लेकिन हर एक प्रदेश को अपने बजट के अन्तर्गत जो प्लान निर्धारित हो जाता है, उसके अन्तर्गत ही काम करना पड़ता है। जैसी स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है उसमें यह सम्भव नहीं है कि महंगाई भत्ता उतना किया जा सके जितना सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर शिक्षक संघ की मांग को पूरा नहीं माना जाता और सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष भत्ता नहीं दिया जाता तो सरकार इस बात पर विचार करेगी शिक्षक संघ से बात करके कि महंगाई बढ़ने के अनुरूप उनका भत्ता बढ़ा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यापकों से बात करने में कोई बुराई नहीं लगती है लेकिन जहां तक महंगाई का निश्चय है वह तो अन्तिम निश्चय है, आज की परिस्थिति को देखकर।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल भूख हड़ताल करने से पहले सरकार से मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने उनका मसला केन्द्रीय सरकार के पास क्यों नहीं भेजा कि ये लोग हड़ताल करने जा रहे हैं और इनका महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिये ? इस सारी परिस्थिति से केन्द्रीय सरकार को अवगत क्यों नहीं कराया ?

श्री रामस्वरूप यादव---लिखने का प्रश्न इस प्रदेश के लिये यों नहीं उठता कि केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया। उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि कितना आप महंगाई भत्ता दें। उनका सारा नियन्त्रण यह है कि प्लान की सीमा से कम जैसा चाहें आप अपना खर्च करें। अब उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व रह जाता है कि वह परिस्थिति के अनुसार कितना महंगाई भत्ता दे सकता है या नहीं दे सकता है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---केन्द्रीय सरकार से ८७ लाख रुपया उन माध्यमिक अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये दिया गया था, उसमें कितना रुपया सरकार नहीं खर्च कर पाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनके पे स्केल को रिवाइज कर दिया है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---८७ लाख रुपया एक ही मद में शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिये दिया गया। उसम से ६०-७० लाख रुपया खर्च किया गया है, क्या यह सच है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन नया वेतन-क्रम ५९ में निर्धारित किया गया है इसका ज्ञान सदन को है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---यह जो ८७ लाख रुपया है इसको क्या सरकार अध्यापकों को दे देना उचित समझेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह श्रीमन्, कोई सौदा तो है नहीं । अगर एक साल यह रकम बच जाती है और उसको हम उनको दे देते हैं तो फिर हमेशा के लिये हम बंध जाते हैं किन्तु हमेशा ही उतनी रकम बचेगा ऐसा तो होगा नहीं । इसलिये यह नहीं हो सकता है । एक वर्ष अगर हम इनको दे भी दें तो अगले वर्ष के लिये कहां से आयेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि जो ४ रुपये महंगाई भत्ते का दिया जाता है वह लड़कों से ही वसूल कर लिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद क्यों नहीं करती ?

श्री रामस्वरूप यादव---माननीय सदस्य को मालूम नहीं है वह तो ऐसा है कि जो ७० रुपये वेतन वाले हैं उनको १० रुपये दिया जाता है जिसमें ५ रुपये सरकार देती है और ५ रुपये प्रबन्धक फीस लेकर वसूल कर लेते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस बात को देखते हुए कि बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता न मिलने के कारण एक दुर्लभ परिस्थिति पैदा हो गयी है, सरकार इसके लिये कोई पे-कमीशन बिठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो अपनी राय सरकार को दे सके और इस समस्या का कुछ हल हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, उससे हमारी आय तो बढ़ नहीं जायेगी । हमारे पास उसके सब आंकड़े हैं और हम उसको जानते हैं । कितनी आय है, कितना खर्च है यह तो हम जानते हैं, वह नहीं हो सकता । अब जब कभी स्थिति दूसरी होगी तो महंगाई भत्ते के बढ़ाने की बात पर विचार किया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---हमारे संविधान के निर्देश को देखते हुए कि सब को, समान स्तर के लोगों को, समान वेतन मिले, अगर इस समय सरकार उनको समान महंगाई भत्ता देने में असमर्थ है तो क्या वह तृतीय पंच वर्षीय योजना के बाद दे सकेगी या उस समय भी यही चलता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहुत आगे की बात पूछ रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुए कि बाहर माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी इस समस्या के हल के लिये कोई प्रयत्न करने जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कोई खुशी की बात नहीं है कि गुरु लोग भूख-हड़ताल करें । उनको हड़ताल तोड़ देनी चाहिये और उसके लिये मैं चल कर उनको समझाने के लिये भी तैयार हूं, माननीय प्रताप सिंह जो मेरे साथ चलें, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है तो उनकी मांग कैसे पूरी हो ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इस बात को देखते हुए कि प्रदेश के अध्यापक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख-हड़ताल कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात पर विचार करने के लिये लिखेंगे कि वह इस समस्या के समाधान के लिये यथाशक्ति सहायता दे ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह तो स्पष्ट है, केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है अगर हम बढ़ा दें, लेकिन...

श्री अध्यक्ष--वह यह चाहते हैं कि जो सीमा का बंधन है उसको तोड़ने के लिये लिखेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी ऐसा विचार तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर सोमवार, १ मई, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ अप्रैल, १९६१

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६८ पर।]

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में ३,३२५ प्राथमिक स्कूलों के खोले जाने पर तथा इनमें ६,६५० अध्यापकों को नियुक्ति ।

(२) ११८ प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों तथा १५ सहायक उप-विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति पर जो उपर्युक्त विद्यालयों की देखरेख व निरीक्षण के लिये रखे गये हैं।

(३) अध्यापिकाओं के ६०५ आवास-गृहों के निर्माण पर २,५०० रु० प्रति गृह की दर से।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७२ पर]

१९६१–६१ में खुलने वाले जूनियर बेसिक स्कूलों का जिलेवार विवरण

क्रम- सं०	जिले का नाम	कुल योग
१	देहरादून	३०
२	सहारनपुर	७३
३	मुजफ्फरनगर	८३
४	मेरठ	१५१
५	बुलन्दशहर	११५
६	अलीगढ़	८८
७	मथुरा	७३
८	आगरा	७९
९	मैनपुरी	८१
१०	एटा	५९
११	बरेली	७५
१२	बिजनौर	५१
१३	बदायूं	१०२
१४	मुरादाबाद	१४०
१५	शाहजहांपुर	६३
१६	पीलीभीत	२८
१७	रामपुर	५२
१८	टेहरी गढ़वाल	४५
१९	पौड़ी गढ़वाल	६२
२०	अल्मोड़ा	७१
२१	फर्रुखाबाद	४५
२२	इटावा	४०
२३	नैनीताल	३२
२४	कानपुर	१३४
२५	फतेहपुर	५४
	प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में उल्लिखित सूची	
२६	इलाहाबाद	९८
२७	झांसी	९७

क्रम-संख्या	जिले का नाम	कुल योग
१	२	३
२८	जालौन	४४
२९	हमीरपुर	४९
३०	बांदा	७६
३१	वाराणसी	८७
३२	मिर्जापुर	६५
३३	जौनपुर	५२
३४	गाजीपुर	४८
३५	बलिया	३७
३६	गोरखपुर	१२८
३७	बस्ती	११७
३८	आजमगढ़	६३
३९	देवरिया	१०७
४०	बहराइच	७८
४१	फैजाबाद	१०९
४२	गोंडा	११५
४३	लखनऊ	१०७
४४	उन्नाव	७८
४५	रायबरेली	४५
४६	सीतापुर	९१
४७	हरदोई	८७
४८	खेरी	६९
४९	प्रतापगढ़	५२
५०	सुल्तानपुर	१३१
५१	बाराबंकी	१०५
	योग ..	३,९७०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८पर)

विषय जिन पर जेल सुधार मूल्यांकन समिति को विचार करना था

(१) बन्दी तथा बन्दीगृह सुधार योजनाओं का मूल्यांकन करना एवं उनकी उन्नति के लिये उपायों का सुझाव देना।

(२) जेल इमारतों की वर्तमान स्थिति का विवेचन करना तथा भविष्य में पुरानी इमारतों के बदले में किस प्रकार की नई इमारतें बनाई जायें इस दिशा में सुझाव देना।

(३) विभिन्न जेलों में या एक ही जेल की विभिन्न बैरकों में विभिन्न वर्ग के प्रथक्करण के प्रश्न पर विचार करना जिससे कि बन्दियों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में सुविधा हो।

(४) आल इंडिया कान्फ्रेंस आफ इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए बन्दियों के वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करना।

(५) आजीवन कारावास की अवधि २० वर्ष हो—केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप बन्दियों को छूट (रेमीशन) दिये जाने के प्रश्न पर विवेचना।

(६) जिलाधीश अथवा कमिश्नर अपने क्षेत्र के जेलों के परिदर्शन, निरीक्षण तथा जेल प्रशासन सम्बन्धी जांच के सिलसिले में कितना अधिक भाग ले सकते हैं तथा यह सुझाव देना कि जेल कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये कौन सी प्रणाली उपयोगी सिद्ध होगी।

(७) जेल विभाग में कर्मचारी वर्ग की यथेष्टता पर विचार करना।

(८) जेलों के हेतु खरीदारी की प्रणाली का विवेचन करना।

(९) जेल उद्योग सम्बन्धी विषयों पर विचार करना।

(१०) एक ऐसी योजना के सम्बन्ध में सुझाव देना जिससे प्रत्येक बन्दी को जेल में शिक्षित बनाया जा सके।

(११) अनधिकृत वस्तुओं को चोरी से जेल के भीतर या जेल के माल को चोरी से जेल के बाहर ले जाने पर कड़ी रोक लगाने के लिये सुझाव देना।

(१२) आधुनिक बन्दी-गृहों को किस प्रकार भोजन, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में स्वावलम्बी बनाया जाय।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

Copy of letter no. AI-578/XV—2326-1959, dated February 25, 1961, from Secretary to Government, Uttar Pradesh, Education Department to Director of Education, Uttar Pradesh, Lucknow.

In continuation of Sri K. N. Malaviya's D.O. Letter no. AI-578/XV—2326-59, dated January 5, 1961, I am directed to say that Government have been noticing lately the growing tendency of girls, institutions in the State to organise cultural programme in which grown up girls are allowed to take part in public functions to which the public is freely admitted. The entertainments being organised at present are not always in good taste, and their usual features, like dancing and singing of cheap filmsongs and kawwali, etc. are sometimes resented by the guardians of girls. Moreover, such practices are contrary to the cultural traditions of the country and may lead to abuses. It is felt that a good deal of criticism and complaint of public can be avoided, if special care is taken by the organisers of cultural programmes to do away with the objectionable items like those mentioned above.

2. It has become necessary to curb the tendency of organising cheap functions. The audience should be confined to invitees only. Cultural programmes whenever organised may be in the form of a drama on a social topic, and written consent of the guardians should be obtained before allowing the girls to take part in such functions.

3. In the circumstances, I am to request that necessary instructions may kindly be issued to the girls' institutions within your juisdiction to the effect that cultural programmes to be organised by them should be on the lines indicated above. Suitable steps may also kindly be taken to ensure that the instructions to be issued by you are strictly observe.

No. AI-578 (i)/XV

COPY forwarded for information and necessary action to the Regional Inspectress of Girls, Schools.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

सूची

शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक
१—सर्वश्री बिहारी लाल, शान्ती प्रसाद, टनकपुर ..	.. २-२-६१
२—श्री डिकर सिंह फारवर्डिंग एजेन्ट, टनकपुर ..	.. १९-२-६१
३—श्री रघुबरदत्त पाठक, टनकपुर	.. २७-३-६१
४—श्री तिवारलाल, टनकपुर	.. २७-३-६१
५—श्री हयातसिंह ठेकेदार, टनकपुर ..	.. १०-४-६१
६—सर्वश्री बांकेलाल किशन लाल, टनकपुर ..	.. ११-४-६१
७—पंजाब ग्रेन स्टोर, टनकपुर	.. ११-४-६१
८—श्री रघुबरदत्त पाठक, टनकपुर	.. १३-४-६१
९—श्री डिकर सिंह, टनकपुर	.. १६-४-६१